# अध्याय - 12
# सहायता अनुदान

## प्रस्तावना

12.1 हमारे विचारार्थ विषय हमसे उन सिद्धांतों के संबंध में सिफारिशें करने की अपेक्षा करते हैं जिनसे भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व के सहायता-अनुदान को अभिशासित किया जाएगा और ये राशियां उन राज्यों को अदा की जाएंगी जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत इस अनुच्छेद की धारा (1) के परंतुकों में निर्दिष्ट प्रयोजनों से इतर अपने राजस्व के सहायता अनुदान की मार्फत सहायता की जरूरत है।

12.2 सहायता अनुदान वित्त आयोग के अंतरणों का महत्वपूर्ण घटक हैं। इन अनुदानों का आकार सातवें वित्त आयोग के अंतर्गत कुल अंतरणों का 7.7 प्रतिशत से छठे वित्त आयोग के अंतर्गत कुल अंतरणों का 26.1 प्रतिशत के बीच अलग अलग रहा है। बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान कुल अंतरणों का 18.9 प्रतिशत बैठता है। कुछ राज्यों ने अपने ज्ञापनों में हमसे तर्क किया कि अनुदान वित्त आयोग के अंतरणों में राज्यों के हिस्से के थोड़े भाग तक ही सीमित होना चाहिए। उन्होने तर्क दिया है कि अनुदान विशेष क्षेत्रों को निदेशित किए गए हैं और उन शर्तों के साथ जो राज्यों के व्यय विकल्पों को सीमित कर देती हैं। हमारे मूल्यांकन के अनुसार सहायता अनुदान एक महत्वपूर्ण लिखत है जो आयोग को अंतरणों की अपनी योजना को अधिक व्यापक बनाने और विचारार्थ विषय में उल्लिखित विभिन्न मुद्दों का निदान करने में समर्थ बनाती है। अनुदान हमें कई राज्यों द्वारा झेली जा रही लागत असमर्थताओं हेतु सुधार करने में मदद करते हैं जिनका किसी अंतरण फार्मूले में कुछ हद तक ही समाधान किए जाने की संभावना है। आयोग ने तदनुसार 3,18,581 करोड़ रूपए की कुल राशि के सहायता-अनुदान की अनेक श्रेणियों का सुझाव दिया है जो कुल अंतरणों का 18.03 प्रतिशत बैठता है।

12.3 ऐसे अनुदानों में पश्च-सुपुर्दगी आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा पहला अनुदान है। आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा अनुदान चौथे वित्त आयोग और पांचवें वित्त आयोग द्वारा यथा अनुशंसित कुल अनुदान के अधिकतम 100 प्रतिशत से नौवें वित्त आयोग द्वारा यथा अनुशंसित 33.1 प्रतिशत के बीच रहे हैं। आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा अनुदान बारहवें वित्त आयोग के कुल अनुदानों के 39.86 प्रतिशत के बराबर हैं। आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा अनुदानों के लिए हमारी सिफारिशें जैसा कि इस अध्याय के परवर्ती भाग में विवरण दिया गया है, कुल अनुदानों का 16.26 प्रतिशत बैठती हैं जो वित्त आयोगों की सिफारिशों में सबसे कम हैं। यह राज्यों के अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन विधानों में निर्धारित वित्तीय सुधार मार्ग पर चलने के सतत प्रयास के कारण संभव हुआ है। खासकर यह संतोषजनक तथ्य रहा है कि विशेष श्रेणी वाले तीन राज्य अर्थात् उत्तराखंड, असम और सिक्किम आयोजना-भिन्न राजस्व घाटे की स्थिति से बाहर आ गए हैं। उनके सफल प्रयासों को मान्यता देते हुए हमने इन तीनों राज्यों को इस उम्मीद के साथ निष्पादन अनुदान की सिफारिश की है कि अन्य राज्य भविष्य में इसी तरह के सुधार दिखाने के लिए प्रोत्साहित हो जाएंगे।

12.4 हमारे अनुदानों में दूसरा, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य के अनुपालन के संबंध में अनुशंसित है जो 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य विद्यालयी शिक्षा के संवैधानिक अधिकार पर टिकी हुई है। इस लक्षित अनुदान की अभिकल्पना राज्यों को इस क्षेत्रक के निधिपोषण में उनमें संसाधन अवरोधों को पाटने में सहायता करने के लिए की गई है जबकि इस कार्यक्रम के राष्ट्रीय चरित्र में यह सुनिश्चित किया जाना रेखांकित होगा कि सभी राज्य इस अनुदान का हिस्सा प्राप्त करें।

12.5 हमारे विचारार्थ विषयों में दो नए विचार ''बेहतर उत्पादन और परिणाम प्राप्त करने के लिए सरकारी व्यय की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता और सतत विकास के अनुरूप पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन का प्रबंध करने की जरूरत है। हमने इस अध्याय के बाद के भागों में विस्तार से इन मुद्दों का पता लगाया है और बेहतर अभिशासन और सरकारी सेवाएं देने तथा क्रमशः पर्यावरण के संरक्षण के लिए समर्थकारी बनाने और निष्पादन प्रोत्साहित करने के लिए अनुदानों के तीसरे और चौथे सैटों की सिफारिश की है। ऐसा करने के लिए हमने इनमें से कुछेक अनुदानों की नवीकरणीय ऊर्जा के संवर्धन, बेहतर जल क्षेत्र प्रबंधन और शिशु मृत्यु दर घटाने जैसे कार्यक्रमों के लिए अभिकल्पना की है जो भविष्य दृष्टा होंगे और भविष्य में लक्ष्य प्राप्त करने से जुड़े होंगे।

12.6 हमारा पांचवां अनुदान सड़कों के रखरखाव के लिए है। एक समुचित सड़क अवसंरचना आर्थिक विकास के लिए ही नहीं बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाओं की बेहतर व्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह दर्शाने के प्रमाण हैं कि सड़कों का संजाल अन्य बातों के अलावा अध्यापकों की उपस्थिति में सुधार, तीव्रतर चिकित्सा सहायता और काफी संस्थागत व्यवस्थाओं का द्योतक है। हम उम्मीद करते हैं कि नवसृजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों पर ध्यान सहित रखरखाव के लिए वर्द्धित प्रावधान करने से सड़क संपर्कता बनाए रखने में सहायता मिलेगी।

12.7 कुछ राज्यों ने अपने ज्ञापनों और हमसे विचार विमर्श में अनुदानों से जुड़ी शर्तों के बारे में चिंताएं जताई है। हमने इस बारे में गैर हस्तक्षेप दृष्टिकोण अपनाने का ध्यान रखा है। आयोजना-भिन्न राजस्व घाटे को छोड़कर अनुदान क्षेत्रक विशिष्ट हैं। हालांकि, वन अनुदान का बड़ा भाग जो वनों के कारण आर्थिक अक्षमताओं को चिन्हित करने पर दिया जाता है, उसे राज्यों के विकास संसाधनों के रूप में प्रयोग करने की छूट दी गई है। पूर्ववर्ती आयोगों की तरह हमने अप्रतिस्थापन सुनिश्चित करने की कोशिश की है ताकि हमारे अनुदान जहां संगत हों, जिन प्रयोजनों के लिए इन्हें अलग से रखा गया है,वास्तव में राज्यों के बजटों में प्रावधानों के अतिरिक्त प्रावधान हों। इसके अतिरिक्त जहां अनुदान भविष्य दृष्टा हैं, शर्तें बैंचमार्क लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रोत्साहन राशियां जारी किया जाना निर्धारित करती हैं। इसलिए राज्यों को प्रोत्साहन होगा कि वे अपने निष्पादन में सुधार करें।

12.8 विचारार्थ विषय के पैरा 4(iii) की तर्ज पर स्थानीय निकायों और पैरा 8 के संदर्भ में आपदा प्रबंधन के लिए अनुदानों पर क्रमशः अध्याय 10 और 11 में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। ये अनुदान संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत भी राज्यों को प्रवाहित होते हैं। हमने इन अनुदानों को व्यापक रूप में इस भाग की सारणी 12.1 में सूचीबद्ध किया है। हमारे द्वारा 2011-15 की पंचाट अवधि के लिए अनुशंसित राज्यों के राजस्व के सहायता-अनुदान नीचे दर्शाए गए हैं:

**सारणी 12.1 राज्यों को सहायता अनुदान**

*(करोड़ रूपये)*

| | | |
|---|---|---|
| I | स्थानीय निकाय | 87519 |
| II | आपदा राहत (क्षमता निर्माण हेतु सहित) | 26373 |
| III | हस्तांतरण पश्चात आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा | 51800 |
| IV | निष्पादन प्रोत्साहन | 1500 |
| V | प्राथमिक शिक्षा | 24068 |
| VI | पर्यावरण | 15000 |
| | (क) वनों का संरक्षण | 5000 |
| | (ख) नवीकरणीय ऊर्जा | 5000 |
| | (ग) जल क्षेत्र के प्रबंधन | 5000 |
| VII | अभिशासन | 14446 |
| | (क) शिशु मृत्यु दर में कमी | 5000 |
| | (ख) न्याय व्यवस्था में सुधार | 5000 |
| | (ग) अनन्य पहचान पत्र जारी करने हेतु प्रोत्साहन | 2989 |
| | (घ) जिला नवोन्मेष कोष | 616 |
| | (ङ) राज्य और जिला स्तर पर सांख्यिकीय प्रणालियों में सुधार | 616 |
| | (च) कर्मचारी और पेंशन डाटाबेस | 225 |
| VIII | सड़कों और पुलों का रखरखाव | 19930 |
| IX | राज्य विशिष्ट | 27945 |
| X | माडल वस्तु एवं सेवा कर का कार्यान्वयन | 50000 |
| | **योग** | **318581** |

### हस्तांतरण के पश्चात आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा अनुदान

12.9 हमारे द्वारा अपनाए गए मानदंडों सहित राज्यों के राजस्व और व्यय का मूल्यांकन अध्याय 7 में दिया गया है। इस मूल्यांकन के आधार पर हमने प्रत्येक राज्य का हस्तांतरण से पहले आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा निकाला है। अध्याय 8 में हमने केंद्रीय करों में प्रत्येक राज्य का हिस्सा निर्धारित किया है और जैसा कि अध्याय 6 में आकलन किया गया है, केंद्र के कर राजस्व के आधार पर प्रत्येक राज्य के हिस्से का अनुमान लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, हस्तांतरण से पहले आयोजना-भिन्न राजस्व घाटे और केंद्रीय करों में प्रत्येक राज्य के हिस्से के आधार पर हमने पंचाट अवधि के लिए प्रत्येक राज्य हेतु हस्तांतरण के पश्चात आयोजना-भिन्न राजस्व घाटे/अधिशेष का अनुमान लगाया है।

12.10 किसी राज्य के लिए सांकेतिक रूप से मूल्यांकित हस्तांतरण के पश्चात् आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा एक सीधे असंतुलन की मौजूदगी व्यक्त करता है जिसे अभी ठीक किया जाना है और एक मूल्यांकित जरूरत है जिसे अभी पूरा किया जाना है। जैसा कि अध्याय 7 में वर्णन किया गया है, हमने राज्यों के राजस्व और व्यय का मूल्यांकन करने के लिए सांकेतिक दृष्टिकोण का पालन किया है जो यह सुनिश्चित करता है कि मूल्यांकित घाटा किसी राज्य द्वारा अपर्याप्त राजस्व प्रयास अथवा अत्यधिक व्यय के कारण नहीं है। इसलिए हमने उन राज्यों को सहायता-अनुदान उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है जिनके पास इस मूल्यांकित घाटे को पूरा करने के लिए हस्तांतरण के पश्चात आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा है।

12.11 सारणी 12.2 अध्याय 7 में सांकेतिक आधार पर यथा मूल्यांकित प्रत्येक राज्य का हस्तांतरण से पूर्व आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा दर्शाया गया है। आठ राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पांचों वर्षों के लिए हस्तांतरण से पहले अधिशेष रहे हैं जबकि पंजाब और राजस्थान में क्रमशः आखिरी दो वर्ष और एक वर्ष में अधिशेष रहे हैं।

**सारणी 12.2 हस्तांतरण से पहले आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा/अधिशेष (-)**

*(करोड़ रूपए)*

| राज्य | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 |
|---|---|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | -8651 | -11839 | -6745 | -11137 | -16143 |
| अरूणाचल प्रदेश | 1203 | 1262 | 1548 | 1608 | 1651 |
| असम | 7149 | 7211 | 9248 | 9298 | 9225 |
| बिहार | 14890 | 15399 | 18940 | 19659 | 20277 |
| छत्तीसगढ़ | -2129 | -2480 | -439 | -762 | -1160 |
| गोवा | -536 | -763 | -762 | -1085 | -1457 |
| गुजरात | -8363 | -12149 | -12638 | -18245 | -24837 |
| हरियाणा | -13814 | -16394 | -17774 | -21235 | -25235 |
| हिमाचल प्रदेश | 3825 | 3923 | 4086 | 3912 | 3471 |
| जम्मू - कश्मीर | 6777 | 6993 | 7280 | 7511 | 7558 |
| झारखंड | 1013 | 683 | 2075 | 1615 | 1111 |
| कर्नाटक | -11099 | -14404 | -14597 | -19139 | -24652 |
| केरल | 4705 | 3967 | 4210 | 2826 | 1134 |
| मध्य प्रदेश | 2646 | 2331 | 4755 | 4353 | 3728 |
| महाराष्ट्र | -14325 | -19147 | -19617 | -26665 | -34702 |
| मणिपुर | 2106 | 2184 | 2651 | 2773 | 2884 |
| मेघालय | 1225 | 1295 | 1970 | 2067 | 2173 |
| मिजोरम | 1263 | 1327 | 1667 | 1777 | 1859 |
| नागालैंड | 2239 | 2319 | 2604 | 2710 | 2827 |
| उड़ीसा | 4718 | 4617 | 6495 | 6364 | 6088 |
| पंजाब | 1204 | 546 | 372 | -739 | -2065 |
| राजस्थान | 3990 | 1480 | 1796 | 334 | -864 |
| सिक्किम | 422 | 448 | 624 | 596 | 555 |
| तमिलनाडु | -6528 | -8452 | -7275 | -10135 | -13479 |
| त्रिपुरा | 2096 | 2156 | 2472 | 2535 | 2606 |
| उत्तर प्रदेश | 14903 | 14126 | 19758 | 18343 | 16485 |
| उत्तराखण्ड | 2129 | 2179 | 2940 | 2922 | 2703 |
| पश्चिम बंगाल | 14360 | 12687 | 13280 | 9908 | 5738 |
| **सकल घाटा** | **92864** | **87137** | **108771** | **101108** | **92071** |
| सकल अधिशेष | -65446 | -85630 | -79847 | -109140 | -144593 |
| निवल घाटा | 27417 | 1507 | 28924 | -8032 | -52522 |

12.12 हस्तांतरण से पहले घाटे में केंद्रीय करों में संबंधित राज्यों का हिस्सा जोड़कर प्राप्त किए गए हस्तांतरण के पश्चात के घाटे सारणी 12.3 में दिए गए हैं। इस सारणी में देखा जा सकता है कि सभी सामान्य श्रेणी वाले राज्यों के समूची पंचाट अवधि में अधिशेष रहे थे। विशेष श्रेणी वाले राज्यों में तीन राज्य अर्थात् असम, सिक्किम और उत्तराखंड के समूची पंचाट अवधि में हस्तांतरण के पश्चात् अधिशेष रहे हैं। विशेष श्रेणी वाले शेष आठ राज्यों के पंचाट अवधि के दौरान पांचों वर्षों के दौरान घाटे रहे हैं। इन राज्यों के लिए हस्तांतरण के पश्चात आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा पूरा करने के लिए हम पंचाट अवधि के लिए 51,800 करोड़ रूपये के कुल अनुदान की सिफारिश करते हैं। राज्यवार, वर्षवार ब्यौरा सारणी 12.4 में दिया गया है।

**सारणी 12.3 हस्तांतरण के पश्चात आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा/अधिशेष (-)**

*(करोड़ रूपए)*

| राज्य | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 |
|---|---|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | -22796 | -28430 | -26314 | -34221 | -43371 |
| अरूणाचल प्रदेश | 34 | 478 | 623 | 517 | 364 |
| असम | -248 | -1466 | -986 | -2774 | -5015 |
| बिहार | -7370 | -10710 | -11857 | -16668 | -22572 |
| छत्तीसगढ़ | -7166 | -8387 | -7407 | -8981 | -10855 |
| गोवा | -1079 | -1399 | -1513 | -1970 | -2501 |
| गुजरात | -14564 | -19422 | -21216 | -28364 | -36773 |
| हरियाणा | -15951 | -18900 | -20731 | -24722 | -29348 |
| हिमाचल प्रदेश | 2232 | 2055 | 1883 | 1313 | 406 |
| जम्मू - कश्मीर | 3940 | 3665 | 3355 | 2881 | 2096 |
| झारखंड | -4700 | -6015 | -5830 | -7709 | -9886 |
| कर्नाटक | -19924 | -24755 | -26806 | -33540 | -41640 |
| केरल | -69 | -1632 | -2394 | -4963 | -8055 |
| मध्य प्रदेश | -11872 | -14697 | -15330 | -19339 | -24218 |
| महाराष्ट्र | -24926 | -31581 | -34283 | -43964 | -55108 |
| मणिपुर | 1186 | 1105 | 1379 | 1272 | 1114 |
| मेघालय | 393 | 319 | 819 | 709 | 571 |
| मिजोरम | 715 | 684 | 908 | 882 | 804 |
| नागालैंड | 1599 | 1568 | 1719 | 1666 | 1595 |
| उड़ीसा | -5026 | -6812 | -6986 | -9538 | -12670 |
| पंजाब | -1628 | -2776 | -3546 | -5361 | -7517 |
| राजस्थान | -7945 | -12518 | -14715 | -19142 | -23837 |
| सिक्किम | -65 | -124 | -50 | -200 | -383 |
| तमिलनाडु | -16660 | -20336 | -21292 | -26669 | -32982 |
| त्रिपुरा | 1054 | 934 | 1030 | 835 | 600 |
| उत्तर प्रदेश | -25219 | -32933 | -35751 | -47132 | -60747 |
| उत्तराखण्ड | -155 | -500 | -220 | -805 | -1693 |
| पश्चिम बंगाल | -452 | -4685 | -7212 | -14263 | -22773 |
| **सकल घाटा** | **11653** | **10808** | **11716** | **10074** | **7550** |
| सकल अधिशेष | -187814 | -248079 | -264441 | -350326 | -451942 |
| निवल घाटा | -176161 | -237271 | -252726 | -340252 | -444392 |

**सारणी 12.4 आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा अनुदान**

*(करोड़ रूपए)*

| राज्य | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | जोड़ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अरूणाचल प्रदेश | 534 | 478 | 623 | 517 | 364 | **2516** |
| हिमाचल प्रदेश | 2232 | 2055 | 1883 | 1313 | 406 | **7889** |
| जम्मू और कश्मीर | 3940 | 3665 | 3355 | 2881 | 2096 | **15936** |
| मणिपुर | 1186 | 1105 | 1379 | 1272 | 1114 | **6057** |
| मेघालय | 393 | 319 | 819 | 709 | 571 | **2811** |
| मिजोरम | 715 | 684 | 908 | 882 | 804 | **3991** |
| नागालैंड | 1599 | 1568 | 1719 | 1666 | 1595 | **8146** |
| त्रिपुरा | 1054 | 934 | 1030 | 835 | 600 | **4453** |
| **जोड़** | **11653** | **10808** | **11716** | **10074** | **7550** | **51800** |

*टिप्पण : पूर्णांकन के कारण संभवतः आंकड़े जोड़ से मेल न खांए।*

## निष्पादन प्रोत्साहन

12.13 तीन विशेष श्रेणी वाले राज्यों - उत्तराखंड, असम और सिक्किम को उनके मूल्यांकित घाटे पूरे करने के लिए बारहवें वित्त आयोग से आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा अनुदान प्राप्त हुए हैं। इनमें से उत्तराखंड को एक नव सृजित राज्य के रूप में बारहवें वित्त आयोग की अवधि के दौरान पहली बार आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा अनुदान प्राप्त हुआ। असम को सातवें वित्त आयोग के सिवाय पहले वित्त आयोग से लेकर सभी वित्त आयोगों के अंतर्गत आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा अनुदानों का लाभ प्राप्त हुआ है। सिक्किम 1975 में भारतीय संघ का राज्य बना और उसे सातवें वित्त आयोग से आगे आयोजना भिन्न राजस्व घाटा अनुदान प्राप्त हुए हैं। अध्याय 7 में दर्शाए अनुसार इन तीन राज्यों के राजस्व और व्यय का सांकेतिक रूप से मूल्यांकन करने के पश्चात और अध्याय 8 में दिए अनुसार हस्तांतरण को हिसाब में लेते हुए इन राज्यों को अब और आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा अनुदानों हेतु जरूरतमंद नहीं पाया गया है। हमारे विचार में यह इन तीन राज्यों द्वारा की गई बहुत प्रगति का संकेत देता है, खासकर उन ज्ञात लागत अशक्तताओं और अन्य वित्तीय चुनौतियों को देखते हुए, जो ये विशेष श्रेणी वाले राज्य सामना करते हैं। उनके प्रयासों को मान्यता देते हुए हम उनके लिए राजकोषीय विवेकशीलता के मार्ग पर चलते जाने हेतु नीचे दर्शाए अनुसार प्रोत्साहन के रूप में निष्पादन अनुदान की सिफारिश करते हैं:

*करोड़ रूपये*

| राज्य | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | जोड़ |
|---|---|---|---|---|
| असम | 150 | 150 | - | 300 |
| सिक्किम | 80 | 60 | 60 | 200 |
| उत्तराखंड | 400 | 300 | 300 | 1000 |

## प्रारंभिक शिक्षा के लिए अनुदान

12.14 बारहवें वित्त आयोग ने सभी राज्यों में शिक्षा क्षेत्र संबंधी व्यय समान करने के तर्काधार पर इस क्षेत्र को अनुदान उपलब्ध कराए थे। ये अनुदान समकरण के दो चरण वाले सांकेतिक उपायों के आधार पर निर्धारित किए गए थे। पहले चरण में कम व्यय की तरजीह वाले राज्यों की पहचान की गई (अर्थात वे राज्य जिनका कुल राजस्व व्यय के अनुपात के रूप में शिक्षा पर व्यय कम था) और वे संबंधित समूहों अर्थात विशेष और सामान्य श्रेणी वाले राज्यों द्वारा वहन किए गए शिक्षा संबंधी औसत व्यय के संदर्भ में निर्धारित किए गए (समंजित कुल राजस्व व्यय के अनुपात के रूप में)। दूसरे चरण में, वे राज्य जिनके पहले चरण में समंजन किए जाने के पश्चात भी समूह औसत की तुलना में प्रति व्यक्ति आय कम थी, उनकी पहचान की गई और इस क्षेत्र में राज्य की प्रति व्यक्ति व्यय और समूह के औसत प्रति व्यक्ति आय के बीच 15 प्रतिशत तक के अंतर तक अनुदान उपलब्ध कराया गया था। इस प्रस्ताव के अंतर्गत आठ राज्यों अर्थात् असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने इस अनुदान के लिए अर्हता पाई।

12.15 मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 16 मार्च 2009 के अपने ज्ञापन में आयोग से अनुरोध किया कि समकरण की पूर्व प्रक्रिया के बजाय प्रत्येक राज्य में संसाधनों की आवश्यकता और अंतरों के वास्तविक अनुमान के आधार पर प्राथमिक शिक्षा के लिए विशिष्ट रूप से अनुदान उपलब्ध कराए। इस मंत्रालय ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानदंडों के सैट के एवज में अंतरों का इस तरीके से पता लगाया जाए कि सभी राज्य इस अनुदान तक पहुंच बनाने में समर्थ हों।

12.16 हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के इन विचारों से सहमत हैं कि इस आयोग को प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि 2002 में संविधान के यथा संशोधित अनुच्छेद 21क के अन्तर्गत छः से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 21क के यथा संकलित विधायी ढांचे की व्यवस्था करता है। गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण माध्यमिक शिक्षा और रोजगार कौशलों के लिए महत्वपूर्ण आधार है जिसका आर्थिक विकास पर सार्थक प्रभाव पड़ता है।

12.17 मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मार्च 2009 के अपने ज्ञापन में सर्व शिक्षा अभियान और बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के वैकल्पिक मानदंडों का प्रयोग करते हुए प्रारंभिक शिक्षा के लिए संसाधनों की राज्यवार आवश्यकताओं के अनुमान प्रस्तुत किए थे। जब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुमान प्रस्तुत किए गए थे तो बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियमित नहीं हुआ था। संसद में इस विधेयक के पारित न होने के दौरान कुछ संशोधन किए गए थे और बाद में अगस्त, 2009 में यह विधान बना। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 7(iv) में एक उपबंध है जिसमें केंद्र सरकार राष्ट्रपति से अनुरोध कर सकती है कि इस अधिनियम के उपबंधों का पालन करने के लिए राज्यों का निधियों में अपने हिस्से के भुगतान में समर्थ बनाने के लिए किसी राज्य सरकार को उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत की जांच करने के लिए अनुच्छेद 280 के खंड 3 के उप-खंड (घ) के अंतर्गत वित्त आयोग को निर्देश दें। हालांकि बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों की आवश्यकता संबंधी मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुमानों का नया सैट हमें मिल गया है परन्तु हमें इस विषय पर कोई औपचारिक निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। हमने यह भी पाया है कि बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय अनुमानों के बारे में कोई सर्वसम्मति नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2010-15 की अवधि के लिए 1,73,946 करोड़ रूपए की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। योजना आयोग ने दूसरी ओर अपने 10 नवंबर 2009 के टिप्पण में 1,44,871 करोड़ रूपए का अनुमान लगाया है और यह भी पाया गया है कि राज्यवार अनुमान तैयार किए जाने की जरूरत है। इस बारे में वित्त मंत्रालय ने हमें कोई अनुमान नही दिए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुमानों के ब्यौरे के संबंध में राज्यों से परामर्श किया जाना बाकी है क्योंकि बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कारण व्यय के अनुमान तैयार करने के आधार के बारे में स्पष्टता की कमी और इसके लिए आवश्यक निधियों संबंधी करार के अभाव में भी हम अपनी अनुशंसाएं करने के लिए इनअनुमानों का प्रयोग करने में असमर्थ हैं। हालांकि हम यह मानते हैं कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए प्रारंभिक शिक्षा हेतु निधिपोषण संबंधी आवश्यकताओं में काफी बढ़ोतरी करने की जरूरत पड़ेगी जिससे राज्यों के संसाधनों पर भारी दबाव पड़ने की संभावना है।

12.18 प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम सर्वशिक्षा अभियान ने अपने विभिन्न संघटकों के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र की पहुंच, अवसंरचना, मानव संसाधन और परिणामों के संदर्भ में अंतरों और आवश्यकताओं के प्रति सर्वतोमुखी दृष्टिकोण अपनाया है। अध्यापकों के वेतन और विद्यालयों के रखरखाव हेतु अनुदानों जैसी बुनियादी मदें उपलब्ध कराने के अतिरिक्त इसमें अध्यापक प्रशिक्षण, सुधारात्मक शिक्षण, नवोन्मेष निधियां, विभिन्न रूप से सक्षम बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा जैसी साम्यता से जुड़ी गुणवत्ता में सुधार के लिए लक्षित मदें और विद्यालय से बाहर के बच्चों हेतु हस्तक्षेप शामिल हैं। यह योजना अपने सांकेतिक ढांचे के माध्यम से वार्षिक कार्य योजनाओं और बजटों के तहत आवंटन करते हुए जिलों की निवेश आवश्यकताओं का समाधान करती हैं। समीक्षाएं दर्शाती हैं कि सर्वशिक्षा अभियान, "समान करने" का प्रभाव रखती है क्योंकि कमी वाले और अधिक जरूरतमंद राज्य व जिले तुलनात्मक रूप से साधन संपन्न राज्यों और जिलों की तुलना में आनुपातिक रूप से अधिक निधियां प्राप्त करते हैं।

12.19 हमने उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए सर्वशिक्षा अभियान के मानदंड और इन मानदंडों के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दिए गए राज्यवार निधिपोषण आवश्यकताओं के अनुमान अपनाए हैं। ये अनुमान उपलब्ध कराते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इन आधारों पर कि उनके अंततः राज्य के आयोजना

भिन्न बजटों का हिस्सा बनाने की जरूरत होगी, उन्होंने व्यय की आवर्ती मदों पर ही ध्यान दिया हैं। हमारे अनुमानों में इसलिए सिविल निर्माण कार्य शामिल नहीं है। हमने अपनी रिपोर्ट के अन्य भागों में किए गए पूर्वानुमानों के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए कुछ सुधार किए हैं जहां हमने निम्नानुसार केंद्र और राज्यों की आयोजना-भिन्न व्यय की आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुमानों में प्राथमिक अध्यापक के लिए न्यूनतम वेतन 5000 रूपये मासिक और प्रवर प्राथमिक अध्यापक के लिए 7000 रूपये प्रति माह माना है। सभी राज्यों में सर्वशिक्षा अभियान में नियुक्ति के तरीके और वेतनमानों में एक समान पद्धति नहीं है। कुछ राज्यों में ऐसे अध्यापकों की नियुक्त राज्य सरकारों द्वारा नियमित वेतनमानों पर की जाती है जबकि कई अन्य राज्यों में ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति स्थानीय सरकारों द्वारा स्थानीय निकाय के वेतनमान अथवा संविदा पर की जाती है। छठे केंद्रीय वेतन आयोग का कार्यान्वयन अध्यापकों के वेतनों पर ऊर्ध्वगामी दबाव डालेगा चाहे वे किसी तरह भी नियुक्त हुए हों। इसलिए हमने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इन अध्यापकों में से अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, आधार वर्ष से 30 प्रतिशत अधिक की वृद्धि कल्पित की है। हमने इन वेतनों पर 6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की व्यवस्था भी की है जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में केंद्रीय वेतन आयोग के बाद हुई वार्षिक वृद्धि की हमारी मान्यता के अनुरूप है। इसी तरह जबकि सर्वशिक्षा अभियान मुद्रास्फीति के कारण निधियों की प्रमात्रा में वार्षिक वृद्धि के लिए व्यवस्था नहीं की जाती हमने इस योजना के सभी वेतन भिन्न संघटकों में 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की व्यवस्था की है।

12.20 सर्वशिक्षा अभियान राज्यों से 15 प्रतिशत की समतुल्य निधि की आवश्यकता के चलते 2001-02 में शुरु किया गया था। 2006-07 तक समतुल्य निधि की आवश्यकता 25 प्रतिशत थी। यह प्रगामी रूप से बढ़कर 2007-08 और 2008-09 में 35 प्रतिशत और 2009-10 में 40 प्रतिशत हो गई। इसके 2010-11 में 45 प्रतिशत और 2011-12 में 50 प्रतिशत तक जाने की संभावना है, जो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष है। हम मानते हैं कि यही अनुपात पंचाट अवधि के शेष वर्षों मे बना रहेगा। अनेक राज्यों ने विशेषतया पिछले कुछ वर्षों में उनकी वार्षिक योजनाओं के आकार के बढ़ने के कारण यह समतुल्य हिस्सा उपलब्ध कराने में मुश्किलें व्यक्त की हैं।

12.21 हमारा विचार है कि मौजूदा परिस्थिति में इस जरूरत को पूरा करने के लिए राज्यों के संसाधनों को सुदृढ़ करना प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र हेतु अनुदान उपलब्ध कराने का सर्वाधिक उचित तरीका है। यह राज्यों को बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक अतिरिक्त संसाधनों का एक भाग पूरा करने में कुछ वित्तीय गुजांइश की व्यवस्था भी करेगा। हमने इस तथ्य पर भी विचार किया है कि आर्थिक मंदी के परिणामस्वरूप राज्यों द्वारा सामना किए जा रहे संसाधनों के अभाव को देखते हुए अनेक राज्य 2009-10 में अपना 40 प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध कराने में समर्थ नहीं हुए हैं। असल में, हम अनुमान लगाते हैं कि आर्थिक मंदी के प्रतिकूल प्रभाव के कारण राज्य चालू वर्ष और अगले वर्ष में अपने संसाधनों से 35 प्रतिशत से अधिक उपलब्ध कराने में समर्थन न हो सकें। इसलिए हम पंचाट अवधि के लिए प्रत्येक राज्य के सर्वशिक्षा अभियान के अनुमानित व्यय के 15 प्रतिशत के अनुदान की सिफारिश करते हैं। यह राशि ग्यारहवीं योजना के अंतिम वर्ष तक 50 प्रतिशत के राज्य के लक्षित हिस्से और 2008-09 में किए गए अपेक्षित अंशदान अर्थात अलग अलग राज्यों के सर्वशिक्षा अभियान के 35 प्रतिशत हिस्से के बीच अंतर को कवर करेगी।

12.22 पूर्वोत्तर राज्यों से अपेक्षित है कि सर्वशिक्षा अभियान के लिए अपने हिस्से के रूप में अपने संसाधनों से 10 प्रतिशत ही उपलब्ध कराएं। तथापि, जैसाकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने पूरक ज्ञापन में इंगित किया है इनमें से कई राज्य यह राशि भी उपलब्ध कराने में समर्थ नहीं हुए हैं जिस कारण सर्वशिक्षा अभियान के कार्यान्वयन में विलंब हो रहा है। इन राज्यों की वित्तीय मुश्किलों को कम करने के लिए हम 2007-08 और 2008-09 में प्रत्येक राज्य द्वारा अंशदान की गई औसत राशि और न्यूनतम 5 करोड़ रूपए प्रति वर्ष के अध्यधीन पंचाट अवधि के पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष अंशदान के लिए आवश्यक राशि (10 प्रतिशत हिस्से के आधार पर) के बीच अंतर की राशि के अनुदान की सिफारिश करते हैं। इस आधार पर पूर्वोत्तर राज्यों की आवश्यकता पांच वर्ष की अवधि में 367 करोड़ रूपये है।

12.23 सभी राज्यों के लिए प्राथमिक शिक्षा हेतु अनुशंसित कुल राशि 24,068 करोड़ रूपये रखी गई है। राज्यवार और वर्षवार आवंटन अनुबंध 12.1 में दिए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये अनुदान राज्यों के चालू व्यय को प्रतिस्थापित न करें, हम निर्धारित करते हैं कि प्राथमिक शिक्षा, अर्थात मुख्य शीर्ष 2202, उप-मुख्य शीर्ष-01, इनमें अनुशंसित अनुदानों को छोड़कर, के अंतर्गत व्यय (आयोजना+आयोजना-भिन्न) कम से कम 8 प्रतिशत बढ़ना चाहिए जो हमारे अनुमान में 2010-15 के दौरान वार्षिक रूप से पंचाट अवधि में सामाजिक क्षेत्र के वेतन-भिन्न संघटक में मानी गई वृद्धि दर है।

## पर्यावरण संबंधी अनुदान

12.24 अपनी महत्वपूर्ण सिफारिशें करने के लिए इस आयोग को दस मुद्दों को ध्यान में रखने का उत्तरदायित्व है। उस सूची में आठवां मुद्दा इस प्रकार हैः पारिस्थितिकी, पर्यावरण और सतत विकास के अनुरूप जलवायु परिवर्तन के प्रबंधन की जरूरत।

12.25 राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्य योजना 2008 में भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइआक्साइड का उत्सर्जन के 1.02 मीट्रिक टन है जो विश्व के औसत 4.2 मीट्रिक टन और चीन के 3.60 मीट्रिक टन से काफी नीचे है। इस दस्तावेज में अर्थव्यवस्था की ऊर्जा प्रधानता भी प्रदर्शित की गई है जिसमें 1980 के दशक से काफी गिरावट हुई है और इस समय यह ऐसे स्तर पर आ गई है जो सबसे कम ऊर्जा प्रधान विकसित देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है।

12.26 इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने बहुत से पर्यावरणीय जोखिम हैं जो संरचनात्मक रूप से भारत के राज्य क्षेत्र की अवस्थिति के ऐसे क्षेत्रों में होने से जुड़ी है जो जलवायु परिवर्तन, से ग्रस्त हैं; उच्च जनसंख्या घनत्व और आधे से अधिक श्रम शक्ति के प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर आर्थिक रूप से निर्भर होने वाले क्षेत्रों में है। इन जोखिमों की पहचान किए जाने और तत्काल निवारक व सुधारात्मक ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इन कार्यो में सहायता के

लिए हमने "दि एनर्जी रिसर्च इन्सटीट्यूट" और भारतीय वानिकी प्रबंधन संस्थान द्वारा क्रमशः दो अध्ययन करवाए जिनमें एक पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन तथा दूसरा वानिकी संबंधी मुद्दों के बारे में था।

12.27 जोखिम तीन प्रकार के होते हैं। वायु और जलाशयों में औद्योगिकी प्रदूषकों के अनियंत्रित निर्गमन के परिणामस्वरूप विकास से जुड़े जोखिम, पेय जल तक असमुचित पहुंच के परिणामस्वरूप अत्यधिक गरीबी से जुड़े जोखिम, पर्याप्त स्वच्छता का अभाव और खाना पकाने के लिए एकत्रित बायोमास मुक्त रूप से जलाने से उत्पन्न घर के अंदर वायु प्रदूषण। इनमें नीतिगत-प्रेरित पर्यावरणीय जोखिम भी जुड़ गए हैं जिनमें से कई राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। राज्यों में किसानों को मुफ्त बिजली की व्यापक परंपरा के परिणामस्वरूप देश के कई क्षेत्रों में भू-जल स्तर चिंताजनक रूप से गिरे हैं और इसके साथ ही निःशुल्क भू-जल के अत्यधिक अनुप्रयोग और अपर्याप्त मल जल व्यवस्था के संयोजन के कारण मृदा लवणता हुई है। कई राज्यों में सतह के सिंचाई के पानी की फसल विशिष्ट दर संरचना होती है जो फसल तटस्थ नहीं और यहां तक कि जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल प्रधान फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने के संदर्भ में अक्सर प्रतिकूल प्रोत्साहन दिया जा रहा है। भारत सरकार की कुछ नीतियों ने भी देश के सामने पर्यावरणीय जोखिम बढ़ाए हैं। शायद राष्ट्रीय उर्वरक सब्सिडी योजना इसका सर्वाधिक कुख्यात उदाहरण है। सभी पोषक तत्वों में असमान मूल्य हस्तक्षेपों के चलते विकृत पोषक मिश्रण के अनुप्रयोग के कारण मृदा की गुणवत्ता में गिरावट आई है। इन प्रभावों पर सब्सिडी की वित्तीय दंश संबंधी परिचर्चा में पहले ही संकेत दिया जा चुका है (पैरा 4.23)।

12.28 भारत के वन आर्थिक कार्यकलाप, चाहे में कृषि के हों या औद्योगिक मूल के हों परिणामस्वरूप प्रदूषण के विरूद्ध रक्षा की पहली पंक्ति का काम करते हैं। इसे मानते हुए बारहवें वित्त आयोग ने राज्यों को 1000 करोड़ रूपये के अनुदान की व्यवस्था की जिसे देश में कुल वन क्षेत्र में प्रत्येक के हिस्से के अनुसार उनके बीच बांट दिया गया। स्पष्टतया उस अनुदान को आगे चलाए रखने की परम आवश्यकता है। वनों से विभिन्न प्रकार की सेवाएं मिलती हैं। इनमें सबसे पहले कार्बन पृथक्करण; तलछट नियंत्रण और मृदा संरक्षण; भूजल पुनःपूर्ति; अत्यधिक मौसमी घटनाओं से बचाव और जैव-विविधता का परिरक्षण जैसी विनियामक सेवाएं शामिल हैं। ये सेवाएं अपनी प्रकृति से ही उन राज्यों की सीमाओं से परे उत्पन्न होती हैं जहां ये वन होते हैं। हालांकि राज्य को लाभ प्राप्त होते हैं जो अनन्य रूप से वनोत्पाद और खड़े वनों से प्राप्त मनोरंजन सेवाओं से प्रोदभूत होते हैं, इमारती लड़की काटने पर राष्ट्रीय प्रतिबंध है जो अनन्य रूप से उस राज्य के वनों के अंतर्गत जमीन पर लागू हैं जिसके क्षेत्राधिकार में ये वन आते हैं। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 ने भारत सरकार की पूर्वानुमति के बगैर वनीय भूमि का गैर-वनीय प्रयोजनों में परिवर्तन प्रतिबंधित किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 12 दिसंबर 1996 के आदेश में वनों की अवैध कटाई को प्रतिबंधित किया है और भारत सरकार से अनुमोदित वैज्ञानिक रूप से तैयार की गई कार्य योजना के अनुसार वन प्रबंधन का अधिदेश दिया है। इस कार्य योजना के निर्धारणों के भीतर ही वनों की पैदावार की अनुमति दी गई थी जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों के पेड़ काटने पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। बाहरी लाभ और आंतरिक लागतों का संयोजन स्पष्ट रूप से संघीय क्षतिपूर्ति की मांग करते हैं। तदनुसार किसी राज्य में पड़ने वाले राष्ट्रीय वनीय क्षेत्र के साथ प्रत्येक राज्य में वनीय क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर आर्थिक अशक्तता के हिस्से के लिए अंशशोधित अनुदान इन तीन पर्यावरणीय अनुदानों में से पहला है जिसके लिए व्यवस्था की गई है। ये कारक वनों के लिए निर्दिष्ट कुल अनुदान के प्रत्येक राज्य का हिस्सा आकलित करने का अध्ययन करेंगे जो अपनी कुल प्रमात्रा में अनुमानित परिधि में राज्यों को अंतरण अभिशासित करने वाले समग्र वित्तीय दबाव के भीतर निर्धारित की जाती है।

12.29 वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के परिणामस्वरूप और 2002 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में जब वनों के अंतर्गत भूमि को औद्योगिक या अन्य प्रयोजनों हेतु वनों से भिन्न प्रयोगों के लिए परिवर्तित किया जाए तो उसकी वानिकीकरण क्षतिपूर्ति हेतु राष्ट्रीय प्रावधान और निवल वर्तमान मूल्य भुगतान की पहले ही व्यवस्था है। ये भुगतान क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण को प्रवाहित किए जाने थे। वर्तमान में तदर्थ क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण है जिसमें क्षतिपूर्ति वानिकीकरण के माध्यम से और निवल वर्तमान मूल्य में जमा निधियां मौजूदा हैं। इस निकाय को अगले पांच वर्ष तक संबंधित राज्य के क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि प्रबंधक और योजना प्राधिकरण को लगभग 100 करोड़ रूपये वार्षिक जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। इस तरह एकत्रित निधियों का राज्यों को आवंटन का सिद्धान्त उस क्षेत्राधिकार के अनुसार है जिसमें वन भूमि में परिवर्तन हुआ है। राज्यों को क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के प्रवाहों जो वन भूमि के परिवर्तन हेतु राज्यों को प्रतिपूर्ति के रूप में है, यहां परिकल्पित वन अनुदान प्रत्येक राज्य में खड़े वनों की सीमा तक अंशशोधित किया गया है। यह उम्मीद है कि राज्य वनों के अंतर्गत भूमि रखने के लाभों के संबंध में देखेंगे और सक्षमता पूर्वक और प्रभावशाली ढंग से क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण से वनरोपण के लिए सीधे निधिपोषण करेंगे ताकि मौजूदा आयोग द्वारा इस प्रकार शुरु किए गए प्रावधानों का भविष्य में लाभ उठाया जा सके।

12.30 वनों द्वारा दिए गए लाभ कई कारकों का परिणाम होते हैं जिसमें, लेकिन जो इन्हीं तक सीमित नहीं है, वनों की सघनता और इनके भीतर पाई जाने वाली जैव विविधता भी सन्निहित है। आदर्शतः प्रत्येक राज्य की हकदारी में इन सबको शामिल किया जाना चाहिए था, जो इनके बढ़ते स्टाक और प्रजातियों के संघटन के संबंध में आंकड़ों के रूप में होना चाहिए था, न कि जैसा हमने किया है- घने, कम घने और खुले वन क्षेत्र के अनुसार जैसाकि भारतीय वन सर्वेक्षण ने भारतीय वनों की स्थिति की नवीनतम रिपोर्ट में सूचित किया है। यद्यपि भारतीय वनों की स्थिति रिपोर्ट 2009 राज्यवार बढ़ते स्टाक संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराती है और इनका अनुमान लघु क्षेत्र अनुमान तकनीक का प्रयोग करते हुए निकाला गया है, जबकि लघु-प्रतिदर्श क्षेत्र परिणामों का प्रयोग राज्य स्तर पर बढ़ते स्टाक हेतु अनुमान सृजित करने के लिए किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर वनों के ब्यौरेवार बीजक का अनुमान लगाने के लिए जिलों के 10 प्रतिशत के नमूने का प्रयोग किया गया है। दूसरी तरफ सघनता के अनुसार वन क्षेत्र के वर्गीकरण का डाटा काफी व्यापक है और इसे भौगोलिक सूचना प्रणाली का प्रयोग करते हुए 1 : 50,000 के पैमाने और देश के सभी प्रकार के

वनों के लिए दूरस्थ संवेदी का प्रयोग करते हुए पाया गया है। इसलिए प्रोत्साहन अनुदान के अंशशोधन के लिए वन क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र की सघनता के अनुसार वर्गीकरण करने का निर्णय लिया गया है।

12.31 वन के लिए अनुदान एक खास समय के डाटा पर आधारित है। इसके लिए प्रयोग किया गया सूत्र वर्तमान स्टाक के लिए मूलतः एक इनाम है। ऐसी उम्मीद है कि अनुदान का आकार आगे चलकर वनों के संरक्षण के लिए साधन उपलब्ध कराएगा ताकि वनों के अंतर्गत उनकी प्रमात्रा और क्षेत्र की गुणवत्ता में विगत की गिरावट को रोका जा सके और उम्मीद की जाए कि उस प्रक्रया को उलट दिया जाए। इसके अतिरिक्त ये अनुदान अधिदेशित न्यूनतम सीमा के अध्ययीन इस ढंग से समनुरूप बनाए गए हैं कि ये निधियां वनों पर किसी अतिरिक्त व्यय से सहबद्ध नहीं हैं । अधिदेशित न्यूनतम सीमा के बाहर ऐसे वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने का इरादा है जिनके द्वारा राज्य वन क्षेत्र द्वारा लगाई गई आर्थिक अशक्तता के लिए प्रतिस्थापन के रूप में वैकल्पिक कार्यकलाप चलाने में सक्षम हो सके। राज्यों के लिए एक मात्र शर्त है कि विभिन्न वन क्षेत्रों में बंटे हुए प्रत्येक क्षेत्र के लिए कार्य योजनाए विकसित करें। आरंभिक अनुदान की व्यवस्था दो वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर कार्य योजनाएं विकसित करने के लिए निधिपोषण उपलब्ध कराएगी। इस शर्त का आशय राज्य के भीतर अभिशासन क्षमता में समर्थ बनाना है ताकि अनुमान परिधि में दो वर्ष की अवधि अनुदान का बाद में प्रयोग व्यापक कार्य योजना पर आधारित हो। इससे भी महत्वपूर्ण संभावित तबाही जो जलवायु परिवर्तन से आ सकती है, के दृष्टिकोण से ये कार्य योजनाएं आने वाले समय में वन क्षेत्र में परिवर्तनों का मूल्यांकन करने के लिए बेचमार्क डाटा बेस उपलब्ध कराएंगी। प्रत्येक कार्य योजना की दस वर्ष की पारंपरिक सीमा होगी। ऐसी सोच यदि बनी रही तो मौजूदा वनों के बेहतर प्रबंधन और वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहन उपलब्ध कराएगी।

12.32 देश में वन संपदा संरक्षण के पश्चात मौजूदा पर्यावरणीय दृष्टि से प्रतिकूल नीतियों का समाधान करने की परम आवश्यकता है। चूंकि ये अर्थात उर्वरक सब्सिडी राष्ट्रीय सरकार के स्तर पर उत्पन्न होती हैं इसलिए सुधार भी राष्ट्रीय स्तर पर होगा। पूरी संभावना हैं कि भारत सरकार पोषाहार-आधारित सब्सिडी रूप अपनाएगी जिसका मृदा गुणवत्ता में और ह्रास से बचने के संदर्भ में ही सराहनीय प्रभाव नहीं होगा बल्कि इस सब्सिडी पर व्यय होने वाले वित्तीय संसाधनों की मात्रा पर भी असर पड़ेगा। अध्याय 6 में केंद्रीय वित्त साधनों के सांकेतिक अनुमान तदनुसार उर्वरक सब्सिडी के स्तर को चरणबद्ध तरीके से 2014-15 में नीचे लाएँगे जो 2009-10 की बजटीय व्यवस्था का लगभग पांचवां हिस्सा है।

12.33 लेकिन नीति संबंधी अनेक जोखिम भारतीय संघीय ढांचे में राज्यों के निर्णय क्षेत्र में आते हैं। लेकिन सिद्धान्ततः इससे सभी राज्यों में जोखिम की श्रेणी में अंतर के अवसर रहते हैं, आश्चर्यजनक रूप से सभी राज्यों में जबरदस्त प्रवृतियां व्याप्त हैं। नीचे के पैराओं में सुधार प्रोत्साहित करने की जिम्मेवारी के लिए राज्य स्तर पर नीतिगत जोखिम की प्रमुख श्रेणियों में प्रत्येक की पड़ताल की गई। जहां केंद्रीय प्रायोजित या केन्द्रीय आयोजना स्कीमों में पहले ही प्रोत्साहन-संरूप योजना है वहां हमने कोई प्रोत्साहन नहीं बढ़ाया है। यह सिर्फ पुनरावृति से बचने के लिए किया गया और सुस्पष्ट रूप से उस क्षेत्र में नीतिगत सुधार की जरूरत को कमजोर करने के लिए नहीं किया गया।

12.34 बिजली के मूल्य निर्धारण जिन पर राज्यों को पूरा निर्णय लेने की छूट है, कई राज्यों में राज्य बिजली विनियामकों द्वारा अनुशंसित मूल्य निर्धारण ढांचे की अवहेलना करने की राजनैतिक मजबूरियां है। कुछ राज्यों ने तो सात वर्ष से अपने टैरिफ ढांचे में संशोधन नहीं किया है। राज्यों की विद्युत सेवाओं जो अधिकतर राज्यों में राज्य के स्वामित्व में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं, परन्तु इनके लेखे राज्य के बजट से अलग हैं, पर असंशोधित टैरिफ द्वारा डाले गए भार को स्वीकारते हुए 2003 से बिजली अधिनियम के अंतर्गत राज्यों से अपेक्षित है कि इन सेवाओं की प्रतिपूर्ति करें, यदि किसी भी श्रेणी के उपभोक्ता के लिए लागू टैरिफ विनियामक द्वारा निर्धारित टैरिफ के कम रहता है। हमने अध्याय 7 में विद्युत क्षेत्र की हानियों और निधिपोषण जरूरतों का विस्तार से वर्णन किया है। पुनर्संरचरित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम में सकल पारेषण और वाणिज्यिक हानियों में कमी करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। इस प्रणाली के भीतर तकनीकी और वाणिज्यिक अक्षमताओं, दोनों में सुधार के लिए लागू प्रोत्साहन योजना को देखते हुए, यद्यपि यह शहरों तक सीमित है, पर्यावरण अनुदानों के हमारे पैकेज में विद्युत क्षेत्र में आपूर्ति दक्षता सुधारने के लिए कोई स्पष्ट प्रोत्साहन शामिल नहीं किए गए हैं।

12.35 बिजली के गलत मूल्य निर्धारण के अलावा अनेक पर्यावरणीय जोखिमों पर ध्यान देना है जिनमें कोयला-आधारित ताप बिजली उत्पादन, जो कुल उत्पादन का 60 प्रतिशत है, पर निर्भरता कार्बन डाइआक्साइड के उत्सर्जन का बड़ा कारक है। इसके अतिरिक्त, भारतीय कोयले में राख का तत्व ज्यादा है और अध्ययनों से अनुमान लगाया गया है कि निष्कर्षित राख के निपटारे के लिए अपेक्षित जमीन स्थापित क्षमता के लगभग एक एकड़ प्रति मेगावाट है। नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन हेतु निजी क्षेत्र के प्रवेशकर्ताओं को कुछ कर प्रोत्साहन प्राप्त हैं परन्तु नवीकरणीय स्रोतों से स्वच्छ विद्युत उत्पादन प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन देने की कोई व्यवस्था नहीं है।

12.36 इस प्रकार हमारे तीन पर्यावरणीय अनुदानों में दूसरा नवीकरणीय स्रोतों से ग्रिड बिजली के उत्पादन हेतु भावी प्रोत्साहन है। इस अनुदान की संरचना इस ढंग से की गई है कि जो राज्य नवीकरणीय विद्युत उत्पादन क्षमता से हमारी अनुमान परिधि के पहले चार वर्ष के दौरान ग्रिड में आते हैं उन्हें इनाम मिलेगा। ये इनाम यहां अनुशंसित प्रोत्साहन के प्रत्युत्तर में राज्यों को पर्याप्त समय देने के पश्चात वित्त वर्ष 2014-15 से शुरू किए जाएंगे।

12.37 भूजल के संदर्भ में खतरनाक स्थिति अंशतः कृषि के लिए बिजली के कम मूल्य का परिणाम है जिसके परिणामस्वरूप इस दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन का अकुशल अति प्रयोग हो रहा है। इसके अतिरिक्त, जल प्रयोग के प्रति घन मीटर औद्योगिक उत्पादन अंतरराष्ट्रीय मानकों की तुलना में बहुत कम है। ऐसा कोई भी मार्ग नहीं है जिससे भूजल स्तरों में और गिरावट से बचने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके सिवाय इस अनुमान परिधि के दौरान प्रवाह में आने वाले भूजल संबंधी आंकड़ों पर आधारित भावी प्रोत्साहन। संबंधित अधिकारियों से हमारे विचार विमर्श ने यह निर्णय लेने के लिए मार्ग प्रशस्त किया कि इस

प्रकार के आंकड़े ऐसे अनुदान की प्रभावी अभिकल्पना के लिए अपेक्षित नियमित आवधिकता पर उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। तथापि, भूमिगत जल के पुनर्भरण के लिए जलसंभर विकास के संदर्भ में अब तक हो चुके क्षय को रोकने की तत्काल आवश्यकता है। चूंकि इन मुद्दों पर ध्यान देने के लिए अनेक केंद्रीय और केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं पहले से ही हैं इसलिए हमारे अनुदान प्रावधानों में कोई अतिरिक्त सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए हैं।

12.38 भूतल जल सिंचाई के संबंध में भी नीतिगत सुधार किए जाने की तत्काल आवश्यकता है। यहां समस्याओं का कारण है सिंचाई तंत्रों के खराब रखरखाव, किसानों से प्रयोक्ता प्रभारों की सही ढंग से वसूली न किया जाना, जिसके परिणामस्वरूप पुनः रखरखाव में ही विकृति आती है, और सिंचाई प्रशासन विभागों में कर्मचारियों की जरूरत से ज्यादा संख्या का होना कि सिंचाई व्यवस्था पर किया गया व्यय सुपुर्द की गई सेवाओं के संदर्भ में आनुपातिक नहीं बैठता। इस सबका परिणाम खराब संग्रहण अनुपालन में दिखाई देता है। जलाभाव वाले क्षेत्रों में जल-प्रधान फसलें उगाने को प्रोत्साहित किए जाने के संदर्भ में फसल-विशिष्ट दर संरचना की विकृत प्रोत्साहन व्यवस्था की ओर पहले ही इशारा किया जा चुका है।

12.39 इस तरह, हमारे अनुदान प्रावधानों का एक तिहाई हिस्सा राज्यों को प्रोत्साहित करने के प्रयोजनार्थ है ताकि वे जलक्षेत्र के लिए स्वतंत्र विनियामक तंत्र स्थापित करें और सिंचाई तंत्रों का बेहतर रखरखाव करें। बेहतर रखरखाव और सुपुर्दगी के चलते, साथ ही साथ उस निविष्टि के रूप में वसूली में बेहतरी होना जरूरी है जिसे सार्वजनिक रूप से दिया जाता है लेकिन जो प्रक्रिया में शामिल नहीं है और प्रतिद्वंद्वी भी है तथा इसलिए यह प्रयोक्ता प्रभारों (सांकेतिक रूप से निर्धारित) के प्रति, जो रखरखाव को कवर करते हैं, अनुकूल है। चूंकि इस क्षेत्र की अनेक समस्याएं प्रयोक्ता प्रभारों की संरचना एवं स्तर के मुद्दे पर तकनीकी रूप से योग्य व्यक्तियों द्वारा व्यवस्थित ध्यान न दिए जाने के कारण उपजी हैं, इसलिए यह अनुदान प्रावधान राज्यों द्वारा 2011-12 तक स्वतंत्र जल विनियामक प्राधिकरण की स्थापना किए जाने की शर्त के अध्यधीन है। अगस्त 2005 में स्थापित महाराष्ट्र जल संसाधन विनियामक प्राधिकरण अन्य राज्यों के लिए संभावित माडल के रूप में कार्य करता है। यह आशा है कि इस प्रकार के स्वतंत्र निकाय से जल प्रयोक्ता एसोसिएशनों को प्रोत्साहन मिलेगा जो अपने सदस्यों के बीच जल प्रयोग को स्वतःविनियमित करेंगी और जल निकायों के रखरखाव को विकेंद्रित करेंगी तथा इसमें वित्तपोषण प्रयोक्ता से स्थानीय रूप से वसूल किए गए प्रभार होंगे जिससे लागत वसूली के साथ अनुपालन में बेहतरी भी होगी। इन प्रयोक्ता समुदायों की सिफारिश करते समय हम 2009 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता एलिनार आस्ट्रम के कार्य की तर्ज पर चल रहे हैं।

12.40 भारत में पर्यावरणीय प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कानूनों की विस्तृत कानूनी संरचना है। इस संदर्भ में सबको प्रभावित करने वाले कानून पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 है जो विश्व में घटित भयंकरतम औद्योगिक दुर्घटना 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के बाद लाया गया। राष्ट्रीय कानूनों का जाल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) द्वारा प्रवृत्त और मानीटर किया जाता है लेकिन दुर्भाग्यवश वे आशा के अनुसार इन कानूनों को उस तरीके से एवं उस सीमा तक लागू करने में असमर्थ रहे हैं। पिछले वर्षों में अनेक राष्ट्रीय समितियों और अध्ययन समूहों ने एसपीसीबी के कार्यकरण की जांच की है। उन्होंने एसपीसीबी के सामने अनेक अक्षमताओं की पहचान की है जिनमें से एक है-अनेक राज्यों में वाहनों से हुए प्रदूषण का उनके कार्यक्षेत्र से बाहर होना। अन्तरराज्यीय प्रदूषण संबंधी बाह्य कारकों का भी एक बड़ा मुद्दा है जिसका एक उदाहरण है-किसी अन्य राज्य की नगरपालिका में आने वाले नदी में अपवाही तंत्र में अनुपचारित मल-जल गिराना। कुल मिलाकर, प्रदूषण नियंत्रण का मुद्दा, जिसकी राष्ट्रीय कानूनी संरचना के लिए अंतरराज्यीय और आंतरराज्यीय प्रवर्तन की जरूरत है, बेहतर होगा कि इसे समन्वित और वित्त पोषित करने के लिए राष्ट्रीय सरकार को ही दायित्व दिया जाए। राज्यों में औद्योगिक निकायों के साथ हुई हमारी बैठकों से यह बात सामने आई है कि भारतीय उद्योग जगत को अभी "प्रदूषणकर्ता भुगतान करे" का सिद्धान्त अभी समझ में नहीं आया है। जब तक यह संदेश भारतीय उद्योग द्वारा आत्मसात नहीं कर लिया जाता, प्रदूषण नियंत्रण को भारत में कारोबार करने में एक अनावश्यक रूकावट, यहां तक कि अन्यायपूर्ण घटक ही माना जाएगा। एसपीसीबी को आम नागरिक के अधिकारों के सुविधाकर्ता के रूप में देखा जाना चाहिए न कि उद्योगपतियों के अधिकारों के मार्ग में बाधा के रूप में।

12.41 पर्यावरण के संबंध में नीतिगत जोखिम विशेष रूप से स्थानीय स्तर पर नहीं देखा जाता, हालांकि इसके कुछ उदाहरण अवश्य हैं, जैसेकि जहां नगरपालिका जोनिंग के कानूनों का उल्लंघन किया जाता है और जल निकासी चैनलों पर इमारतें खड़ी कर दी जाती हैं जिससे मानसून के दौरान शहरी बाढ़ के रूप में भंयकर परिणाम सामने आते हैं। इन अपवादों के रहते हुए भी, स्थानीय निकाय स्वयं नीति संबंधी पर्यावरणीय जोखिम के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हालांकि स्वच्छता, मल-जल निपटान और ठोस अपशिष्ट पदार्थ निपटान और उपचार के स्थानीय स्तर पर बरती गई लापरवाही से जन-स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों के अलावा, भूमिगत जल के प्रदूषण के रूप में गंभीर पर्यावरणीय खतरे भी पैदा होते हैं।

12.42 हमने स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले अनुदानों में भारी बढ़ोतरी की है और इन अनुदानों को पिछले वर्ष के विभाज्य पूल के हिस्से में मिला दिया है (अध्याय 10)। वित्तपोषण के इस वर्धित स्तर के कारणों में से एक कारण स्थानीय निकायों को पर्यावरण के जोखिमों को कम करने के लिए समर्थ बनाना है। उस अध्याय में स्थानीय अनुदानों से प्रयोग संबंधी शर्तों को नहीं जोड़ा गया है क्योंकि प्रयोग प्रमाणीकरण को पिछले आयोगों द्वारा किए गए वित्तपोषण संबंधी प्रावधानों के स्थानीय निकायों के पास आने वाले नियमित प्रवाहों में बाधा खड़ी करते हुए पाया गया है। यद्यपि प्रयोग पर कड़े नियम नहीं लागू किए गए हैं, यह आशा की जाती है कि स्थानीय निकायों के लिए उल्लेखनीय रूप से वर्धित वित्तपोषण से उन अत्यधिक अपर्याप्त स्वच्छता स्थितियों से मुक्ति मिलेगी जो देश में बहुसंख्यक मानव बसावटों में फैली हैं।

12.43 अंततः यद्यपि अक्षय ऊर्जा उत्पादन हेतु हमारा अनुदान ग्रिड क्षमता पर राज्य-स्तर पर लक्षित है, ग्रिड से बाहर अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए स्थानीय निकायों के पास लघु-स्तरीय तकनीकी विकल्प मौजूद हैं। इन्हें ग्रिड में भी लगाया जा सकता है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में ओडनथुराई गांव पंचायत द्वारा स्थापित 350 किलोवॉट क्षमता की पवन चक्की का हमेशा उद्धृत किया जाने वाला उदाहरण सामने है। यह पवन चक्की प्रति वर्ष 7.5 लाख यूनिट विद्युत तैयार करती है जिसमें से 4.5 लाख यूनिट पंचायत प्रयोग में लाती है जबकि शेष राज्य बिजली बोर्ड (एसईबी) ग्रिड को बेची जाती है जिससे पंचायत को 19 लाख रुपये की वार्षिक आय प्राप्त होती है। हालांकि ये स्थितियां सभी जगह लागू नहीं हो सकती। यह उदाहरण यह प्रदर्शित करता है कि इस आयोग द्वारा किए गए वित्तपोषण के कई प्रावधान राज्यों को स्थानीय सरकारों की भागीदारी से संपोषणीय और समावेशी विकास के अनुरूप अपनी पारिस्थितिकी और पर्यावरण के प्रबंधन में समर्थ करेगा।

12.44 निम्नलिखित खंड हमारे द्वारा पिछले पैराओं में वर्णित तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुशंसित विशिष्ट अनुदानों के बारे में है।

## वन संबंधी अनुदान

12.45 वन संबंधी सूत्र तीन कारकों पर विचार करने के लिए बनाया गया है। किसी विशेष राज्य में आने वाला देश के कुल वन क्षेत्र का हिस्सा स्पष्ट तौर पर तीन कारकों में से पहला है। इसे उन राज्यों में और अधिक बढ़ाया गया है जहां राज्य के कुल क्षेत्र में वन क्षेत्र का हिस्सा राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इस बढ़ोतरी से वन क्षेत्र से उपजी आर्थिक अक्षमता की प्रतिपूर्ति होगी। प्राप्त की गई प्रत्येक राज्य की हकदारी तीसरे कारक जो घनता द्वारा यथामापित प्रत्येक राज्य में वन की गुणवत्ता है, से तौली गई है। यह भार कम घने और घने वन क्षेत्र के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए अधिक है। वन आच्छादित क्षेत्र और घनता संबंधी सभी आंकड़े एसएफआर-2009 (2007 से संबंधित आंकड़े) में स्पष्ट तौर पर प्रस्तुत किए गए हैं। इस प्रकार, सभी राज्यों में वन संबंधी अनुदानों का आपसी आवंटन निम्नलिखित सूत्र द्वारा किया गया है :

$$G_i = \frac{\left[\left\{\frac{F_i}{\Sigma F_i} + R_i\right\} \times \left\{1 + \left(\frac{M_i + 2H_i}{A_i}\right)\right\}\right]}{\sum_{i=1}^{n} \left\{\frac{F_i}{\Sigma F_i} + R_i\right\} \times \left\{1 + \left(\frac{M_i + 2H_i}{A_i}\right)\right\}}$$

जहां

$G_i$: राज्य का हिस्सा *i*

$A_i$: राज्य का भौगोलिक क्षेत्र *i*

$F_i$: राज्य का कुल वन क्षेत्र *i*

$M_i$: राज्य का कम घना वन क्षेत्र *i*

$H_i$: राज्य का अधिक घना वन क्षेत्र *i*

$$R_i = \max\left[0, \left\{\frac{F_i}{A_i} - \frac{\Sigma F_i}{\Sigma A_i}\right\}\right]/100]$$

12.46 हमने इस प्रयोजनार्थ 5,000 करोड़ रुपए के अनुदान का आवंटन किया है। वर्ष-वार आवंटन तथा कुल अनुदान में राज्य का हिस्सा अनुबंध 12.2 में दिया गया है।

12.47 प्रथम दो वर्षों के लिए अनुदान बिना शर्त है। हालांकि राज्य में सभी वन प्रभागों हेतु कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पंचाट अवधि के शेष तीन वर्षों के लिए राज्य की हकदारी के अंतर्गत अनुदान जारी करना अनुमोदित कार्य योजनाओं की संख्या से संबद्ध होता है। जारी किए गए कुल अनुदान में से राज्यों द्वारा विकास के प्रयोजनार्थ 75 प्रतिशत प्रयुक्त किया जा सकता है। इन तीन वर्षों में अनुदान का शेष 25 प्रतिशत वन संपदा के संरक्षण के लिए और वानिकी के विकास और वन्यजीव के लिए राज्यों के बजट में अतिरिक्त तौर पर होता है। पंचाट अवधि के अंतिम तीन वर्षों में अनुदानों की निर्मुक्ति निम्नलिखित निर्मुक्ति तथा निगरानी तंत्र के अध्यधीन होगा :

i) ये अनुदान कार्य योजनाओं के अनुमोदन पर प्रगति से संबद्ध होंगे। यह संपूर्ण राशि राज्य की कार्य योजनाओं के 80 प्रतिशत से अधिक के अनुमोदन के पश्चात् जारी की जानी चाहिए। इसे हासिल करने तक निर्मुक्ति अनुमोदित कार्य योजनाओं की संख्या और राज्य की कार्य योजनाओं की संख्या के 80 प्रतिशत के अनुपात में होगी।

ii) अनुदानों का 25 प्रतिशत अनुबंध 2.3 में अनुमानित आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (एनपीआरई) से अधिक होगा तथा जैसाकि उसमें स्पष्ट किया गया है, उसे मानीटर किया जाएगा।

12.48 पर्यावरण और वन मंत्रालय भारतीय वन सर्वेक्षण को बढ़ते स्टाक तथा संबंधित मापदंडों जैसे जैव-विविधता तथा गैर-काष्ठ वन उपज संबंधी सूचना के लिए एक समान मालसूची अभिकल्प विकसित करने का कार्य सौंपेगा। इससे जलवायु परिवर्तन के प्रशमन में देश की वन संपदा की भूमिका में स्पष्टता लाने में मदद मिलेगी तथा भविष्य में अधिक सुदृढ़ मापदंडों पर राजकोषीय अंतरण की नींव रखने में भी मदद मिलेगी।

12.49 कई पूर्वोत्तर राज्यों में अधिकतर वन क्षेत्रों पर निजी/सामुदायिक नियंत्रण है। संबंधित राज्य सरकारें कार्य योजनाओं के माध्यम से इन वनों के प्रबंधन में सुविधाकर्ता की भूमिका अदा करें।

## ग्रिड से जुड़ी अक्षय ऊर्जा के लिए प्रोत्साहन

12.50 विद्युत क्षेत्र में ग्रीन हाऊस गैसों में कमी लाने की भारी संभावनाएं हैं। इस प्रकार, निर्मल ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्यों

को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के साथ हम अक्षय स्रोतों से ग्रिड बिजली उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहन अनुदान की सिफारिश करते हैं। हमने इस प्रयोजनार्थ 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है।

12.51 इस अनुदान को निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करने के पश्चात यह स्वरूप दिया गया है :

i) अक्षय स्रोत कुछ राज्यों तक ही सीमित है। अक्सर राज्य क्षमता की निश्चित सीमा हासिल करते हैं और उसके बाद अधिक विकास को बढ़ावा देने में अनिच्छुक रहते हैं। यह खासकर पवन ऊर्जा के मामले में सही है।

ii) कई राज्यों में कम अथवा नगण्य संभावना है।

iii) उपभोक्ता राज्य बिजली उत्पन्न करने वाले राज्यों से दूर स्थित हैं। उपभोक्ता राज्यों में बाजार में पहुंच बनाना एक मुद्दा है।

iv) हालांकि कानून के तहत अक्षय क्रय बाध्यता (बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 86) स्थापित करना जरूरी है, फिर भी राष्ट्रीय स्तर का कोई लक्ष्य स्थापित नहीं है। हालांकि राज्य स्तर पर कुछ राज्य बिजली विनियामक आयोगों (एसईआरसी) ने इस संबंध में कार्रवाई शुरू की है तथा ये अक्षय ऊर्जा बाध्यता लक्ष्य राज्य स्तर पर निर्धारित किए जा रहे हैं।

v) अक्षय ऊर्जा स्रोतों की लागत अक्सर पारंपरिक स्रोतों की लागत से अधिक होती है। इससे नकदी की तंगी वाले राज्य इन स्रोतों से खरीदने में अनिच्छुक रहते हैं।

12.52 इन कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए हमने प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों का प्रस्ताव किया है, जिसका लक्ष्य राज्य के अक्षय ऊर्जा स्रोतों का व्यापक विकास करना है।

i) यह प्रोत्साहन 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2014 तक मेगावाट में अक्षय ऊर्जा क्षमता संयोजन में राज्यों की उपलब्धियों पर आधारित होगा।

ii) इस प्रोत्साहन घटक में दो उप-घटक होंगे :

क) हासिल न किए गए विभव से संबंधित स्थापित क्षमता संयोजन (चार वर्ष की अवधि में) में उपलब्धि के लिए प्रोत्साहन। इसे 25 प्रतिशत भार दिया जाएगा। इस कारक पर इस तथ्य को देखते हुए विचार किया गया है कि अक्षय ऊर्जा विभव असमान वितरित किया जाता है। निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया गया है :

$$\frac{CA_i}{\sum_{i=1}^{28} CA_i}$$

जहां $CA_i = \dfrac{X_i}{Y_i - A_i}$

$i$ वें राज्य के लिए

$CA_i$ = 31 मार्च 2009 स्थिति के अनुसार हासिल न की गई क्षमता के प्रतिशतांक के रूप में हासिल किया गया क्षमता संयोजन

$X_i$ = 2010-14 के दौरान प्रतिष्ठापित क्षमता संयोजन

$A_i$ = 31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार प्रतिष्ठापित क्षमता में कुल उपलब्धि

$Y_i$ = एमएनआरई द्वारा यथा निर्धारित कुल अक्षय ऊर्जा विभव

कोई खास राज्य जिसकी 31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार अक्षय ऊर्जा की प्रतिष्ठापित क्षमता में कुल उपलब्धि उसके अक्षय ऊर्जा की कुल संभावना के बराबर है अथवा अधिक है, के लिए हम उस राज्य की तरह ही अंक देंगे जो 1 अप्रैल 2010 तथा 31 मार्च 2014 के बीच हासिल न की गई कुल क्षमता के प्रतिशतांक के रूप में सबसे अधिक क्षमता हासिल करेंगे।

ख) सभी राज्यों में कुल प्रतिष्ठापित क्षमता संयोजन से संबंधित प्रतिष्ठापित क्षमता संयोजन (चार वर्ष की अवधि में) में उपलब्धि के लिए प्रोत्साहन। इसे 75 प्रतिशत भार दिया जाएगा ताकि त्वरित क्षमता संयोजन सुनिश्चित किया जा सके। निम्नलिखित सूत्र प्रयोग में लाया गया है :

$$\frac{X_i}{\sum_{i=1}^{28} X_i}$$

iii) हम प्रोत्साहन पुरस्कार पर निम्नलिखित तरीके से अधिकतम सीमा लगाने की सिफारिश करते हैं :

क) आम श्रेणी के राज्यों के लिए 1.25 करोड़ रुपये/xi मेगावाट की अधिकतम सीमा

ख) विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए पहुंच तथा अनुवर्ती लागत असमर्थता से संबंधित कारकों के लिए 1.50 करोड़ रुपये/xi मेगावाट की अधिकतम सीमा

iv) निष्पादन समीक्षा भारत सरकार द्वारा राज्यों के क्षमता संयोजन पर प्रकाशित किए गए आंकड़ों के आधार पर होगी।

v) प्रतिष्ठापित क्षमता संयोजन में हासिल की गई उपलब्धि बिजली उत्पन्न करने के किसी/सभी अक्षय ऊर्जा स्रोतों (नामशः पवन, बायोमास, लघु जलस्रोत, बेगासी आधारित सहनिर्माण, भूतापीय ऊर्जा तथा नवीन तथा अक्षय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 'अक्षय ऊर्जा' के रूप में परिभाषित कोई अन्य स्रोत के कारण हो सकता है।

vi) राज्य अक्षय ऊर्जा के विकासकर्ताओं/परियोजनाओं को प्रतिस्पर्धी विद्युत बाजार में पहुंच बनाने की अनुमति दे। ऐसी पहुंच के लिए किसी भी रूप में लगाया गया प्रभार केंद्रीय बिजली विनियामक आयोग द्वारा ऐसे बाजार पहुंच के लिए मार्गदर्शन के तौर पर विनिर्दिष्ट स्तरों से अधिक न हो।

vii) अक्षय ऊर्जा के लक्ष्यों के लिए प्रयोज्य पारेषण प्रभार और हानि 0.25 रुपये/किलोवाट प्रति घंटा तथा 5 प्रतिशत के स्तर से अधिक न हो, अथवा यदि सीईआरसी ने सिफारिश की हो तो राज्य पारेषण केंद्र में क्रियान्वित तर्कसंगत वैकल्पिक पारेषण मूल्य निर्धारण ढांचा (कनेक्शन टैरिफ बिन्दु सहित) ऐसी सिफारिश के 12 माह के भीतर होना चाहिए।

12.53 राज्यों द्वारा परिणाम हासिल करने संबंधी ब्यौरा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत करने पर मंत्रालय प्रोत्साहन पुरस्कार संवितरित करने से पहले एमएनआरई से आंकड़ों की वैधता की मांग कर सकता है। यह वैधता हासिल की गई उपलब्धियों पर उपलब्ध आम सूचना पर आधारित होगी तथा नीतिगत उपायों के पर्याप्त प्रमाण क्रियान्वित किया जाना अपेक्षित है।

12.54 ग्रिड से संयुक्त अक्षय ऊर्जा निर्मिती के लिए हमारे द्वारा प्रस्तावित प्रोत्साहन केंद्र तथा राज्य सरकारों के मौजूदा प्रोत्साहनों से अधिक होगा। xi के कल्पित परिगणन का नमूना अनुबंध 12.4 में दिया गया है।

## जल क्षेत्र प्रबंधन के लिए अनुदान

12.55 जल प्रयोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों में अंतर क्षेत्रक तथा आंतर-क्षेत्रक में जल का अविवेकपूर्ण वितरण, कम जल प्रयोग की कार्य क्षमता, जल संसाधन योजना तथा विकास में खंडित दृष्टिकोण, कम जल प्रयोग प्रभार तथा बिल्कूल कम वसूली ऐसी प्रमुख समस्याएं हैं जो देश में जल संसाधन प्रबंधन से जुड़ी हैं। राज्य स्तर पर एक सांविधिक स्वायत्त संस्था इस मुद्दे के समाधान में मदद कर सकती है।

12.56 हम प्रत्येक राज्य में जल विनियामक प्राधिकरण तथा जल प्रभार की वसूली का विशिष्ट न्यूनतम स्तर रखने की सिफारिश करते हैं। प्रस्तावित विनियामक प्राधिकरण को निम्नलिखित कार्य दिए जा सकते हैं :

i) जल टैरिफ प्रणाली तथा घर, कृषि, उद्योग तथा अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूतल और भूमिगत जल हेतु प्रभार नियत और विनियमित करना।

ii) प्रयोग की विभिन्न श्रेणियों के साथ-साथ प्रयोग की प्रत्येक श्रेणी के भीतर हकदारी का वितरण निर्धारित और विनियमित करना।

iii) जल क्षेत्र की लागत और राजस्व की समय-समय पर समीक्षा करना और मॉनीटर करना।

12.57 इस प्रयोजनार्थ 5,000 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन अनुदान की सिफारिश की जाती है। राज्यों को दिया जाने वाले इस प्रोत्साहन अनुदान का आपसी आवंटन दसवीं योजना के अंत में सिंचाई (मुख्य शीर्ष 2700/2701 और 2702 के तहत) पर सभी राज्यों पर किए गए कुल एनपीआरई व्यय में उनका संबंधित हिस्सा तथा सभी राज्यों में प्रयुक्त सिंचाई संभावना में उनके हिस्से के अनुपात में होगा। इन दोनों हिस्सों के प्रत्येक हिस्से को समान भार दिया जाता है। यह राशि 2011-12 से 2014-15 तक चार वर्षों की अवधि में दो समान किस्तों में जारी की जाएगी। राज्यों को इन निधियों को प्रयोग में लाने के लिए आवश्यक तैयारियां करने हेतु एक वर्ष का समय दिया जाता है। जल क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन सहायता अनुदान के तौर पर सिफारिश की गई राज्य-वार राशि अनुबंध 12.5 में दर्शाई गई है।

12.58 अनुदान जारी करना निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :

i) राज्य 2011-12 तक जल विनियामक प्राधिकरण स्थापित करे और 31 मार्च 2012 तक अधिसूचित करे। यद्यपि, सिंचाई क्षेत्र के छोटे आकार के कारण यह शर्त असम छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों पर लागू नहीं होगी।

ii) हमने 2009-10 (ब.अ.) के लिए एनपीआरई (मुख्य शीर्ष 2700, 2701 और 2702) के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियों (मुख्य शीर्ष 0700, 0701 तथा 0702) के आधार पर विशेष श्रेणी तथा सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए पृथक रूप से सिंचाई के लिए दरों की वसूली का परिकलन किया हैं (अनुबंध 12.6)। इन दरों के आधार पर 2011-12 से 2014-15 तक की अवधि के लिए राज्य-विशिष्ट वसूली दरों का नियामक के तौर पर अनुमान लगाया गया है। राज्यों को अनुदान हेतु पात्रता हासिल करने के लिए अनुमानित वसूली दरें हासिल करना जरूरी है।

iii) जल क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन अनुदान राज्यों द्वारा व्यय किए जाने वाले सामान्य अनुरक्षण व्यय के अतिरिक्त हैं। ये अनुदान अनुबंध 12.7 में दी गई शर्तों के अनुरूप जारी किए जाएंगे और व्यय किए जाएंगे।

iv) जहां राज्य जल विनियामक प्राधिकरण वसूली दरों को अधिदेशित करता है, ये दरें पात्रता और अनुदान जारी करने के प्रयोजन से उस खास राज्य के लिए हमारे द्वारा निर्धारित वसूली दरों का स्थान लेगी। यदि कोई राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिदेशित जल प्रभारों का कम से कम 50 प्रतिशत वसूल करता है तो वह अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

## परिणाम में सुधार के लिए अनुदान

12.59 आयोग से अपेक्षा की जाती है कि वह सिफारिशें करते समय सरकारी व्यय की गुणवत्ता में सुधार करने की जरूरत पर विचार करें ताकि बेहतर परिणाम और निष्पादन प्राप्त किए जा सकें।

12.60 इस अधिदेश का कार्य क्षेत्र व्यापक है। पूरा सरकारी व्यय नीतिगत निर्णयों पर निर्भर करता है। नीति से योजना, कार्यक्रम, व्यय, उत्पादन तथा परिणाम में रूपांतरण लगातार कदम उठा जाने पर होता है। नीतिगत निर्णय अपने आप में परिणाम में महत्वपूर्ण होता है। हमने पिछले अध्यायों में केंद्र और राज्य की वित्त व्यवस्था पर चर्चा करते हुए उन नीतिगत निर्णयों की खूबियों की समीक्षा की हैं जिनका हमारे सामान्यीकरण की प्रक्रिया के भाग के तौर पर महत्वपूर्ण राजकोषीय प्रभाव है। इसलिए हम यहां उनकी जांच नहीं करेंगे। परिणामों के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए हमने अपने आप को उन तौर-तरीकों के विश्लेषण तक सीमित रखा है जिनके माध्यम से सरकारी व्यय को वांछित परिणाम में तब्दील किया जाता है। हमने तीन मुद्दों की पहचान की हैं जिनका समाधान किए जाने की आवश्यकता है : (i) यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि अभिप्रेत व्यय लक्षित समूह तक पहुंच सके;

(ii) यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि व्यय में निविष्टियों का सही मिश्रण हो (iii) यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि सेवा प्रदाता के पास अपेक्षित क्षमता है तथा उसे वांछित मानक पर सेवा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रोत्साहित किया गया है। प्रथम मुद्दा अत्यावश्यक है क्योंकि लाभों की गुंजाइश से अलक्षित समूहों का हटाना कार्यक्रम के फोकस को बेहतर करता है तथा उसके अभिप्रेत प्रभाव को कम किए बिना व्यय घटाता है। दूसरा मुद्दा महत्वपूर्ण है क्योंकि सेवा केवल स्वीकार्य स्तर पर तभी मुहैया की जा सकती है यदि उसके सभी आवश्यक घटक मौजूद हों तथा 'अस्पताल में डाक्टर हैं किन्तु दवा नहीं' जैसी स्थितियां न हों। तीसरा मुद्दा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सेवा प्रदाता की सेवा मुहैया कराने की क्षमता तथा वांछित मानक पर ऐसा करने की उसकी इच्छा पर विचार किया जाता है। परियोजना के क्रियान्वयन में होने वाला विलम्ब, प्रचालनगत कार्यक्षमताएं बेहतर करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का दोहन करने की अक्षमता, विस्तार अधिकारियों का संगत प्रशिक्षण न देना तथा डॉक्टरों का अच्छी सेवा न देना, ये इस समस्या के कुछ लक्षण हैं। मानीटरिंग, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन तथा जवाबदेही के लिए ढांचा न होना इस स्थिति की विशेषता है।

12.61 हम सचेत हैं कि ऊपर चिह्नित सभी तीनों मुद्दों का समाधान करके उत्पादन और परिणाम बढ़ाने का कार्य व्यापक रूप से आयोग द्वारा नहीं किया जा सकता है। भारत सरकार ने अपने फ्लैगशिप कार्यक्रमों के प्रभाव का साथ-साथ मूल्यांकन करने के लिए एक स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय (आईईओ) के सृजन की अपनी मंशा हाल ही में जाहिर की है। आईईओ की रिपोर्ट जनता के समक्ष प्रस्तुत करने प्रस्ताव है। यह एक उत्कृष्ट पहल है जिसका लक्ष्य मानीटरिंग और फीडबैक लूप को ठीक रखना है। इस आयोग ने अपनी ओर से इस अध्याय में कहीं चर्चित हमारे अनुरक्षण तथा पर्यावरणीय अनुदानों के माध्यम से सरकारी व्यय के उचित संघटक को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। इस प्रकार, हम इस खंड में अपने आप को उन तीन क्षेत्रों तक ही सीमित रखते हैं जहां पहले चिह्नित मुद्दों का सीमित तरीके से समाधान किया गया है। ये क्षेत्र हैं : (i) सरकारी व्यय को लक्ष्य बनाने के लिए प्रोत्साहन ढांचा तैयार करना; (ii) सरकारी नीति तथा जिला अभिशासन में परिणाम बेहतर करने के लिए नवीकरण को बढ़ावा देना तथा (iii) सरकारी लेखाओं में पारदर्शिता बढ़ाना ताकि बेहतर प्रतिबिम्बन और उत्पादन तथा परिणाम मापे जा सके तथा सहवर्ती उत्तरदायित्व बढ़ाया जा सके।

## प्रोत्साहन अनुदान

12.62 नागरिकों का प्रथम अंतर-संबंध राज्य और स्थानीय सरकार से होता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि यदि सेवा स्तर में सुधार करना हो तो इन अंतर-संबंधों को बेहतर बनाया जाए। ऐसा करने के लिए उचित प्रोत्साहन ढांचा बनाने हेतु उचित मापदंडों की पहचान किए जाने तथा प्रासंगिक परिणाम मापने के लिए विश्वसनीय आंकड़े प्रयुक्त किए जाने की आवश्यकता है। इन आंकड़ों में स्वीकार्य अंतराल हो, ये उचित अंतराल पर मिलें तथा विश्वसनीय स्रोत द्वारा प्रकाशित किए जाने चाहिए। इन दबावों ने मापदंडों तथा आंकड़ों को प्रस्तुत करने की हमारी पसंद सीमित कर दी है।

*यूआईडी के माध्यम से सब्सिडियां बेहतर लक्षित करना*

12.63 भारत सरकार का सब्सिडियों पर किया जाने वाला व्यय 2009-10 में लगभग 1,11,000 करोड़ रुपये अथवा आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय का लगभग 18 प्रतिशत रहने की संभावना है। विद्युत, सिंचाई तथा खाद्य के लिए राज्य स्तरीय सब्सिडियां जैसे कि 2009-10 के उनके संबंधित बजट में दर्शाई गई हैं, लगभग 34,000 करोड़ रुपये हैं। यह आंकड़ा पारंपरिक है क्योंकि इसमें विद्युत क्षेत्र में उठाई गई हानियां शामिल नहीं हैं। केंद्र और राज्यों के राजस्व तथा व्यय का निर्धारण करते समय सब्सिडियों पर अंकुश लगाने पर विचार-विमर्श किया गया है। हम यहां सब्सिडियों के लक्ष्य को बेहतर बनाने तथा संबंधित सामाजिक सुरक्षा के वास्तविक कार्यक्रम के मुद्दे पर विचार कर रहे हैं। पात्र व्यक्तियों के मौजूदा डाटाबेस में दोनों प्रकार-I (छोड़ना) तथा प्रकार-II (समाहित करना) में त्रुटियां हैं। प्रथम त्रुटि गरीबों द्वारा सरकारी सब्सिडियों के लिए अपनी पहचान दिखाने के लिए झेली जाने वाली समस्याओं तथा सामाजिक सुरक्षा के वास्तविक कार्यक्रमों से उत्पन्न होती है। दूसरी त्रुटि नकली तथा जाली प्रविष्टियों को नष्ट करने के लिए जिला-स्तर तथा राज्य स्तर पर पात्र व्यक्तियों की सूचियों का सत्यापन करने में अक्षमता के कारण उत्पन्न होती है। हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत हैं कि केवल पात्र व्यक्तियों को ही सब्सिडियां और लाभ मुहैया कराए जाएं तथा सभी पात्र व्यक्तियों को शामिल किया जाए।

12.64 देश में सभी निवासियों के लिए बायोमेट्रीक आधारित अनन्य पहचान के सृजन में इन दोनों आयामों के समाधान की संभावना है। इससे लक्षित समूहों तक सब्सिडियां केंद्रित करने का आधार मिलेगा। ऐसी पहचान गरीब और वंचित जनता को बैंक खाता, सेल फोन जैसे अन्य संसाधन, जिनसे उन्हें अधिकार प्राप्त होगा और आय बढ़ाने में मदद मिलेगी, प्राप्त करने में समर्थ करेगी। स्वीकार्य पहचान प्रस्तुत करने में उनकी अक्षमता के कारण वे इस समय इन लाभों को आंक नहीं सकते। अनन्य पहचान पत्र मुहैया कराने की पहल में लेनदेन लागत, लीकेज तथा धोखाधड़ी कम करते हुए अभिशासन और सरकारी सेवाओं के सुपुर्दगी ढांचे में बहुत सुधार करने की संभावना है।

12.65 हमारा विश्वास है कि अनन्य, बायोमेट्रीक आधारित पहचान के सृजन की पहल का समर्थन करने से उत्पादन और परिणाम में महत्वपूर्ण सुधार होगा। भारतीय अनन्य पहचान प्राधिकरण की 2014 तक कम से कम 600 मिलियन भारतीय नागरिकों को पहचान पत्र जारी करने की योजना है। उनका लक्ष्य केंद्र तथा राज्य सरकारों और बैंकों जैसी अन्य एजेंसियों को पंजीयक के रूप में चुनना है, जो यूआईडी के आवेदनों पर कार्यवाही करेंगे, यूआईडीएआई के केंद्रीय आईडी डाटा भंडारण (सीआईडीडीआर) से जोड़ेंगे, प्रत्येक आवेदक की अनन्यता की पुष्टि करेंगे और यूआईडीएआई से यूआईडी संख्या प्राप्त करेंगे और फिर आवेदक को आवंटित करेंगे।

12.66 पंजीयक की दो श्रेणियां होंगी। एक श्रेणी में बैंक, बीमा कंपनियां, आयकर विभाग तथा पारपत्र कार्यालय होंगे जहां पंजीयन कराने के लिए संभावित ग्राहकों को भारी प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि उन्हें उससे लाभ मिलेगा। इन मामलों में पहचान पत्र चाहने वाले गरीबी रेखा से ऊपर होंगे तथा यूआईडी चाहने और उसकी लागत का खर्च उठाने के इच्छुक होंगे।

12.67 पंजीयकों की दूसरी श्रेणी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) जैसे कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करने वाले राज्य सरकार के विभागों की होगी। ये कार्यक्रम

गरीबी रेखा से नीचे की जनता के लिए हैं। ऐसे लोग पहले ही इन स्कीमों का लाभ उठा रहे होंगे तथा यूआईडी के लिए पंजीकरण करने में उन्हें अथवा उनके परिवार के सदस्यों के लिए तात्कालिक लाभ नहीं दिख रहे होंगे। इसके अतिरिक्त, परिवार के सभी सदस्यों को पंजीकरण के स्थान तक पहुंचने में कुछ खर्च भी होगा तथा साथ-साथ जो समय लगेगा वह भी मूल्यवान होगा। इससे निराशा हो सकती है तथा यूआईडी कार्यक्रम में उन्हें शामिल करने में बाधा आ सकती है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को बायोमेट्रीक डाटा का संग्रहण करने, सीआईडीआर से उसका सत्यापन करने तथा बायोमेट्रीक विशेषताएं सम्मिलित करते हुए संबंधित पहचान पत्र जारी करने के लिए अवसंरचना और संभार-तंत्र में अधिक निवेश करना होगा।

12.68 हमारा विश्वास है कि राज्यों को कल्याण योजनाओं में भाग लेने वाले उनके निवासियों को यूआईडी कार्यक्रम के तहत सूचीबद्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करने का ठोस मामला बनता है। राज्य द्वारा इस सहायता का उपयोग प्रतिभागी निवासियों को सीधे सब्सिडी देने अथवा निवासियों को नाम दर्ज कराने के लिए बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाएं जिससे उनके भाग लेने की लागत कम हो, के लिए किया जा सकता है।

12.69 हमारा यूआईडी के मुद्दे पर केवल उन गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) तथा पीडीएस जैसी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं। योजना आयोग द्वारा प्रकाशित गरीबी रेखा एक समान स्मरण अवधिः 2004-05 से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या की राज्यवार सूची अनुबंध 12.9 में दी गई है।

12.70 हमारा प्रस्ताव है कि प्रति व्यक्ति 100 रुपये (प्रत्येक परिवार में 400-500 रुपये) का प्रोत्साहन गरीबी रेखा के नीचे के नागरिकों को यूआईडी में पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित करने में पर्याप्त है। हमने इस संबंध में राज्य सरकारों को देने के लिए 2989.10 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है।

12.71 राज्य सरकारों को दिए जाने वाले यूआईडी संबंधी अनुदान जैसा कि अनुबंध 12.9 में दर्शाया गया है, निम्नलिखित योजना के अध्यधीन वितरित किया जाएगा :

i) राज्य इस अनुदान का इस्तेमाल वांछित लाभार्थियों को सीधे मदद देने अथवा उनके लिए सुलभ सुविधाएं सृजित करने में कर सकता है ताकि लाभार्थियों के पंजीकरण की लागत कम से कम हो।

ii) यदि मदद मुहैया कराई गई तो यह नरेगा, आरएसबीवाई, पीडीएस, वृद्धावस्था पेंशन भोगियों तथा गरीबी रेखा ने नीचे के व्यक्तियों को लक्षित राज्य तथा केंद्र सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक सीमित होगी।

iii) यह अनुदान प्रति वर्ष 1 जुलाई तथा 1 जनवरी को प्रति वर्ष दो ट्रांशों में पांच वार्षिक किस्तों में जारी किया जाएगा। अनुबंध 12.9 में दिखाया गया राज्य के आवंटन का दसवें हिस्से का प्रथम ट्रांश बिना किसी शर्त के 1 जुलाई 2010 को जारी किया जाएगा। बाद की सभी किस्तें निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार प्रतिपूर्ति के आधार पर जारी की जाएंगी। यूआईडीए (ii) में उल्लिखित उन व्यक्तियों की संख्या प्रमाणित करेगा जिन्होंने उस राज्य में पंजीकरण कराया है और उन्हें सीआईडीडीआर में शामिल किया गया हैं। राज्य के पात्रता की गणना उस राज्य द्वारा जारी किए गए तथा सीआईडीडीआर में शामिल किए गए प्रत्येक यूआईडी के लिए 100 रुपये के अनुदान के आधार पर की जाएगी। पहले अदा की गई राशि परिकलित हकदारी से घटा जाएगी तथा शेष राशि उस ट्रांश में जारी की जाएगी।

*शिशु मृत्यु दर घटाने के लिए प्रोत्साहन*

12.72 इस आयोग के लिए आने वाले समय को देखकर परिवर्तन लाने की संभावना एक बड़ी चुनौती रही है। पारंपरिक रूप से वित्त आयोगों ने अंतरण की कसौटी को मापने के लिए पारंपरिक आंकड़े प्रयुक्त किए हैं जिसके परिणामस्वरूप पिछले प्रदर्शन के लिए पुरस्कार और दंड देने की प्रणाली सृजित हुई है, जिसमें राज्य के भविष्य के प्रदर्शन के बावजूद उसकी हकदारी पांच वर्ष के लिए बाधित की जाती है। बारहवें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशों के माध्यम से राजकोषीय सुधार को प्रोत्साहन दिया है। हम मानते हैं कि वह क्षेत्र जहां परिवर्तन को प्रोत्साहित किए जाने हैं और उसे मापने के लिए प्रयुक्त डाटा की मांग की जानी है, उसे सभी हितधारकों की स्वीकृति मिलनी चाहिए। हमारी दृष्टि में राज्यों को अपने मानव विकास संकेतक एचडीआई में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। एचडीआई के अंतर्गत शिशु मृत्यु दर (आईएफआर) में सुधार लाने पर फोकस करने का प्रस्ताव करते हैं। दुर्भाग्य से प्रस्तावित जनगणना 2011 को आंकड़ों के स्रोत के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। यह इसलिए है कि जनगणना की रिकार्ड तिथि 1 मार्च 2011 होगी जिससे राज्यों को कम समय मिलेगा। इसलिए हम भारत के महापंजीयक (आरजीआई) द्वारा प्रति वर्ष प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) के तहत किए जाने वाले सर्वेक्षण के परिणामों को प्रयुक्त करने का प्रस्ताव करते हैं।

12.73 वर्ष 2009 के लिए आईएमआर मापने का एसआरएस मूल आधार होगा जिससे प्रत्येक राज्य का सुधार मापा जाएगा। इन संकेतकों में वार्षिक सुधार जिसे बाद के वर्षों के एसआरएस बुलेटीन/सांख्यिकीय रिपोर्ट से निर्धारित किया जाएगा, इस मूल आधार से मापा जाएगा।

12.74 इन मापदंडों के संबंध में राज्यों की उपलब्धियों के भिन्न-भिन्न स्तर हैं। भारतीय प्रशासनिक स्टॉफ कॉलेज (एएससीआई) हैदराबाद ने इस आयोग द्वारा प्रायोजित परिणामों में सुधार लाने संबंधी किए गए अपने अध्ययन में इस ओर ध्यान दिलाया है कि बड़े आधार से सुधार लाना अक्सर बड़ा कठिन होता है तथा निम्न आधार से सुधार लाने की अपेक्षा अधिक प्रयास की जरूरत होती है। इसे ध्यान में रखते हुए एएससीआई का सुझाव है कि ऐसे मामलों में प्रदर्शन के लिए पुरस्कार उस सूत्र पर आधारित होना चाहिए जिसके दो घटक हैं : प्रथम घटक मापदंड के मूल्य में सकारात्मक घट-बढ़ को पुरस्कृत करना है तथा दूसरा घटक यदि ऐसा परिवर्तन सभी राज्यों के लिए मापदंडों के माध्यिक मूल्य से अधिक किया जाता है तो प्रीमियम मुहैया कराना है। इस प्रकार राज्यों को मापदंड में सुधार करने के साथ-साथ उस स्तर जिसमें सुधार किया गया है, दोनों के लिए पुरस्कार दिया जाता है। सरकार ने एएससीआई द्वारा प्रस्तावित सूत्र को स्वीकृत किया है, जिसका ब्यौरा अनुबंध 12.10 में दिया गया है। प्रत्येक राज्य की पात्रता आईएमआर सूचकांक में सुधार के आधार पर प्रतिवर्ष निर्धारित की जाएगी। हमने इस अनुदान के लिए 2012 तथा 2015 के बीच तीन वर्ष की अवधि में 5,000 करोड़ रुपये की राशि की सिफारिश की है। इस अनुदान की समय-सूची का ब्यौरा नीचे की सारणी 12.5 में दिया गया

है।

**सारणी 12.5 : आईएमआर प्रोत्साहन अनुदान की समय-सूची**

| वर्ष | राशि (करोड़ रुपये) | मापन का कैलेण्डर वर्ष | एसआरएस रिपोर्ट जारी करने का वर्ष |
|---|---|---|---|
| 2010-11 | आधार रेखा | 2009 | 2010 |
| 2012-13 | 1500 | 2011 | 2012 |
| 2013-14 | 1500 | 2012 | 2013 |
| 2014-15 | 2000 | 2013 | 2014 |

12.75 वर्ष 2009-10 से संबंधित आंकड़े जो 2010 में उपलब्ध होंगे, आने वाले सभी वर्षों के लिए पात्रता की गणना करने हेतु आधार रेखा होंगे। अनुदानों का संवितरण 2012-13 से शुरु होगा। इससे राज्यों को सुधार करने के लिए दो वर्ष की अवधि मिलेगी। वर्ष 2012-13 के दौरान प्रत्येक राज्य के लिए वर्ष 2009, 2010 तथा 2011 के बीच आईएमआर में संचयी परिवर्तन अनुबंध 12.10 में दिए गए सूत्र के अनुसार प्रयोज्य होगा। वर्ष 2013-14 के लिए 2009 तथा 2012 के बीच संचयी परिवर्तन सूत्र प्रयोज्य होगा। यही प्रक्रिया आने वाले वर्षों के लिए अपनाई जाएगी। इस सूत्र पर प्रयोज्य अनुरूप गणना अनुबंध 12.11 में दी गई है। यह अनुदान जैसा कि अनुबंध 12.11 में दिखाया गया है प्रासंगिक वर्ष की राज्यवार आईएमआर सांख्यिकी समाहित करते हुए वार्षिक एसआरएस बुलेटीन/रिपोर्ट के प्रकाशन के पश्चात 2012-13 तथा 2014-15 के बीच तीन वार्षिक किस्तों में जारी किया जाएगा।

## न्याय व्यवस्था में सुधार

12.76 न्याय व्यवस्था में सुधार लाना बेहतर निष्पादन तथा परिणाम सुनिश्चित करने की पहल का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसे कानून लागू करने वाली संस्थाओं की क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ न्यायपालिका को मदद करके किया जा सकता है। हम यहां न्यायिक निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी समर्थन की चर्चा कर रहे हैं। आज की तिथि में देश में विभिन्न न्यायालयों में 3 करोड़ से अधिक मामले लम्बित हैं। कम से कम वर्तमान मामलों का निपटारा जरूरी है ताकि मामलों का अधिक संग्रहण टाला जा सके। मामलों का निपटान करने में लगने वाली अत्यधिक देरी से न केवल भारी कठिनाई, जिसमें विचाराधीन कैदियों द्वारा झेली कठिनाई शामिल है, बल्कि आर्थिक विकास में भी बाधा आती है।

12.77 न्याय विभाग ने कई पहलों की पहचान की है जो इस कार्य योजना का हिस्सा हैं तथा जिन्हें सहायता की जरूरत है। पहली पहल है — सुबह/शाम/शिफ्ट न्यायालय आयोजित करके मौजूदा अवसंरचना प्रयुक्त करते हुए न्यायालय के कार्यालय के घंटे बढ़ाना है। दूसरी पहल नियमित न्यायालयों पर पड़ने वाला दबाव कम करने के लिए लोक अदालतों को दी जाने वाली सहायता बढ़ाना है। तीसरी पहल राज्य के कानून सेवा प्राधिकरणों को अतिरिक्त वित्तपोषण मुहैया कराना है ताकि उन्हें हाशिए पर रहने वालों को दी जाने वाली कानूनी मदद बढ़ाने और न्याय पाने में सक्षम बनाने के लिए समर्थ बनाया जा सके। चौथी पहल न्याय व्यवस्था से बाहर विवाद सुलझाने के लिए वैकल्पिक विवाद निपटान (एडीआर) तंत्र को बढ़ावा देना है। पांचवी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से न्यायिक अधिकारियों तथा सरकारी अधिवक्ताओं की क्षमता बढ़ाना है। छठी पहल इस तरह के प्रशिक्षण की सुविधा के लिए प्रत्येक राज्य में न्यायिक अकादमी के सृजन को सहायता देने से संबंधित है।

12.78 इस विभाग ने न्यायालय वाले प्रत्येक जिले में न्यायालय प्रबंधक का पद सृजित करने का भी प्रस्ताव किया है ताकि न्यायपालिका को उनके प्रशासनिक कार्यों में मदद दी जा सके। प्रत्येक राज्य में कई न्यायालय विरासत भवनों में स्थित हैं जो उस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिम्ब हैं। यह प्रस्ताव है कि इन भवनों के रखरखाव हेतु अनुदान मुहैया किया जाए।

12.79 सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद यह आयोग न्याय विभाग द्वारा किए गए प्रस्तावों को निम्नानुसार आवंटित करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये के अनुदान को अनुमोदन देकर सहायता देने पर सहमत है। यह आवंटन दो वार्षिक किस्तों में जारी किया जा सकता है बशर्ते बनाए रखे जाने वाले खाते तथा प्रयोग प्रमाणपत्र (यूसी)/व्यय का विवरण (एसओई) सामान्य वित्त नियमावली (जीएफआर 2005) के अनुसार हों।

12.80 *सुबह/शाम/विशेष न्यायिक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट/शिफ्ट न्यायालयों का प्रचालन* : देश में मौजूदा 14,000 जिला एवं सहायक न्यायालय महत्वपूर्ण के साथ-साथ छोटे-मोटे दोनों मामलों का निपटान कर रहे हैं। छोटे-मोटे मामलों के कारण न्यायालय के समय पर पड़ने वाला दबाव उन्हें सुबह/सांयकालीन न्यायालयों/विशेष न्यायालयों/मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेटों को आवंटित करके कम किया जा सकता है। इन न्यायालयों में स्टॉफ की व्यवस्था अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान करके नियमित न्यायपालिका अथवा सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा की जाएगी। आंध्र प्रदेश में प्रातःकालीन न्यायालयों तथा गुजरात में सांयकालीन न्यायालयों ने ऐसे माडल की संभावना दर्शाई है। यह आशा है कि ऐसे 14,825 न्यायालय एक साल के भीतर 225 लाख लम्बित मामलों के साथ नए छोटे प्रकार के मामले निपटा सकते हैं। ये मामले 2010-15 की अवधि में कुल 1,125 लाख होंगे। ऐसे न्यायालय सुचारू रूप से स्थापित करने के लिए 2,500 करोड़ रुपये की राशि मुहैया की जा रही है जिसे स्वीकृत न्यायालयों की संख्या के अनुसार प्रत्येक राज्य को आवंटित किया गया है।

12.81 *एडीआर केंद्र स्थापित करना और मध्यस्थों का प्रशिक्षण*: सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 में विवादों का निपटारा न्यायालय के बाहर मध्यस्थों, माध्यस्थ अथवा लोक अदालत के माध्यम से करने का प्रावधान है। हमें लगता है कि न्यायालय प्रणाली पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए इस धारा के कार्यक्षेत्र का पूरा फायदा उठाया जाना चाहिए। इस समय मध्यस्थ तथा निपटान केंद्र उच्च न्यायालय के स्तर पर स्थापित किए जा रहे हैं किन्तु जिला स्तर पर बहुत कम केंद्र हैं। भौतिक अवसंरचना में निवेश करने के अलावा प्रत्येक न्यायालय स्थित जिले में न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं को मध्यस्थ/निपटान अधिकारी के रूप में प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है। न्याय विभाग का प्रस्ताव है कि देश के प्रत्येक जिले में प्रति जिला 1 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक एडीआर केंद्र स्थापित किया जाए। इस विभाग का यह भी प्रस्ताव है कि याचिकाकर्ताओं को प्रति व्यक्ति 0.25 लाख रुपये की अनुमानित लागत से जरूरी सेवाएं मुहैया कराने के लिए मध्यस्थ/निपटानकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्रत्येक जिले में 100 न्यायिक अधिकारियों तथा अधिवक्ताओं को पांच वर्ष

की अवधि में प्रशिक्षित किया जाए। इस योजना में एडीआर केंद्र स्थापित करने के लिए 600 करोड़ रुपये तथा पांच वर्ष की अवधि में प्रशिक्षण देने के लिए 150 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि की आवश्यकता होगी। यह राशि राज्यों को उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले न्यायालय स्थित जिलों की संख्या के अनुपात में आवंटित की गई है।

12.82 *लोक अदालतः* हम प्रतिवर्ष प्रति उच्च न्यायालय में लगभग 10 मेगा लोक अदालतें लगाने के लिए तथा 1,500 न्यायालयों में प्रति वर्ष पांच लोक अदालतें लगाने के लिए प्रति वर्ष 20 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता मुहैया कर रहे हैं। यह आशा की जाती है कि इससे प्रति वर्ष लगभग 15 लाख मामलों का निपटान होगा - 2010-15 की पांच वर्ष की अवधि में कुल 75 लाख मामले। न्यायालयों की संख्या के आधार पर राज्य सरकारों के बीच कुल 100 करोड़ रुपये का अनुदान आवंटित किया गया है।

12.83 *कानूनी सहायताः* कानूनी सहायता का प्रावधान न्याय प्रणाली के निर्धारण के लिए जनसंख्या के हाशिए पर रहने वाले वर्गों को मदद करने का एक महत्वपूर्ण पैमाना है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) तथा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (साल्सा) पात्र व्यक्तियों को कानूनी सेवा मुहैया कराने के लिए जिम्मेदार है। हालांकि उनके वर्तमान संसाधन आवश्यकता के अनुरूप नहीं हैं। उनके प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के लिए हमारा प्रस्ताव है कि कानूनी सहायता मुहैया कराने के लिए पांच वर्ष में 200 करोड़ रुपये रखे जाएं। यह राशि राज्यों को उनके अधिकार क्षेत्र में न्यायालयों की संख्या के अनुपात में आवंटित की गई है। इसके साथ हम न्यायालयों में विचाराधीन कैदियों की संख्या में कमी आने की अपेक्षा करते हैं।

12.84 *न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षणः* न्यायपालिका में क्षमता निर्माण एक महत्वपूर्ण जरूरत है। इस समय न्यायिक अधिकारी उनके सेवा में आने पर राज्य न्यायिक अकादमियों में एक वर्ष के लिए प्रशिक्षित किए जाते हैं तथा उसके बाद आगे उनकी क्षमता और बढ़ाने के लिए सेवा के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों को इन पहलों के लिए अतिरिक्त सहायता के प्रावधान के माध्यम से गति दिए जाने की जरूरत है। 2010-15 की अवधि के लिए 250 करोड़ रुपये का एक प्रावधान किया गया है तथा राज्यों को उनके क्षेत्राधिकार में न्यायालयों की संख्या के अनुपात में आवंटित किया गया है।

12.85 *राज्य न्यायिक अकादमियांः* न्यायाधीशों को प्रशिक्षित करने का मुख्य साधन राज्य न्यायिक अकादमी है। कुछ राज्य अकादमियां साधन संपन्न हैं जबकि अधिकतर में कम अवसंरचना और थोड़ी ही सुविधाएं हैं। यह आवश्यक है कि राज्य न्यायिक अकादमियों को सहायता मुहैया की जाए ताकि वे न्यायाधीशों का प्रशिक्षण शीघ्र पूरा करने तथा रिक्त पद भरने के लिए पूरे वर्ष कार्यक्रमों को प्रचालित करने में समर्थ हो सकें। हम 20 उच्च न्यायालयों को प्रति उच्च न्यायालय 15 करोड़ रुपये राशि देने का प्रस्ताव करते हैं जो 300 करोड़ रुपये बैठती है। इन निधियों को उन राज्यों जहां अकादमियां नहीं हैं, में नई अकादमियां स्थापित करने अथवा जहां अकादमियां हैं वहां अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रयुक्त की जाएंगी। तीन उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्य को कवर करते हैं। गुवाहाटी न्यायिक अकादमी ( जो पूर्वोत्तर को कवर करती है) असम सरकार के माध्यम से स्थापित करने का प्रस्ताव है। मुंबई न्यायिक अकादमी (जो महाराष्ट्र और गोवा को कवर करती है) महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से स्थापित करने का प्रस्ताव है। चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी (जो पंजाब और हरियाणा को कवर करती है) को पंजाब सरकार के माध्यम से स्थापित करने का प्रस्ताव है।

12.86 *सरकारी अधिवक्ताओं का प्रशिक्षणः* इस तथ्य को देखते हुए कि सरकार एक प्रमुख वादी है, कमजोर अभियोजन न्यायालयीन मामलों के निपटान में होने वाली देरी का एक प्रमुख कारण है जहां सरकार एक पक्ष है। इस समय सरकारी अधिवक्ताओं के प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं अपर्याप्त हैं। प्रति अभियोजक 1.5 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर देश में 2,000 सरकारी अभियोजकों के प्रशिक्षण के लिए प्रावधान किया गया है। इस प्रयोजनार्थ 2010-15 की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है जिसे राज्यों को उनके क्षेत्राधिकार के न्यायालयों की संख्या के अनुपात में आवंटित किया गया है।

12.87 *न्यायालय प्रबंधक के पदों का सृजनः* न्यायालय प्रबंधन की कार्यक्षमता बढ़ाने के परिणामस्वरूप मामले के निपटान में सुधार होता है। न्यायाधीशों को उनकी प्रशासनिक डयूटियों का निष्पादन करने के लिए सहायता देने से उन्हें न्यायिक कार्य करने में अधिक समय मिलेगा। अभिनव दृष्टिकोण अपनाकर न्याय विभाग ने प्रस्ताव किया है कि एमबीए डिग्री के साथ व्यावसायिक पात्रता रखने वाले न्यायालय प्रबंधकों को न्यायाधीशों की सहायता के लिए तैनात किया जाना चाहिए। ये न्यायालय प्रस्तावित प्रबंधक नैशनल एरियर ग्रिड जिसे सभी न्यायालयों में मामलों के निपटारे को मानीटर करने के लिए स्थापित किया जाएगा, में सूचनाएं भेजने के लिए भी उपयोगी होंगे। हम इस अभिनव प्रयास का समर्थन करते हैं जिसके प्रभाव का मूल्यांकन 2015 के बाद किया जा सकता है। न्यायालयों के प्रशासनिक कार्यों में प्रधान, जिला तथा सेशन न्यायाधीशों की सहायता के लिए न्यायालय स्थित प्रत्येक जिले में न्यायालय प्रबंधक का पद सृजित किया जाएगा। साथ-साथ, प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए दो तथा उच्च न्यायालय की प्रत्येक बेंच के लिए एक-एक न्यायालय प्रबंधकों के पद सृजित किए जाए। इसके लिए अनुमानतः प्रति वर्ष 60 करोड़ रुपये की जरूरत होगी और यह 2010-15 की अवधि के लिए 300 करोड़ रुपये बैठता है। यह राशि राज्यों को उनके क्षेत्राधिकार के न्यायालय स्थित जिलों की संख्या के अनुपात में आवंटित की गई है।

12.88 *जिन विरासत भवनों में न्यायालय है उनका अनुरक्षणः* देश में कई न्यायालय भवनों को उपयुक्त राष्ट्रीय, राज्य अथवा स्थानीय कानून के तहत विरासत भवन घोषित किया गया है। यह प्रस्ताव है कि पांच वर्ष की अवधि के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई)/ भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत (इंटाक) के सहयोग से 450 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से ऐसे 150 भवनों के जीर्णोद्धार तथा संरक्षण का कार्य किया जाए। हमें आशा है कि बड़े और पुराने भवनों को तरजीह दी जाएगी। विरासत भवनों संबंधी डाटा न होने से हमने ये निधियां सभी राज्यों को उनके क्षेत्राधिकार में न्यायालयों की संख्या के अनुसार आवंटित की हैं।

12.89 *शर्तेंः* सरकार आज देश में एक सबसे बड़ा वादी है। जहां राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार एक पक्ष है वहां बड़ी संख्या में लम्बित मामले हैं जो बकाया मामलों में बड़ी वृद्धि कर रहे हैं। यह आवश्यक है कि सभी राज्य सरकारें विश्वसनीय मुकदमे पर लक्षित राज्य विवाचन नीतियां तैयार करें। केंद्र सरकार शीघ्र ही राष्ट्रीय विवाचन

नीति बनाने की योजना बना रही है। यह प्रस्ताव है कि इस नीति में निम्नलिखित के लिए किए जाने वाले उपाय शामिल होंगेः (i) मौजूदा मामलों की समीक्षा करना तथा जहां आवश्यक हो झूठे तथा खिजाऊ के रूप में पहचाने गए मामलों को हटाना; (ii) बचाव के मामलों के साथ-साथ अपील करने के लिए मापदंड तैयार करना तथा (iii) अनावश्यक मुकदमे समाप्त करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति का गठन करना। राज्य राष्ट्रीय विवाचन नीति के आधार पर अपनी राज्य विवाचन नीति तैयार कर सकते हैं। अगला पैरा 12.91 में उल्लिखित अनुदान पांच समान वार्षिक किस्तों में मुहैया किए जाएंगे। इन अनुदानों के लिए राज्य-वार पात्रता का ब्यौरा अनुबंध 12.12 में दिया गया है। किस्त के आहरण के लिए केवल वही राज्य पात्र होगा जिसने राज्य वाद नीति तैयार की हो। आने वाले वित्त वर्षों के लिए किस्त के आहरण के लिए पात्रता हेतु राज्यों को वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले ऐसी नीति लागू करनी होगी। यह शर्त प्रथम वार्षिक किस्त (2010-11) के लिए लागू नहीं होगी जिसे नीति लागू किए बिना आहरित किया जा सकता है। राज्य उसके बाद अपनी नीति तैयार करने के बाद ही अनुदान के लिए भविष्य प्रभाव से पात्र होगा।

## पुलिस प्रशिक्षण

12.90 *अधिकांश राज्य सरकारों ने दो कारणों से पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए कम प्राथमिकता दी है* : (i) उपलब्ध स्टॉफ इतना फैला हुआ है कि पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण के लिए भेजने हेतु समय नहीं है (ii) अधिकांश राज्यों में प्रशिक्षण अवसंरचना नहीं है। गृह मंत्रालय के अनुसार एक पुलिस अधिकारी औसतन 15 वर्षों में केवल एक ही बार प्रशिक्षण लेता है। वर्तमान सुरक्षा स्थिति के साथ-साथ प्रौद्योगिकी में हुए तीव्र परिवर्तन को देखते हुए यदि न्याय देने में परिणामों को बेहतर करना हो तो यह प्राथमिकता बदलने की जरूरत है। इसलिए हम राज्य सरकारों को उनके द्वारा प्रस्तावित तरीके से उनके पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण देने में सहायता करने का प्रस्ताव करते हैं। हमने इस अध्याय में आगे की गई चर्चा के अनुसार राज्य विशिष्ट अनुदानों के हिस्से के रूप में उसके लिए उपयुक्त आवंटन किया है। पुलिस उन्नयन तथा प्रशिक्षण के लिए हमारे अनुदान के प्रावधान राज्यों द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार होते हैं लेकिन हमें यह अपेक्षा है और इस बात की जरूरत है कि लिंग समानता सहित पुलिस प्रशिक्षण की विषय वस्तु इस प्रकार होनी चाहिए कि जनसंख्या के सभी वर्ग पुलिस को संरक्षणकर्ता के रूप में देखें।

## नवाचार को बढ़ावा देना

12.91 भारत के राष्ट्रपति ने जून 2009 में संसद को संबोधित करते हुए अपने भाषण में देश को नवाचार को बढ़ावा देने तथा लाखों लोगों की सृजनशीलता प्रवर्तित करने के रास्ते पर प्रतिबद्ध किया। उन्होंने घोषणा की कि अगले दस वर्ष 'नवाचार का दशक' के रूप में समर्पित किए जाएंगे। नवाचार बेहतर विकल्प मुहैया कराने, लागत में कमी करने, सेवा स्तर में सुधार लाने तथा उपलब्धता की कमी पूरी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसलिए यह कार्य न केवल नवीकरण का पोषण करता है बल्कि इसे उत्साह से बढ़ावा भी देता है। विभिन्न राज्यों में पहले ही शुरु किए गए कई उपयुक्त, कम लागत वाले तथा जनोन्मुखी राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन (एनआईएफ) द्वारा दस्तावेजीकरण किया गया है तथा उनके द्वारा उसका प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। ये नवाचार निजी क्षेत्र में अधिकांशतः वैयक्तिक पहल से संबंधित होते हैं। यह आयोग महसूस करता है कि इसी तरह के प्रासंगिक नवाचार सरकारी क्षेत्र में विद्यमान हैं जिनकी पहचान किए जाने, उनका दस्तावेज बनाए जाने तथा सभी राज्य सरकारों में प्रोत्साहन दिए जाने की जरूरत है। हमने देखा है कि "मिड डे मील" योजना जैसे कई राष्ट्रीय कार्यक्रमों का मूल राज्य स्तर पर अपनाई गई आरंभिक नवाचार योजनाओं में था। इस प्रकार, हमने राज्य सरकारों द्वारा सेवा स्तरों में सुधार लाने तथा लागत कम करने के लिए विभिन्न क्षेत्रकों में शुरु किए गए प्रमुख नवाचारों का विवरण उनसे प्राप्त किया है। ये नवाचार स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन तथा प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन जैसे कई क्षेत्रकों में हैं तथा सेवा सुपुर्दगी में सुधार करने पर लक्षित हैं। इनमें शासन में सुधार और न्याय देना शामिल हैं। प्राप्त किए गए आंकड़ों के विश्लेषण तथा एनआईएफ के सुझावों के आधार पर हमने दो तरह की पहलें की हैं।

*सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचार केंद्र (सीआईपीएस)*

12.92 पहली पहल एएससीआई, हैदराबाद में सार्वजनिक प्रणाली में नवाचार केन्द्र (सीआईपीएस) स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार की सहायता के अनुरोध में निहित है। सीआईपीएस सक्रिय रूप से उन व्यवहारों को राज्यों में प्रोत्साहित और प्रचारित करेंगे जिनसे सेवा सुपुर्दगी बढ़ी है, कार्यक्षमता में बढ़ोतरी हुई है और सार्वजनिक प्रणालियों में लागत कम हुई है। यह नए व्यवहारों के माहौल पर निरन्तर नजर रखेगा जिसे उसके नए डाटाबेस में डाला जाएगा, उसके बाद राज्यों में उपलब्ध कराया जाएगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करेगा तथा आपसी अनुभव बांटने में समर्थ करेगा।

12.93 सीआईपीएस की कार्यप्रणाली केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों तथा स्वतंत्र विशेषज्ञों के अलावा राज्य सरकारों के सभी मुख्य सचिवों की उसके सदस्यों के रूप में बनी सलाहकार समिति के मार्गदर्शन के अधीन होगी। पांच वर्ष की अवधि के लिए सीआईपीएस चलाने के लिए 20 करोड़ रुपये के अनुदान को प्रयुक्त किया जाएगा, तत्पश्चात इसके आत्मनिर्भर होने की आशा है। यह अनुदान 2010-11 के दौरान एक किस्त में जारी किया जाएगा। इस अनुदान के तौर तरीकों का ब्यौरा अनुबंध 12.13 में दिया गया है। इस प्रावधान को आंध्र प्रदेश के राज्य विशिष्ट अनुदानों के तहत शामिल किया गया है (पैरा 12.127)।

*जिला नवाचार निधि (डीआईएफ)*

12.94 दूसरी पहल जिला नवाचार निधि (डीआईएफ)का सृजन करना है जिसका लक्ष्य महसूस की गई जरूरतों तथा नवाचार के लिए शासन के सभी स्तरों को जवाबदेह बनाना है। 1 करोड़ रुपये की यह निधि देश के प्रत्येक जिले को उपलब्ध कराई जाएगी जिसका लक्ष्य पहले ही सृजित पूंजीगत परिसंपत्तियों की कार्यक्षमता बढ़ाना है। यह निवेश जिले में पहले से मौजूद आवश्यक अंतर को दूर करने के लिए प्रयुक्त होगा, जिसे अपेक्षतः छोटे निवेश के कारण पूरी तरह प्रयुक्त नहीं किया जा रहा है। इन उदाहरणों में काम न करने वाले निदान उपकरण वाले सरकारी अस्पताल; छोटा सिंचाई तालाब जिसपर अधिक दबाव होता है और जिससे रिसाव होता है; ऐसा क्षेत्र जहां भूमि जाँच सुविधाओं के बिना कम कृषि उत्पादन है, शामिल है। इसका उद्देश्य मौजूदा पूंजीगत परिसंपत्ति का नवीकरण अथवा उसका बेहतर प्रयोग करना और तत्काल लाभ पहुंचाने का होगा। हम स्वीकार करते हैं कि ऊपर दिए गए उदाहरणों को आदर्श रूप में राज्यों के बजट से वित्तपोषित किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। हालांकि स्थापना लागतों पर बढ़ने वाले दबाव के चलते हम यह भी मानते हैं कि सरकारी अवसंरचना में कई महत्वपूर्ण अंतरों को अभी भरा जाना बाकी है तथा इन सभी जरूरतों को राज्य स्तर पर पहचान देने और उनका समाधान करने से

पहले समय लग सकता है। तुलनात्मक रूप से कम निवेश के लिए तत्काल कल्याणकारी प्रतिफल देने वाली ऐसी परियोजनाएं जिला स्तर पर बेहतर चिह्नित की जाती हैं। जिला स्तर पर नवाचार के लिए भी अत्यधिक गुंजाइश है और प्रति जिला अपेक्षाकृत कम आवंटन का भी गुणक बल के तौर पर प्रभावी प्रयोग किया जा सकता है।

12.95 इस योजना के तहत चलाई जा रही परियोजनाएं आपूर्ति प्रेरक की अपेक्षा मांग प्रेरित होनी चाहिए। यह योजना नवाचार उपायों को प्रेरित करने में भी सहायक होनी चाहिए ताकि सरकार तक पहुंच बनाई जा सके और इसे समाज के सभी वर्गों के प्रति जवाबदेह बनाया जा सके। हम सिफारिश करते हैं कि जिला स्तर पर लागत का केवल 90 प्रतिशत ही जिला नवाचार निधि से व्यय किया जाए तथा शेष 10 प्रतिशत गैर सरकारी अंशदान-जनता अथवा गैर सरकारी संगठन से व्यय किया जाए। यह राशि योजना मंजूर होने से पहले संग्रहित की जाए और जिला एजेंसी के पास जमा की जाए। राज्य सरकारें जिलों को पसंद की स्वतंत्रता देते हुए उपर्युक्त बुनियादी सांचे को प्रयुक्त करते हुए इस योजना के लिए मार्गनिर्देश तैयार कर सकते हैं। हम देश में प्रत्येक जिले को उपर्युक्त तरीके से प्रयोग में लाने के लिए 1 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करते हैं। प्रत्येक राज्य सरकार अनुबंध 12.14 के अनुसार अपनी पात्र राशि दो किस्तों में लेने के लिए हकदार होगा। प्रथम किस्त राज्य सरकार द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन के लिए विस्तृत मार्गनिर्देशों को अंतिम रूप देने तथा जिला स्तर पर प्राधिकारी जो इस योजना के अंतर्गत परियोजना मंजूर करेगा, को अधिसूचित करने के बाद 2011-12 में जारी की जाएगी। दूसरी किस्त राज्य सरकार द्वारा सृजित लाभों का ब्यौरा देते हुए प्रथम किस्त के अंत प्रयोग संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद जारी होगी। यदि राज्य सरकार चाहे तो राज्य के जिलों को दो चरणों में कवर किया जा सकता है। प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए यदि कुछ जिले सहायता के लिए और अधिक नवाचार परियोजनाएं लाते हैं तो शेष जिलों की अप्रयुक्त निधियां उन्हें पुनःआवंटित की जा सकती हैं।

12.96 हम इस योजना के लिए 616 करोड़ रुपये का अनुदान देने का प्रस्ताव करते हैं। प्रत्येक राज्य में जिलों की संख्या पर आधारित राज्य-वार आवंटन अनुबंध 12.14 में दिया गया है।

## सरकारी खातों में पारदर्शिता बढ़ाना

12.97 सरकारी खातों में पारदर्शिता फीड बैंक लूप में सुधार करती है, सभी नीतिगत पहलों के राजकोषीय प्रभाव को प्रतिबिम्बित करती है और इस प्रकार अधिक उत्पादकता सुनिश्चित करते हुए जवाबदेही बढ़ाती है। हम केंद्र और राज्य सरकार के खातों में पारदर्शिता लाने के लिए किए जाने वाले विभिन्न उपायों जिनमें प्रोद्भूत लेखांकन, राज्यों में वित्तीय खातों में सामंजस्य बनाए रखना तथा लेखा परीक्षा तंत्र मजबूत बनाना शामिल हैं, पर पृथक चर्चा करेंगे। निम्नलिखित पैराग्राफों में राज्य और जिला स्तर पर सांख्यिकीय प्रणाली मजबूत करने तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के लिए डाटा स्थापित करने के लिए आंकड़ों की गुणवत्ता बढ़ाने के दो विशिष्ट उपायों पर चर्चा करेंगे।

*राज्य सरकारों की सांख्यिकीय प्रणाली बेहतर करना*

12.98 देश में सांख्यिकीय प्रणाली मजबूत करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनसीएस) की स्थापना देश में सांख्यिकीय प्रणाली के विकास को पूरी तरह दिशा देने तथा उसके विकास के लिए सभी उपायों का निरीक्षण करने के लिए की गई थी। राष्ट्रीय कार्यनीतिक सांख्यिकीय योजना (एनएसएसपी) 2008 में मौजूदा सांख्यिकीय ढांचे को मजबूत किए जाने के लिए मध्यावधिक कार्यनीति दी गई है ताकि नीति बनाने और निर्णय लेने के लिए व्यापक गुणवत्तापूर्ण सुसंगत आर्थिक और सामाजिक डाटा तैयार किया जा सके। भारतीय सांख्यिकीय परियोजना (आईएसपी) का फोकस सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सांख्यिकीय क्षमता को बढ़ाने पर केंद्रित है। खास तौर पर, उन्हें बीस प्रमुख सांख्यिकीय क्रियाकलापों के संबंध में राष्ट्रीय न्यूनतम मानक कारगर तरीके से पूरे करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

12.99 इन प्रभावशाली उपलब्धियों के बावजूद कई महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान किया जाना बाकी है। ये नीचे दिए गए हैं :

i) बारहवें वित्त आयोग ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) को उपादान लागत पर मापने की बजाय, जैसाकि इस समय किया जा रहा है, राष्ट्रीय अनुमानों के अनुरूप बाजार मूल्यों पर मापने की जरूरत के बारे में कहा। यह अभी भी उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, राज्यों में जीएसडीपी का मापन इस प्रकार मानकीकृत होना चाहिए कि वित्त आयोग और अन्य निकायों द्वारा तुलनीय जीएसडीपी का प्रयोग अधिक किया जा सके।

ii) इस आयोग ने सरकारी नीति में परिवेश संबंधी विचार शामिल करने की जरूरत पर भी सिफारिश की है। इस प्रयास के भाग के तौर पर हरित जीडीपी/जीएसडीपी का अनुमान लगाना बहुमूल्य होगा। इस तरह अनुमान प्राकृतिक संपत्ति के ह्रास के लिए होगा तथा इसमें पर्यावरण के पतन के कारण हुई आय की हानि पर विचार किया जाएगा।

iii) जिला आय के तुलनीय अनुमान आंतर-राज्य आय की विसंगतियां मापने के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हैं। इससे राज्य सरकारें कारगर तरीके से नीतियां बनाने तथा कार्यक्रम हस्तक्षेप के लिए समर्थ होंगी। इन्हें राजकोषीय अंतरणों के एकसमान अंतरण के लिए मापदंड के तौर पर भी प्रयुक्त किया जा सकता है। लगभग 23 राज्यों ने 1999-2000 से 2005-06 तक की अवधि के लिए जिला आय सांख्यिकी निर्मित की है। इन्हें प्रयोग लायक बनाने के लिए सभी राज्य केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) के मार्ग निर्देशों के अनुसरण में इस डाटा को निर्मित करें। तुलनीयता सुनिश्चित करने के लिए इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर वैधता हासिल किए जाने की भी आवश्यकता है।

iv) एक समान वितरण के लिए लागत संबंधी अक्षमता को मापना महत्वपूर्ण है। भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या का आकार तथा वितरण एवं जनसांख्यिकीय विशेषताएं जैसे कई कारकों के कारण राज्यों में सेवा की लागत में भिन्नता है। इसके अतिरिक्त राज्यों की लागत अक्षमता का अनुमान लगाने के लिए दो प्रकार के डाटा की आवश्यकता है : (क) विभिन्न राज्यों में उपलब्ध विभिन्न सेवाओं के स्तर का प्रमात्रात्मक मापन (ख) तदनुरूप एकक लागत। अभी तक ऐसा डाटा उपलब्ध नहीं है।

v) आंतर-क्षेत्रीय ढांचे को देखने के लिए आंतर-क्षेत्रीय व्यापार संबंधी डाटा का मापन उपयोगी होगा।

12.100 हम सिफारिश करते हैं कि सांख्यिकी मंत्रालय ऊपर रेखांकित सांख्यिकीय अंतरों को पाटने के लिए कदम उठाएं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राष्ट्रीय कार्यनीतिक योजना कारगर तरीके से क्रियान्वित की जा रही है, यह आयोग राज्य सरकारों को सहायता-अनुदान देने की सिफारिश करता है, जिसे उनके द्वारा अवसंरचना अंतरों को पाटने में प्रयुक्त किया जाना चाहिए।

12.101 अनुदान का कम से कम 75 प्रतिशत जिला स्तर पर भारतीय सांख्यिकीय परियोजना द्वारा कवर न किए गए सांख्यिकीय अवसंरचना मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर विकास के लिए मूल सांख्यिकी से संबंधित प्रस्तावित सीएसएस के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। अनुदान का अधिकतम 25 प्रतिशत राज्य मुख्यालय में सांख्यिकी अवसंरचना में सुधार के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। राज्य कुल 616 करोड़ रुपये के लिए पात्र होंगे जिसमें से 1 करोड़ रुपये प्रत्येक जिले को दिया जा रहा है। इस अनुदान के लिए राज्य-वार पात्रता अनुबंध 12.14 में दी गई है।

12.102 इस अनुदान का पांच वार्षिक किस्तों में आहरण होगा। प्रथम किस्त राज्य द्वारा पूरे अनुदान के लिए व्यय आयोजना प्रस्तुत करने पर ही आहरित होगी। बाद की सारी किस्तें पिछली किस्तों के लिए यूसी/एसओई के प्रस्तुत किए जाने पर आहरित होंगी। राज्यों को अपने व्यय आयोजना में किसी भी समय संशोधन करने की छूट होगी।

*सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के लिए डाटा बेस स्थापित करना*

12.103 यद्यपि राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर्मचारियों का हिस्सा प्रदत्त कार्यबल का 6 प्रतिशत तथा मोटे तौर पर देश की जनसंख्या का 2 प्रतिशत है, वेतन, एकमुश्त पेंशन लाभ (रूपांतरण, उपदान, छुट्टी नकदीकरण) के लिए कुल भुगतान तथा मासिक पेंशन की राशि राज्य के कुल राजस्व व्यय का लगभग 32 प्रतिशत तथा 2008-09 (ब.अ.) के लिए राज्य के उनके कर राजस्व का 67 प्रतिशत है। 1990-91 और 2008-09 के बीच यह लागत राज्यों में 17 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से बढ़ी है। हमने अध्याय 7 में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के प्रभाव का अनुमान 35 प्रतिशत लगाया है। हालांकि ऐसे झटकों के प्रभाव का ठीक-ठीक निर्धारण तभी किया जा सकता है जब कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों की संख्या, उनका वेतन और देय पेंशन संबंधी आंकड़े और उनकी जनसांख्यिकी उपलब्ध हों। तभी राज्य भविष्य में वेतन एवं पेंशन संबंधी उनकी देनदारी का आकलन और अनुमान लगा सकता है तथा उस पर अंकुश लगाने के लिए कारगर योजना बना सकता है और विकासात्मक परिव्यय कर सकता है। यह कार्य राज्य द्वारा कर्मचारी तथा पेंशनभोगी डाटाबेस तैयार किए बिना और उसे नियमित तौर पर सही बनाए रखे बिना नहीं किया जा सकता। इस आयोग ने राज्य सरकारों द्वारा प्रभावी राजकोषीय योजना के लिए कर्मचारी तथा पेंशन डाटाबेस और एमआईएस तैयार करने संबंधी एक अध्ययन प्रायोजित किया जिसमें इस मुद्दे का विश्लेषण किया गया है। इस अध्ययन की प्रारंभिक सिफारिशों पर नई दिल्ली में 30 जुलाई 2009 को आयोजित राज्यों के वित्त सचिवों की बैठक में चर्चा की गई थी। यह अध्ययन रिपोर्ट आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है।

12.104 इस अध्ययन में सिफारिश की गई है कि सभी राज्य कर्मचारी तथा पेंशनभोगी डाटाबेस बनाएं तथा ऐसा ढांचा बनाए जिससे वे निरन्तर आधार पर सही डाटाबेस बनाए रख सकें। इसमें उस फार्मेट में डाटाबेस तैयार करने की जरूरत की ओर ध्यान दिलाया गया है जिससे राज्य स्तर के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर संयोजन किया जा सके। इसमें यह जरूरी होगा कि सभी राज्य कर्मचारियों की एक जैसी व्याख्या करें तथा डाटाबेस के लिए मानक न्यूनतम अन्तर्विषय का प्रयोग करें। हम सिफारिश करते हैं कि राज्य ऐसा डाटाबेस अपनाएं जिससे यह डाटा न्यूनतम स्तर पर हासिल किया जा सके। पेंशनभोगियों के लिए दो डाटाबेस तैयार किए जाने की जरूरत है - एक उनके लिए जो परिभाषित लाभ योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तथा दूसरा उनके लिए जिन्होंने नई परिभाषित अंशदान योजना के तहत अपना नाम दर्ज किया है।इस नई पेंशन योजना (एनपीएस) डाटाबेस में न केवल कर्मचारियों का डाटा होगा बल्कि अंशदान और संचयन का ब्यौरा भी होने के साथ-साथ खाता धारक को खाते में शेष संबंधी सूचना देने की सुविधा होगी।

12.105 एनपीएस के क्रियान्वयन के समक्ष आने वाली चुनौतियां पैरा 7.122 में रेखांकित की गई है। यह प्रस्तावित डाटाबेस एनपीएस के शीघ्र क्रियान्वयन को समर्थ करेगा क्योंकि इसमें वेतनपंजी से संबंधित कटौती का आधार और सेवा प्रदाताओं को किए जाने वाले अंशदानों का अंतरण होगा।

12.106 केंद्रीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) तथा डाटा प्रबंधन प्रणाली के साथ कर्मचारियों, वेतनभोगियों और परिवार पेंशनभोगियों के लिए एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा। आदर्श रूप में, भूल-चूक से मुक्त तथा समयबद्ध और अद्यतन बनाने के लिए इसे इलेक्ट्रानिक वेतनपंजी एवं पेंशन भुगतान प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।

12.107 ये डाटाबेस सभी राज्यों में साझी बुनियाद नामशः व्यय के आंकड़ों की तुलनीयता के लिए एक समान वित्तीय एवं जनसांख्यिकीय डाटा क्षेत्रों की न्यूनतम संख्या, पर तैयार किए जाने चाहिए। सुझाया गया टेम्प्लेट अनुबंध 12.15 में दिया गया है। हालांकि राज्य अपना डाटाबेस बनाते समय उनकी विशिष्ट जरूरतें पूरी करने के लिए अतिरिक्त डाटा क्षेत्रों को शामिल करने हेतु स्वतंत्र हैं। राज्य इस आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट के अध्याय 5 में दिए गए डाटाबेस के सृजन के लिए सुझाए गए माडल को ध्यान में रख सकते हैं।

12.108 समेकित निधि से परिभाषित लाभ पेंशन के लिए पात्र सभी कर्मचारी, पेंशनभोगी और परिवार पेंशनभोगी प्रत्यक्ष अथवा अनुदानों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे डाटाबेस में शामिल किए जाने चाहिए। स्थानीय सरकारों के कर्मचारियों को विशिष्ट पहचान दी जानी चाहिए। हम सिफारिश करते हैं कि कर्मचारी और पेंशनभोगियों का डाटाबेस तैयार करने के लिए सामान्य श्रेणी के प्रत्येक राज्य को 10 करोड़ रुपये और विशिष्ट श्रेणी के प्रत्येक राज्य को 5 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाए।

12.109 यह डाटाबेस इस तरह तैयार किया जाए कि उसमें अन्य वित्तीय लाभों (सामान्य भविष्य निधि, बीमा और स्वास्थ्य लाभों सहित) को कर्मचारियों को देने के साथ-साथ परिभाषित पेंशन तथा परिवार पेंशन के भुगतान शामिल करने और उसमें विस्तार करने के लिए स्थान हो।

12.110 इस डाटाबेस को स्थापित करने के लिए सभी राज्य कार्य शुरू करने की किसी पूर्व शर्त के बिना 2010-11 के दौरान 2.50

करोड़ रुपये आहरित कर सकेंगे। हमें आशा है कि यह कार्य तीन वर्ष में पूरा हो जाएगा। 7.50 करोड़ रुपये की बकाया राशि राज्य द्वारा यह प्रमाणित करने के बाद दी जाएगी कि उसने डाटाबेस तैयार कर लिया है जिसमें अनुबंध 12.15 में उल्लिखित डाटा मौजूद है और इसे लेनदेन के आधार पर राजकोष के साथ कार्यात्मक ढंग से समेकित किया गया है। राज्य यह भी पुष्टि करें कि वे चौदहवें वित्त आयोग को इस डाटाबेस पर आधारित वेतन और पेंशन व्यय के अनुमान मुहैया कराने में समर्थ होंगे। जिन राज्यों ने पहले ही ऐसे कदम उठाए हैं, उनके द्वारा ऊपर निर्धारित तरीके से अपनी पात्रता की घोषणा करने के साथ ही उन्हें उनका पूरा आवंटन (10 करोड़ रुपये अथवा 5 करोड़ रुपये जैसा भी मामला हो) किया जा सकता है। हमने भारत सरकार को भी उसके कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डाटाबेस तैयार करने के समानांतर प्रयास शुरू करने का अनुरोध किया है।

## सड़कों तथा पुलों के रखरखाव के लिए अनुदान

12.111 ग्यारहवें वित्त आयोग तक आयोगों ने राज्यों द्वारा उनके आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय के भाग के तौर पर सड़कों का रखरखाव किए जाने की आवश्यकता निर्धारित की है। सड़कों के उचित रखरखाव के महत्व को मानते हुए बारहवें वित्त आयोग ने इस प्रयोजनार्थ विशेष अनुदान दिए जाने की सिफारिश की है। कई राज्यों ने हमें भेजे गए ज्ञापनों में इस अनुदान को जारी रखने का अनुरोध किया है। हमने अनुदान मिलने के बाद सड़कों तथा पुलों के रखरखाव के लिए राज्यों द्वारा अधिक व्यय करते देखा है तथा यह तथ्य स्वीकार करते हैं कि सड़कों जैसी महत्वपूर्ण अवसंरचना में घटिया रखरखाव के कारण बाधा नहीं आनी चाहिए। इसलिए हमने राज्यों के समग्र आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय के अंतर्गत यथानिर्धारित सामान्य रखरखाव व्यय के अतिरिक्त सड़कों तथा पुलों के रखरखाव के लिए अनुदान देने का निर्णय लिया है।

12.112 हमने विभिन्न श्रेणियों नामशः राज्य राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें तथा स्थानीय निकाय/गांव सड़कें, प्रत्येक प्रकार की सड़कें नामशः ब्लैक टॉप (बीटी)/सीमेंट कंक्रीट (बीटी), वाटर बाऊंड मैकाडेम (डब्ल्यूबीएम) तथा अर्थन रोड (ईआर), के तहत राज्यों से सड़क की लम्बाई संबंधी डाटा प्राप्त कर लिया हैं। डब्ल्यूबीएम और ईआर के लिए हमने समग्र व्यय जरूरतों के अपने निर्धारण में कथित सड़क लम्बाई का 50 प्रतिशत बीटी सड़कों में जोड़ा है। हमने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से सड़कों के रखरखाव के लिए मापदंड प्राप्त किए हैं तथा रखरखाव के लिए वार्षिक जरूरतें पूरी करने के लिए उन्हें प्रयुक्त किया है। हमने केवल साधारण मरम्मत के लिए ही अनुदान देने का निर्णय लिया है। सड़कों की प्रत्येक श्रेणी के लिए साधारण मरम्मत के मापदंड राज्य में पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र की सड़कों के लिए पृथक रूप से उस श्रेणी की सड़क लम्बाई के लिए लागू किए थे। विशेष श्रेणी के राज्यों की अंतर्निहित लागत अक्षमता को देखते हुए उनके मामले में रखरखाव की वार्षिक जरूरत के निर्धारण में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।

12.113 हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों के लिए रखरखाव की जरूरत का पृथक रूप से निर्धारण किया है जो हमारी पंचाट अवधि के दौरान प्रारंभिक पांच वर्षीय रखरखाव संविदाओं से प्रकट होगा। यह दो कारणों से किया गया है। प्रथम, आयोग के साथ विचार विमर्श के दौरान कई राज्यों ने कहा कि आयोग को सड़क की लम्बाई संबंधी डाटा प्रस्तुत करते समय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों को छोड़ दिया गया है तथा दूसरा, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें उच्च प्राथमिकता प्राप्त ग्रामीण सड़कें हैं जहां गुणवत्ता मुख्य केंद्र बिन्दु है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

12.114 हमने 2011-12 से शुरु होने वाले चार वर्षों के लिए पीएमजीएसवाई-भिन्न सड़कों के लिए निर्धारित जरूरत का 50 प्रतिशत और पीएमजीएसवाई सड़कों के लिए निर्धारित जरूरत का 90 प्रतिशत सहायता अनुदान सड़कों के रखरखाव के लिए देने का निर्णय लिया है। अनुदान की कुल राशि 19,930 करोड़ रुपये बैठती है। इनका राज्य-वार वर्ष वार ब्यौरा अनुबंध 12.16 में दिया गया है। यह अनुदान राज्यों के बजट के अतिरिक्त होगा तथा अनुबंध 12.17 में दी गई शर्तों के अधीन होगा।

## राज्य - विशिष्ट अनुदान

12.115 राज्यों में हमारे दौरों तथा उनके संबंधित ज्ञापन देखने के दौरान राज्यों ने विशिष्ट मुद्दों और स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए अनुदान दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। केंद्रीय मंत्रालयों ने भी आयोग के साथ किए गए पत्र व्यवहार में राज्यों में उठने वाले किन्तु जिनका समाधान स्थानीय तौर पर किए जाने की जरूरत है, उन मुद्दों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। उदाहरण के तौर पर, गृह मंत्रालय ने राज्यों में फैले पुलिस बल के लिए प्रशिक्षण क्षमताओं में बहुत अधिक अंतर के प्रति हमारा ध्यान आकर्षित किया है जबकि संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों तथा ऐतिहासिक भवनों के संरक्षण के लिए राज्यों को अनुदान देने के माध्यम से सहायता करने की निरंतर जरूरत की ओर संकेत किया है। हमने राज्यों में अपने दौरों के दौरान बारहवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई राज्य-विशिष्ट अनुदानों के परिणामों की समीक्षा की है। हमने क्षेत्र के दौरों के दौरान तथा हमारे कुछ अध्ययनों में सबसे पहले इन समस्याओं में से कुछेक का सामना भी किया है। सीमा क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में जिनका समाधान किया जा रहा है, इस संदर्भ में विशिष्ट सुझाव आने चाहिए। तदनन्तर आयोग ने राज्यों के विचार तथा प्राथमिकताएं जानने के लिए उनसे गहन विचार विमर्श किया है। हमारी सिफारिशें इन पर आधारित हैं।

12.116 इसके आधार पर हमने देखा है कि निम्नलिखित मुद्दों का समाधान करने के लिए राज्यों को विशिष्ट अनुदान दिए जाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए:

i) राज्य के अंतर्गत वंचित क्षेत्र और वंचित समूहों की विशिष्ट जरूरतें

ii) अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से सटे ब्लॉकों और तहसीलों की जनता द्वारा सामना की जाने वाली कुछ समस्याओं के निराकरण के लिए अवसंरचना की व्यवस्था करना।

iii) जो ऐतिहासिक स्मारक, पुरातत्व स्थान और ऐतिहासिक इमारतें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधीन नहीं हैं, उनका संरक्षण।

iv) सुरक्षित पेयजल का प्रावधान खास तौर पर उन क्षेत्रों में जहां संखिया, खारापन और फ्लोराईड से संबंधित समस्याएं विद्यमान हैं।

v) स्वास्थ्य जिसमें शिशु देखभाल शामिल है, के लिए महत्वपूर्ण अवसंरचना में अंतर।

vi) रोजगार मिलने लायक कौशल मुहैया कराने में मदद

के लिए कौशल निर्माण संस्थानों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण।

vii) पुलिस कर्मियों की प्रशिक्षण जरूरतें कई स्तरों पर पूरी करना।

12.117 प्रत्येक राज्य की विशिष्ट जरूरतों के लिए की गई सिफारिशों के अनुसार अनुदान सहायता का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

## आंध्र प्रदेश

*ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति*

12.118 आंध्र प्रदेश सरकार ने दो कारणों से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति के लिए अनुदान हेतु अनुरोध किया है :

i) राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश के फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में जल की गुणवत्ता की समस्याएं रेखांकित की हैं। जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए बारहवें वित्त आयोग का अनुदान और राज्य के स्वयं के संसाधन प्रयुक्त करते हुए कई योजनाएं चलाई गई हैं। सरकार ने अब खारेपन से प्रभावित क्षेत्रों में जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए अतिरिक्त निधियां मांगी हैं। हम इस संबंध में 350 करोड़ रुपये राशि देने की सिफारिश करते हैं।

ii) दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति के लिए भी निधियां मांगी गई हैं। हम इस प्रयोजनार्थ 200 करोड़ रुपये राशि की सिफारिश इस प्रावधान के साथ करते हैं कि इस, अनुदान का प्रयोग केवल नई योजनाओं के लिए किया जाए।

*बीज बैंक योजना*

12.119 सरकार ने पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीनें लगवाकर, नई प्रसंस्करण और भंडारण सुविधाएं मुहैया करवाकर तथा बीज जांच प्रयोगशालाओं का उन्नयन करके बीजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए आवंटन करने का अनुरोध किया है। हम इस प्रयोजनार्थ 100 करोड़ रुपये राशि देने की सिफारिश करते हैं।

*पुलिस प्रशिक्षण*

12.120 राज्य में पुलिस प्रशिक्षण के लिए अनुदान निम्न प्रकार मांगा गया है :

i) ग्रेहाऊंड क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में वामपंथी उग्रवादियों से प्रभावित राज्यों के पुलिस बलों को विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाता है। आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रेमावतीपेठ, हैदराबाद और विशाखापट्टनम में क्षेत्रीय मुख्यालयों में प्रशिक्षण सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए निधियां देने का अनुरोध किया है। हम इस प्रयोजनार्थ 13 करोड़ रुपये राशि देने की सिफारिश करते हैं।

ii) सरकार ने वारंगल स्थित पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के उन्नयन, पुराने पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय को अंबरपाट से मेडक ले जाने तथा करीमनगर में नया पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थापित करने के लिए भी निधियों का अनुरोध किया है। हम इस प्रयोजनार्थ 100 करोड़ रुपये राशि देने की सिफारिश करते हैं।

*कारागृहों का निर्माण*

12.121 सरकार ने क्षमता में कमी के कारण कारागृहों के निर्माण के लिए अनुदान मांगा है। हम इस प्रयोजनार्थ 90 करोड़ रुपये राशि देने की सिफारिश करते हैं।

*संस्कृति को बढ़ावा देना*

12.122 राज्य सरकार द्वारा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मांगा गया अनुदान इस प्रकार है :

i) राज्य ने भारत की संमिश्र संस्कृति के संरक्षण, सुरक्षा और प्रचार प्रसार के लिए निधियां मांगी हैं। हम इस प्रयोजनार्थ 40 करोड़ रुपये राशि देने की सिफारिश करते हैं।

ii) हम विजयवाड़ा, नेल्लोर, अनन्तपुर और वारंगल में 'शिल्परामम' स्थापित करने के लिए भी 20 करोड़ रुपये राशि देने की सिफारिश करते हैं।

*अग्नि और आपातकालीन सेवाएं*

12.123 सरकार ने आवश्यक उपस्कर मुहैया करके अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए आवंटन करने हेतु अभ्यावेदन किया है ताकि इन सेवाओं को बहु-आपदा कार्रवाई इकाई में परिवर्तित किया जा सकें। हम इसके लिए 17 करोड़ रुपये की राशि देने की सिफारिश करते हैं।

*विरासत का संरक्षण*

12.124 राज्य ने 560 सुरक्षित ऐतिहासिक स्थलों और ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण, जीर्णोद्धार और परिरक्षण के साथ-साथ अपने स्मारकों को बचाने और आधुनिकीकरण से संबंधित कार्यों के लिए अनुदान देने का अनुरोध किया है। हम इस प्रयोजनार्थ 100 करोड़ रुपये राशि देने की सिफारिश करते हैं।

*प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना*

12.125 आंध्र प्रदेश से प्राप्त ज्ञापनों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) की संख्या तथा खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में शीघ्र, गुणात्मक स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं के बेहतर व्यवस्था के लिए जरूरी सुविधाएं सृजित करने की आवश्यकता में अंतर दिखाया गया है। हम नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने के लिए 200 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश करते हैं।

*प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सुदृढ़ बनाना*

12.126 राज्य ने वायु और जल मानीटरिंग उपस्कर और मानीटरिंग प्रणाली स्थापित करने में लगने वाली पूंजीगत लागत मुहैया कराके आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सुदृढ़ बनाने के लिए 20 करोड़ रुपये का अनुदान देने का अनुरोध किया है। हम इस अनुरोध का समर्थन करते हैं।

*सार्वजनिक प्रणाली में नवाचार केंद्र की स्थापना*

12.127 राज्य में अनुभव बांटने के माध्यम से सार्वजनिक प्रणाली में नवीकरण शीघ्र शुरु करने और विस्तृत करने के लिए माहौल बनाने और ज्ञान बांटने और व्यावहारिक मदद जुटाने के माध्यम से संस्थागत

और मानवीय क्षमता की स्थापना सुसाध्य बनाने के लिए हम भारतीय प्रशासनिक स्टॉफ कालेज (एएससीआई), हैदराबाद में सार्वजनिक प्रणाली में नवाचार का एक केंद्र (सीआईपीएस) स्थापित करने हेतु 20 करोड़ रुपये की राशि देने की सिफारिश करते हैं। यह केंद्र सभी राज्यों के प्रतिनिधियों से बनी सलाहकार परिषद के माध्यम से प्रशासित होगा। एक संचालन समिति रचनात्मक विचारों को वहनीय व्यवहारों में परिवर्तित करने के लिए राज्य की सहायता करेगी।

## अरूणाचल प्रदेश

*नए सृजित जिलों और एडीसी मुख्यालयों में अवसंरचना निर्माण*

12.128 राज्य ने सुदूर और सीमा से लगे क्षेत्रों में सृजित तीन नए जिलों और 16 ने एडीसी मुख्यालयों के लिए अवसंरचना सुविधाओं के निर्माण के लिए यह कहते हुए अनुदान देने का अनुरोध किया है कि नए केंद्र अस्थायी भवन में कार्य कर रहे हैं। सुदूर और सीमा से लगे क्षेत्रों में प्रशासन की पहुंच का विस्तार करने और उसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम इस प्रयोजनार्थ 75 करोड़ रुपये राशि देने की सिफारिश करते हैं।

*सस्पेंशन पुलों की मरम्मत*

12.130 अरूणाचल प्रदेश से प्राप्त हुए ज्ञापन में राज्य के पहाड़ी और सुदूर क्षेत्रों में संपर्क के लिए सस्पेंशन पुलों के महत्व को रेखांकित किया गया है। राज्य सरकार ने उन 81 चिह्नित सस्पेंशन पुलों के जीर्णोद्धार के लिए अनुदान मांगा है जिन पर तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत है। हम इस प्रयोजनार्थ, जैसाकि राज्य सरकार ने अनुरोध किया है, 30 करोड़ रुपये राशि देने की सिफारिश करते हैं।

*पीडीएस गोदामों का निर्माण*

12.131 जैसाकि राज्य सरकार द्वारा अनुरोध किया गया है, हम अति संवेदनशील स्थानों नामशः शांतीपुर (कांगकोंग), लांगडिंग, तापोरिजो, कलाकटांग, थ्रीजीनो, जेमियांग, बोलेंग और किबिथो में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) गोदामों के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपये देने की सिफारिश करते हैं ताकि पीडीएस के लिए आवश्यक वस्तुओं का परिवहन और भंडारण सुनिश्चित किया जा सके।

*राज्य में पुरातत्वीय और ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण*

12.132 राज्य ने विभिन्न पुरातत्वी और ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए निधियां मांगी है। इसके लिए हम 10 करोड़ रुपये का अनुदान देने की सिफारिश करते हैं।

*कारागारों का सुधार*

12.133 राज्य सरकार ने कारागार अवसंरचना के सुधार के लिए अनुदान का अनुरोध किया है। हम 1,000 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश करते हैं जिसमें जिला कारागार के लिए जलापूर्ति की जरूरतें, 50 कैदियों की क्षमता वाले अतिरिक्त पुरुष एवं महिला वार्डों का निर्माण और ईटानगर एवं तेजू में स्टॉफ के लिए आवासीय व्यवस्था हो सकेगी।

*स्वास्थ्य क्षेत्र*

12.134 राज्य ने अपनी स्वास्थ्य अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण और उसमें वृद्धि करने की जरूरत का अनुमान लगाया है। हम राज्य में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), जन स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) और उप-केंद्रों की भौतिक अवसंरचना में सुधार लाने के लिए 50 करोड़ रुपये देने की सिफारिश करते हैं।

*सामुदायिक कक्ष, केबांग घर इत्यादि का निर्माण और सुधार*

12.135 जैसाकि राज्य सरकार द्वारा अनुरोध किया गया है, हम सामुदायिक कक्षों, केबांग घरों इत्यादि के निर्माण/रखरखाव/सुधार के लिए 15 करोड़ रुपये देने की सिफारिश करते हैं।

*तवांग जिले में अवसंरचना विकास*

12.136 राज्य ने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि जांग-थिंगबू, मुक्तो और लुमला-तवांग जिले के सीमावर्ती ब्लाकों में कठिन स्थितियों के कारण अपेक्षित अवसंरचना नहीं है। यह जिला पर्यटन - गन्तव्य के रूप में तेजी से उभर रहा है और राज्य सरकार ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ स्थित जिले के दूरस्थ ब्लॉको मे स्वच्छता, जल-निकासी व्यवस्था, सामान ढोने की पगडंडियों, सड़कों और आवासीय व्यवस्था में सुधार लाने के लिए अनुदान मांगा है। हम इस प्रयोजन के लिए 25 करोड़ रुपये की राशि की सिफारिश करते हैं।

## असम

*सीमा क्षेत्र विकास*

12.137 राज्य के ज्ञापन में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगे क्षेत्र मुख्यतः वनाच्छादित हैं और जलापूर्ति, सड़कों, पुलों और विद्युतीकरण जैसी बुनियादी सुविधाओं के संदर्भ में बहुत ही कम विकसित हैं। ये सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पर्याप्त निधियां दिए जाने का अनुरोध किया गया है। इस प्रयोजन के लिए हम 230 करोड़ रुपये देने की सिफारिश करते हैं।

*कॉटन कॉलेज, गुवाहाटी की इमारतों, अवसंरचना इत्यादि का विकास*

12.138 राज्य सरकार ने कहा है कि 1901 में स्थापित कॉटन कॉलेज, गुवाहाटी न सिर्फ अग्रणी शैक्षिक संस्थान है बल्कि एक "हेरिटेज" स्थल भी है जहां संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा देश के अन्य भागों से भी विद्यार्थी आते हैं। हम विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या और शैक्षणिक विषयों के संबंध में विकास कार्यों, उन्नयन और सुधार कार्य के लिए 50 करोड़ रुपये देने की सिफारिश करते हैं।

*हेरिटेज संरक्षण*

12.139 राज्य ने राज्य में पुरातत्व स्थलों एवं स्मारकों के संरक्षण और रखरखाव के साथ-साथ निर्माण के लिए निधियां मांगी हैं। हम इस प्रयोजनार्थ 40 करोड़ रुपये की राशि की सिफारिश करते हैं, जिसमें माजूली द्वीप के सत्रों के संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए 5 करोड़ रुपये भी शामिल हैं।

*पर्यटन का संवर्धन*

12.140 राज्य सरकार ने पर्यटन अवसंरचना के सुधार और राज्य पर्यटन नीति के कार्यान्वयन के लिए अनुदान देने का अनुरोध किया है। हम इस प्रयोजनार्थ 50 करोड़ रुपये की राशि देने की सिफारिश करते हैं।

*पुलिस आवास व्यवस्था*

12.141 राज्य सरकार ने राज्य में पुलिस के लिए आवास व्यवस्था की कमी को रेखांकित किया है और आवास व्यवस्था में वृद्धि करने के लिए निधियों के लिए अनुरोध किया है। सिविल कार्यों/अवसंरचना सुधार के लिए राज्य सरकार ने 971.13 करोड़ रुपये की राशि मांगी है। हम पहाड़ी/दूरस्थ क्षेत्रों में कनिष्ठ स्टॉफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपये और अन्य क्षेत्रों में कनिष्ठ स्टॉफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए 35 करोड़ रुपये देने की सिफारिश करते हैं।

*पुलिस प्रशिक्षण*

12.142 प्रशिक्षण सुविधाओं के अभाव की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने असम पुलिस के प्रशिक्षण और सशस्त्र स्कंध को विस्तारित और सुदृढ़ करने के लिए निधियों की मांग की है। हम पुलिस अकादमी के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपये और काउंटर इन्सर्जेंसी एण्ड जंगल वारफेयर स्कूल स्थापित करने के लिए 25 करोड़ रुपये की राशि देने की सिफारिश करते हैं।

*छठी अनुसूची क्षेत्रों की अवसंरचना विकास*

12.143 राज्य के ज्ञापन के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का 31 प्रतिशत और राज्य की 14 प्रतिशत जनसंख्या छठी अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। राज्य सरकार ने इन क्षेत्रों में अवसंरचना विकास हेतु फन्ड देने का आग्रह किया है। हम इस प्रयोजनार्थ 130 करोड़ रुपए की राशि (करबी अंगलोग जिला और उत्तरी मध्य पहाड़ी जिलों हेतु 40 करोड़ और बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद हेतु 50 करोड़ रुपए) की अनुशंसा करते हैं।

## बिहार

*पंचायत सरकारी भवनों का निर्माण*

12.144 ग्रांम पंचायत को समर्थ और सशक्त बनाने हेतु राज्य सरकार ने पंचायत कार्यालय के निर्माण का प्रस्ताव रखा है ताकि बहु प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकें। इन भवनों का उपयोग विपदाओं में घटनाओं के दौरान अस्थायी आश्रयस्थल के रूप में किया जा सकता है। हम पंचायत सरकारी भवनों के निर्माण हेतु 1000 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते है।

*पुलिस प्रशिक्षण*

12.145 राज्य सरकार ने अपने ज्ञापन में यह उल्लेख किया है कि राज्य के बंटवारे के परिणामस्वरूप, बिहार में पुलिस एकेडमी नहीं है। राज्य राजगीर में इस तरह की एकेडमी की स्थापना के लिए प्रस्ताव करता है जिसके लिए भूमि आवंटित कर दी गयी है। राज्य सरकार ने एकेडमी की स्थापना के लिए फण्ड का आग्रह किया है जो पुलिस उपाधीक्षकों, उपनिरिक्षकों व अन्य पदों की आवश्यकताओं को पूरी करेगी। हम इस प्रयोजनार्थ 206 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते है जो इस हेतु मांगा गया है।

*पुलिस आवास*

12.146 राज्य सरकार ने कांस्टेबलों को अवर अधीनस्थ क्वाटर्स, बैरक आवास और मॉडल पुलिस स्टेशनों के निर्माण हेतु अनुदान का आग्रह किया है। इस प्रयोजनार्थ 106 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

*विरासत*

12.147 राज्य सरकार ने विरासत के विकास हेतु निम्नवत अनुदान मांगा हैः

(i) नालंदा विरासत विकास योजनाः राज्य सरकार नालंदां विरासत क्षेत्र प्रारंभ करने का प्रस्ताव करती है जिसमें बौद्ध संस्थानों को शामिल करने और बिहार में बौद्ध क्षेत्र में पड़ने वाले अन्य प्रमुख स्थलों के साथ लिंकेज स्थापित करना है। नालंदा विरासत विकास योजना में पर्यटन हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सुधार भी शामिल है। हम इस योजना का कार्यान्वयन करने हेतु, 50 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते है जैसा कि राज्य सरकार द्वारा आग्रह किया गया है।

(ii) विकास और पुरातात्विक स्थलों का संरक्षणः29 पुरातात्विक स्थलों के विकास और संरक्षण हेतु 50 करोड़ रुपए के अनुदान की भी अनुशंसा करते हैं जिनको राज्य सरकार द्वारा चिन्हित किया गया है।

## नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना

12.148 एक पूरक ज्ञापन में, राज्य सरकार ने आयोग से आग्रह किया है कि युवकों में कौशल निर्माण करने हेतु बिहार को 105 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की आवश्यकता है और पंचाट अवधि की आवर्ती लागत को पूरा करने समेत 10 नए आईटीआई खोलने के लिए 100 करोड़ रुपए अनुदान आवंटित करने का आग्रह किया है। हम इस अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

*बाढ़ रोकने हेतु नदियों का अंर्तजोड़*

12.149 राज्य सरकार ने बूढ़ी गंडक-नान-बाया-गंगा लिंक हेतु फण्ड आवंटित करने का आग्रह किया है। यह लिंक नान और बाया नदियों को जोड़ते हुए गंगा में बूढ़ी गंडक के बाढ़ के पानी के 300 क्यूबिक का मार्ग परिवर्तित (अर्थात बाढ़ बहाव की अंशतः मात्रा) करना है ताकि बूढ़ी गंड़क बेसिन क्षेत्र के निचले हिस्सों में बाढ़ से होने वाले नुकसान जिसमें समस्तीपुर, बेगुसराय, और खगड़िया जिले शामिल है, को बहुत हद तक कम किया जा सकें। हम इस प्रयोजनार्थ 333 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते है जो आवश्यक अनापत्तियों को प्राप्त करने के पश्चात् इस कार्य हेतु दी जाएगी।

## छतीसगढ़

*नई राजधानी नगर का विकास*

12.150 छतीसगढ़ सरकार ने नया रायपुर की इसकी नए राजधानी नगर के विकास के लिए निधियन हेतु मांग प्रस्तुत की है। बारहवें वित्त-आयोग ने इस प्रयोजनार्थ 200 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध कराया था। राज्य सरकार ने कार्यालय कम्पलैक्स और सरकारी कर्मचारियों के आवास हेतु 450 करोड़ रुपए और जल संरक्षण निकाय, नगर पार्कों का विकास और ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों का उपयोग जैसे पर्यावरण के अनुकूल विकास परियोजनाओं हेतु 100 करोड़ रुपए राशि का अनुदान आवंटित करने का आग्रह किया है। नए राज्य की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, नया रायपुर के विकास हेतु 550 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

*प्रशासन अकादमी*

12.151 छतीसगढ़ के सृजन के परिणामस्वरूप,प्रशासन अकादमी की स्थापना 2004 में की गई किन्तु तब से अस्थायी परिसरों में चल रही है। राज्य सरकार ने अकादमी हेतु भूमि आवंटित की है और परिसर के निर्माण करने के लिए अनुदान मांगा है। इस प्रयोजनार्थ 28 करोड़ रुपए का अनुदान का प्रस्ताव करते हैं।

*आंगनबाड़ी केन्द्रो का निर्माण*

12.152 राज्य सरकार के पास 17000 से अधिक आंगनबाड़ी केन्द्र है जो भवन रहित हैं। जबकि राज्य सरकार आवासों के निर्माण में निधियन के अन्य श्रोतों का भी उपयोग कर रही है, राज्य सरकार ने

आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण हेतु अनुदान आवंटित करने का आग्रह किया है। इस प्रयोजनार्थ 150 करोड़ रुपए के आवंटन की अनुशंसा करते हैं।

*स्वास्थ्य अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण*

12.153 छतीसगढ़ सरकार ने राज्य में मूलभूत स्वास्थ्य अवसंरचना में बढ़ती कमी दर्शाई है। उनके आग्रह के अनुसार, 500 उप-स्वास्थ्य केन्द्रों, 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी), 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) और 100 आयुष डिस्पेन्सरी के निर्माण हेतु इस प्रावधान के साथ कि सुदूर स्रोतों में रह रहे आदिवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी, को 66 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

*पुलिस प्रशिक्षण*

12,154 पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय की प्रशिक्षण एकता को बढ़ाने और चांदखुरी में स्थापित की जाने वाली पुलिस अकादमी और कांकेर में काउंटर टेरौरिज्म एण्ड जंगल वारफेयर (सीटीजेजब्ल्यू) को मजबूत करने हेतु हम 42 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं जो कि राज्य सरकार द्वारा मांगी गई है।

*कारागार अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण*

12.155 राज्य सरकार ने बतलाया है कि राज्य के जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं। दो नए कारागारों के निर्माण, केन्द्रीय कारागारों को मजबूत बनाने और अन्य मौजूदा कारागारों का उन्नयन करने हेतु 150 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते है।

*पुलिस कार्मिकों हेतु रिहायशी आवास का निर्माण*

12.156 राज्य सरकारों ने पुलिस कर्मियों हेतु आवास की अत्यधिक कमी की रिपोर्ट दी है। नई बटालियनों के सृजन के साथ बेहद कमी हुई है। पुलिस कार्मिकों विशेषतः कांस्टेबलों, हैड-कांस्टेबलों और अराजपत्रित अधिकारियों के लिए आवास के निर्माण हेतु 250 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

*विरासत का संरक्षण*

12.157 राज्य सरकार ने प्रशिक्षण एवं प्रकाशनों जैसे जुड़े क्रियाकलापों के साथ-साथ स्मारक में संरक्षण कार्यों हेतु अनुदान मांगा है। इस विरासत के संरक्षण हेतु 45 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते है।

## गोवा

*समुद्रीय बैरीकेड*

12.158 गोवा में समुद्र तट के महत्व को देखते हुए पर्यटन सुरक्षा को बढ़ाने के लिए समुद्र बैरीकेड के लगाने के लिए राज्य सरकार ने ज्ञापन प्रस्तुत किया है। हम इस प्रयोजनार्थ 100 करोड़ रुपए अनुदान की अनुशंसा करते है।

*मोपा में नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण*

12.159 एक प्रमुख पर्यटन स्थल होने के नाते राज्य सरकार ने आग्रह किया है कि राज्य को एक नए हवाई अड्डे की आवश्यकता है जैसा कि डाबोलिम में मौजूदा हवाई अड्डा इंडियन नेवी के समग्र प्रचालन नियंत्रण के अधीन है। राज्य सरकार ने बिल्ड-आन-आपरेट-ट्रांसफर(बूट) आधार पर 200 करोड़ रुपए के प्रारंभिक खर्च किए जाने सहित गोवा में नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के निर्माण का प्रस्ताव किया है। सरकार ने 100 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में मांगा है जिसकी आयोग राज्य हेतु एक नए हवाई-अड्डे के महत्व को देखते हुए अनुशंसा करता है।

## गुजरात

*लवणता का फैलाव*

12.160 अपने ज्ञापन में, सरकार ने बतलाया है कि लवणता के फैलाव के कारण 600 से अधिक तटवर्ती गांवों में 10.69 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है। हम इस समस्या के निदान हेतु 150 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव करते हैं।

*तटीय अपरदन*

12.161 राज्य सरकार ने लगभग 450 मत्स्य आधारित गांवों द्वारा सामना किए जा रहे तटीय अपरदन के संकट का सामना करने के लिए सहायता मांगी है। हम इस प्रयोजनार्थ 150 करोड़ रुपए आंवटित किए जाने का प्रस्ताव करते हैं।

*भूमिगत जल का रिचार्ज*

12.162 उत्तरी गुजरात और सौराष्ट्र के भूमिगत जलस्तर में गिरावट देखी गयी है। राज्य सरकार ने भूमिगत जल के रिचार्ज करने हेतु उपायों के लिए चेक डेम का निर्माण, स्टेप कुंओं की सफाई और जीर्णोदार, कुंओं को गहरा करने और रेन वाटर हरवेस्टिंग जैसी सहायता करने का आग्रह किया है। हम इस प्रयोजनार्थ 200 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध कराया जा सकता है।

*पुलिस प्रशिक्षण*

12.163 राज्य के चार पुलिस प्रशिक्षण संस्थान हेतु अवसंरचनात्मक ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता मांगी गई है। यह प्रशिक्षण संबंधी कार्यों को प्रभावपूर्ण तरीके से बढ़ाने और आधुनिक बनाने हेतु राज्य को समर्थ बनायेगा। इस प्रयोजनार्थ 215 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

*आदिवासी क्षेत्र का विकास*

12.164 राज्य सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों के विकास हेतु शिक्षा, कृषि, और पशुपालन क्षेत्र के साथ ही प्रशासनिक सुधार संबंधी क्षेत्र में सहायता मांगी है। इस प्रयोजनार्थ 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव है।

*जन स्वास्थ्य*

12.165 राज्य सरकार ने जन स्वास्थ्य के माध्यम से समन्वित गुणवत्ता सेवाओ को उपलब्ध कराने हेतु सहायता का आग्रह किया है। इस प्रयोजनार्थ 237 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव है।

*सीमावर्ती सड़को का निर्माण*

12.166 गुजरात सरकार ने अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ साथ पूरे क्षेत्रों में सड़को के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता मांगी है। इस प्रयोजनार्थ 100 करोड़ रुपए की राशि की अनुशसां करते हैं।

*गिर बाघ परियोजना*

12.167 राज्य सरकार ने ब्रुहद गिर क्षेत्र के विकास हेतु गिर के बाघों का संरक्षण, इको-टूरिज्म सुविधाओं का अनुरक्षण और पर्यावरण संरक्षण की सहायता समेत वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है। हम इस प्रयोजनार्थ 48 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन कि जाने का राज्य सरकार के आग्रह का समर्थन करते हैं।

## हरियाणा

*मेवात क्षेत्र का विकास*

12.168 राज्य सरकार ने मेवात जिले के बहु-क्षेत्रीय विकास हेतु सहायता मांगी है। इन पिछड़े जिलो हेतु निम्नानुसार 300 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैः

(i) पेयजल आपूर्ति का संवर्धन - 100 करोड़ रुपए
(ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु अवसंरचना - 100 करोड़ रुपए
(iii) मेडिकल कालेज की स्थापना समेत स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना को सुदृढ़ करना - 100 करोड़ रुपए।

*पुलिस प्रशिक्षण*

12.169 राज्य सरकार ने पुलिस विभाग के अवसंरचनात्मक ढ़ांचे को मजबूत बनाने हेतु सहायता मांगी है ताकि प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से चलाने हेतु इनको समर्थ बनाया जा सकें। हम इस प्रयोजनार्थ 100 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते है।

*पेयजल*

12.170 राज्य सरकार ने रिवर्स ओसमोसिस प्लांट की स्थापना समेत दक्षिणी हरियाणा और राज्य के शिवालिक क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति सुविधाओं को उन्नत बनाने हेतु सहायता मांगी है। हम इस प्रयोजनार्थ 300 करोड़ रुपए अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

*अग्नि शमन व आपातकालीन सेवाएँ*

12.171 हरियाणा के कई क्षेत्रों में तेजी से औद्योगिकरण के साथ अग्निशमन सेवा विभाग को अधतन किए जाने और आपात स्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित किए जाने की आवश्यकता है। हम इस प्रयोजनार्थ 100 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन करते है।

*स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना*

12.172 राज्य सरकार ने अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो, सीएचसी, उपप्रभाग और जिला अस्पताल समेत अन्य जारी कार्यक्रमों के अधीन कवर न किए गए अन्तर को कम करने के लिए स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना को मजबूत बनाने हेतु सहायता मांगी है। इस प्रयोजनार्थ हम 200 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

## हिमाचल प्रदेश

*जलापूर्ति स्कीमों का संवर्द्धन*

12.173 हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्षेत्र के लोगों के घरेलू जल की आवश्यकताओं के लिए एक दीर्घावधिक समाधान के रूप में दैहरा के अत्यंत शुष्क और शुष्क उप-हिमालय क्षेत्र जसवनानक/बिलासपुर/ब्यास और सतलुज नदियों के पालंमपुर, कोल दामा में पुनर्वास और जलापूर्ति ने स्रोत-स्तर पर संवर्धन हेतु अनुदान मांगा है। इस क्षेत्र में जल की कमी को ध्यान में रखते हुए हम 150 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते है।

*स्टील क्रैस बैरियर का प्रतिष्ठापन और चिरकालिक आपदाग्रस्त स्थलों में पारापेट का सुदृढ़ीकरण*

12.174 एक पूरक ज्ञापन में, राज्य सरकार ने लगभग 536 चिरकालिक आपदाग्रस्त स्थलों में स्टील फ्रैम बैरियर के प्रतिष्ठापन और पारापेट के सुदृढ़ीकरण हेतु 250 करोड़ रुपए का अनुदान देने का अनुरोध करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि घातक मानवीय घटनाओं और दुर्घटनाओं को कम करने के साथ ही ऊंचाई वाले क्षेत्र में अवस्थित प्रमुख राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग और अन्य सड़को के आरामदेह स्तर को बढ़ाना अनिवार्य है। राज्य में सड़क सुरक्षण के महत्व को देखते हुए हम 100 करोड़ रुपए की अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

*नए पार्किंग स्थल, मल निकास, जल निकास, ठोस कचरा निपटान स्कीम का विकास।*

12.175 राज्य में पर्यटकों के भारी आवागमन को देखते हुए, सरकार ने 13 प्रमुख पर्यटन शहरों और जिला मुख्यालयों में पार्किंग लाट, मल निकास, जल निकास, और ठोस कचरा निपटान की सुविधाओं का विकास करने के लिए अनुदान का अनुरोध किया है ताकि इन पर्यटन स्थलों के माहौल का सुधार किया जा सकें।

*सीमा क्षेत्र का विकास*

12.176 सीमा क्षेत्र के विकास हेतु निम्नानुसार अनुदान मांगा गया है।

(i) राज्य सरकार ने कलपा, पुह और स्पीति के तीन सीमा प्रखण्डों में सड़को और पुलों के निर्माण और सुधार हेतु अनुदान मांगा है। राज्य सरकार ने इन परियोजनाओं के महत्व को केन्द्रित किया है जो इन क्षेत्रों में भारी हिमपात के दौरान भी वैकल्पिक सड़क लिंक उपलब्ध कराएगा। राज्य सरकार के अनुरोध के अनुरूप हम 25 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।
(ii) राज्य सरकार ने किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों के सीमा क्षेत्रों में विद्युत अवसंरचना सुदृढ़ करने हेतु एक अनुदान देने का भी अनुरोध किया है। इन जिलों को चिहिनत चार परियोजनाएँ विद्युतापूर्ति की गुणवत्ता में सुधार और जलानेवाली लकडियों और विरल वनाच्छादन पर निर्भरता को कम करेगी। इस प्रयोजनार्थ हम 25 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

## जम्मू व कश्मीर

*राजकोषीय सुधार*

12.177 जम्मू व कश्मीर सरकार ने आयोग को प्रस्तुत अपने ज्ञापन और पूरक पत्रों में राज्य की प्राप्तियों और व्यय में अस्थायी असंतुलन को वित्त-पोषित करने की मौजूद पद्धति के अंतर्गत अपने राजकोषीय भार को उजागर किया है। इस समय इस अंतर को 14 प्रतिशत की औसत ब्याज पर जम्मू व कश्मीर बैंक से ओवरड्राफ्ट सुविधाओं से पूरा किया जाता है। विगत वर्षो के दौरान इसने प्राप्ति और व्यय में अल्पावधिक असंतुलन को पाटने की एक अस्थायी सुविधा के स्थान पर ढ़ांचागत घाटे का स्वरूप ले लिया है। राज्य सरकार ने एक राजकोषीय सुधार के मार्ग का प्रस्ताव किया है जिसके अंतर्गत राज्य भारतीय रिजर्व बैंक के अर्थोपाय व्यवस्था की ओर अग्रसर होगा और उसने आयोग से जम्मू व कश्मीर बैंक के मौजूदा ओवरड्राफ्ट के परिसमापन हेतु 2300 करोड़ रुपए के राजस्व अंतर अनुदान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। हमने राज्य सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया है और प्रस्तावित राजकोषीय सुधार मार्ग को अमल में लाने हेतु निम्नलिखित व्यवस्था के साथ 1000 करोड़ रुपए के राजकोषीय सुधार अनुदान की सिफारिश की है।

(i) मौजूदा ओवरड्राफ्ट की शेष राशि को राज्य सरकार द्वारा जुटाए गए बाजार उधारों से वहन किया जाएगा। इसके लिए वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमति दी जाएगी और यह राज्य सरकार की वार्षिक उधार सीमा से अतिरिक्त होगा। इसका तात्पर्य जहां यह होगा कि राज्य का अनुमेय राजकोषीय घाटा अध्याय 9 में वर्णित

राजकोषीय उत्तरदायित्व, कानून के संगत राजकोषिय घाटे से अधिक होगा वहीं यह एक बारगी प्रोत्साहन उपाय है जिसका राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिए दीर्घावधिक लाभ होगें। अतः हम सिफारिश करेगें कि इस राशि को राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून के संगत राजकोषीय घाटे का परिकलन करते समय गणना में नहीं लिया जाए।

(ii) वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, और जम्मू व कश्मीर सरकार के प्रतिनिधियों की एक समिति वैकल्पिक अर्थोपाय प्रबंधों को कार्यान्वित करने के लिए गठित की जाएगी।

(iii) यह व्यवस्था जहां तक संभव हो 2010-11 के भीतर कार्यान्वित की जानी चाहिए तथापि इससे 1 वर्ष अर्थात् 2011-12 तक बढ़ाया जा सकता है जिसके बाद अनुदान उपलब्ध नहीं होगा।

(iv) भारतीय रिजर्व बैंक की समय-समय पर यथा परिशोधित अर्थोपाय सुविधा राज्य सरकार पर समय सीमा, ब्याज दर, ओवरड्राफ्ट आदि की दृष्टि से लागू होगी। भारतीय रिजर्व बैंक इसके प्रावधानों का अनुपालन का पर्यवेक्षण और निगरानी कर सकता है।

(v) राज्य बाजार उधार जुटाएगा और बकाया ओवरड्राफ्ट के 50 प्रतिशत का परिसमापन करेगा तथा इस बारे में वित्त मंत्रालय को सूचित करेगा। तत्पश्चात मंत्रालय इस प्रयोजन हेतु प्रावधानित 1000 करोड़ रुपए का अनुदान जारी करेगा। यदि बाजार उधार किस्तों में जुटाया जाता है तो अनुदान समान अनुपातों में जारी किया जाएगा।

(vi) यदि राज्य सरकार किसी भी अवस्था में यथाप्रयोज्य अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट सीमाओं का उंलघन करती है तो उस सींमा तक राजकोषीय सुधार अनुदान को एनपीआरडी अनुदान समझा जाएगा। परिणामस्वरूप राज्य को एनपीआरडी में वह राशि कम कर दी जाएगी।

*विधायी काम्पलेक्स, जम्मू*

12.178 जम्मू व कश्मीर सरकार ने अपने ज्ञापन में यह प्रस्तुत किया है कि मौजूदा राज्य विधायी भवन जम्मू में सिविल सेक्रेटेरियट कम्पलैक्स के अंतर्गत अवस्थित है और जम्मू में नए व आधुनिक विधायी कम्पलैक्स की आवश्यकता है। सरकार ने इसके निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए अनुदान देने का अनुरोध किया है। हम इस अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

*मुबारक मंडी, जम्मू*

12.179 जम्मू में आयोग के दौरे के दौरान, राज्य सरकार ने मुबारक मंडी के सांस्कृतिक धरोहर के और पर्यटन धरोहर स्थल की संभावनाओं, को केन्द्रित किया है। हम इन विरासत भवनों के संरक्षण और हेतु 50 करोड़ रुपए का अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

*तवी नदी का संरक्षण और सुदृढ़ीकरण, जम्मू*

12.180 राज्य सरकार ने तवी नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने, पेयजल आपूर्ति में सुधार करने और बाढ़ के दौरान परिसम्पत्तियों के नुकसान को रोकने के लिए तवी फ्रांट के संरक्षण तथा पुनरुद्धार हेतु फण्ड देने का अनुरोध किया है। इस संबंध में 25 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

*लोक सेवा आयोग भवन का निर्माण*

12.181 जम्मू में लोक सेवा आयोग (पीएससी) का भवन है किन्तु श्रीनगर में अस्थायी रूप से अवास्थित है। जैसाकि राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है, हम श्रीनगर में लोक सेवा आयोग के भवन के निर्माण हेतु 15 करोड़ रुपए देने की अनुशंसा करते हैं।

*वुलर झील, कश्मीर*

12.182 जम्मू व कश्मीर सरकार ने अपने ज्ञापन में कहा है कि वुलर झील एशिया में सबसे बड़ी स्वच्छ जल झील है और राज्य में पहली "रामसर" स्थल घोषित की गई है अतः झील हेतु प्रबंधन के उपाय के लिए फण्ड मांगा गया है। हम इस प्रयोजनार्थ 120 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

*कारगिल जिला, लद्दाख के सड़को को जोड़ना*

12.183 कारगिल जिला के सुदुर इलाकों में मौजूदा सड़कों के उन्नयन नई सड़क कनेक्टीविटी हेतु फण्ड देने का अनुरोध किया गया है। हम इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए 20 करोड़ रुपए का अनुदान देने की अनुशंसा करते हैं।

*लेह जिला में ऊर्जा वितरण नेटर्वक का उन्नयन*

12.184 लेह जिले में ऊर्जा वितरण नेटवर्क तीन से अधिक दशकों पूर्व लगाया गया था। तब से किसी भी प्रकार का नवीकरण/आधुनिकीकरण को कार्य नहीं किया गया। यह रिपोर्ट है कि त्वरित ऊर्जा विकास और सुधार कार्यक्रम फण्ड (एपीडीआरपी) इस क्षेत्र में पहुंच नहीं पाया है। लेह जिला में ट्रांशमिशन और वितरण प्रवासी के नवीकरण और आधुनिकीकरण के प्रयोजन हेतु हम 15 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते है जैसा कि राज्य सरकार द्वारा मांगी गई है।

*क्रीड़ा कम्पलैक्स और युवा छात्रावास, लेह*

12.185 राज्य सरकार ने युवाओं के समग्र विकास हेतु आईस हॉकी रिंक और अन्य खेल सुविधाओं के निर्माण के लिए फण्ड मांगा है। हम आईस हॉकी रिंक के लिए इसकी छत और अन्य संबंधित कार्यो और तीरंदाजी स्टेडियम सहित साथ ही अन्य खेलों के लिए बहुउद्देशीय हाल के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि कि अनुशंसा करते हैं।

*लेह में कृषिगत और बागवानी उपायों हेतु कोल्ड स्टोरेज और विपणन की सुविधाएं*

12.186 राज्य सरकार ने उजागर किया है कि कृषि की अवधि बहुत कम है। ज्यादातर कृषिगत उत्पाद जून और अगस्त महीने के बीच बाजार में आते है लेकिन स्टोरेज और आधुनिक बाजार सुविधाएं नहीं है जिससे उत्पादों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके। राज्य सरकार ने लेह, खालत्सी और नूबरा में कोल्ड स्टोरेज ईकाईयों की स्थापना करने, साथ ही अनाजों के स्टोरेज के लिए गोदामों का निर्माण, सब्जी तहखाना की स्थापना करने, और सब्जी प्रसंस्करण ईकाईयों को संवर्द्धित करने हेतु फण्ड देने का अनुरोध किया है। हम इस हेतु 15 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

*लेह जिला में पुलों का निर्माण*

12.187 कठोर भू-भाग क्षेत्र के कारण इस क्षेत्र में सड़क संयोजकता सबसे प्रमुख समस्या है तथा कुछ पुलों की अधिक आवश्यकता है। हम पुलों के निर्माण हेतु 15 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

*पर्यटन*

12.188 हम स्थानीय लोगों को लाभ पहुंचाने, उनकी आर्थिक आवश्कताओं को पूरा करने, वन्यजीवन के, गारंटी प्रदान करने वाली

दीर्घावधिक संरक्षण हेतु लेह में इको-टूरिज्म के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

## झारखण्ड

*आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण*

12.189 झारखण्ड सरकार के पूरक ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य में 20,000 आंगनबाड़ी केन्द्रों के पास उपयुक्त भवन नहीं है जससे इन केन्द्रों में सेवा वितरण अत्यधिक प्रभावित होता है। जबकि राज्य पिछड़ा क्षेत्र विकास फण्ड (बीआरजीएफ) और ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) समेत अपने उपलब्ध फण्डों का उपयोग कर रहा है। राज्य ने 10,000 केन्द्रों के निर्माण हेतु 432 करोड़ रुपए देने का आग्रह किया है। पूर्व बाल्यावस्था देखभाल के महत्व को देखते हुए हम इस प्रयोजर्नाथ राशि की अनुशंसा करते हैं।

*पुलिस प्रशिक्षण*

12.190 पुलिस कर्मिकों हेतु पर्याप्त प्रशिक्षण के महत्व को देखते हुए विशेषकर नक्सलवाद समस्या से निपटने के संबंध में राज्य सरकार ने एक झारखण्ड पुलिस अकादमी की स्थापना करने जंगल वारफेयर स्कूल का उन्नयन करने और पदमा में कांस्टेबल प्रशिक्षण विद्यालय की क्षमता वर्द्धन हेतु अनुदान देने का आग्रह किया है। हम राज्य सरकार के इन प्रयासों का समर्थन करते हैं और निम्नानुसार अनुदानों की अनुशंसा करते है।

*(करोड़ रुपए)*

| | | |
|---|---|---|
| (क) | झारखण्ड पुलिस अकादमी | 14 |
| (ख) | जंगल वारफेयर विद्यालय का उन्नयन | 29 |
| (ग) | कांस्टेबल प्रशिक्षण विद्यालय | 30 |
| | **जोड़** | **73** |

*पुलिस आवास*

12.191 राज्य सरकार ने नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किए गए पुलिस के लिए पारिवारिक आवास उपलब्ध कराने हेतु समेन्वित पुलिस कालोनियों का प्रस्ताव किया है। हम इस प्रयोजनार्थ 225 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

*औद्योगिक तकनीकी संस्थानों का निर्माण*

12.192 राज्य की महिलाओं हेतु छह औद्योगिक तकनीकी संस्थानों समेत वर्तमान में 20 औद्योगिक तकनीकी संस्थान है। 20 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु 200 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं। इसमें वामपंथी नक्सलवाद से प्रभावित राज्य के 10 जिलों को प्राथमिकता दी जाए।

*विरासत संरक्षण*

12.193 राज्य ने समारक और एन्टीक्वारियन अवशेषों के संरक्षण और विकास करने हेतु 18 जगहों की पहचान की है। राज्य ने पर्यटकों साथ ही स्थानीय लोगो के लाभार्थ हेरिटेज गैलरियों के निर्माण करने के लिए भी प्रस्ताव किया है। हम इस प्रयोजनार्थ 100 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते है।

*प्रखण्ड स्तर के अवसंरचना का उन्नयन*

12.194 राज्य के पूरक ज्ञापन में 260 प्रखण्डों में अवसंरचना की कमी को दर्शाया गया है जहां उपयुक्त कार्यालय भवनों और स्टाफ क्वाटरों की कमी है। इन भवनों के निर्माण हेतु 270 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

*आदिम जनजातीय समूह हेतु विकास योजना*

12.195 राज्य सरकार के ज्ञापन में राज्य में नौ आदिम जनजातीय समूहों का उल्लेख किया है। इसके अलावा आदिम जनजातीय समूहों के विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त छात्रावासों और वोकेशनल संस्थानों की आवश्यकताओं को दर्शाया गया है। हम इस उद्देश्य हेतु 125 करोड़ रुपए अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

## कनार्टक

*तालाबों और पराम्परागत जल निकायों का पुनरुद्धार*

12.196 राज्य सरकार ने 30,000 से अधिक लघु सिंचाई के पुनरुद्धार हेतु वित्तीय सहायता मांगी है जो मौजूदा पुनर्वास परियोजनाओं के अंतर्गत कवर नहीं की गई है। इसमें सिंचाई और पेयजल के उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी साथ ही भूमिगत जल के स्तर में सुधार होगा। इस प्रयोजनार्थ 350 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

*पेयजल*

12.197 राज्य सरकार ने फ्लोराइड प्रभावित पेयजल की 5800 से अधिक जगहों और आर्सेनिक मिश्रित जलापूर्ति के 300 से अधिक स्थानों में जल गुणवत्ता की समस्या को दूर करने हेतु सहायता मांगी है। राज्य सरकार ने एक्सेलरेडेट रुरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम के अंतर्गत नियमित निधियन को सहायता का अनुरोध किया है। हम इस प्रयोजनार्थ 300 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

*बंगलुरु में अवसंरचना*

12.198 बंगलुरु भारत में तेजी से उभरने वाले शहरों में से एक है और अपने नागरिक अवसंरचना के मामले में अत्यधिक दबाव को महसूस कर रहा है। जलापूर्ति, मल निकास ठोस कचरा प्रबंधन, सड़के, तूफानी जल निकासी, सड़के, स्ट्रीट प्रकाश इत्यादि में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है। जैसा कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित है हम निम्न पहलों हेतु सहायता की अनुशंसा करते हैं।

(i) ठोस कचरा प्रबंधन अवसंरचना में उन्नयन तथा निवेश - 200 करोड़ रुपए

(ii) पार्किंग हेतु विकास और जंक्शन के सुधार करने हेतु यातायात प्रबंधन अवसंरचना में उन्नयन एवं निवेश - 200 करोड़ रुपए

*विरासत*

12.199 हम राज्य के विरासत को प्रदर्शित करने वाले भवनों बड़ी संख्या में स्मारकों की सुरक्षा करने हेतु राज्य सरकार के आग्रह का समर्थन करते है और इस हेतु 100 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते है।

*पुलिस प्रशिक्षण*

12.200 राज्य सरकार ने पूरे राज्य में रेंज-स्तर और जिला-स्तर पर पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना हेतु सहायता का अनुरोध किया है ताकि इसके पुलिस कार्मिको के प्रशिक्षण हेतु अतिरिक्त क्षमता का सृजन किया जा सके। इस प्रयोजनार्थ 150 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते है।

## केरल

*पुलिस विभाग का उन्नयन*

12.201 राज्य सरकार ने पुलिस विभाग की क्षमता और प्रभावोत्पादकता के संवर्धन हेतु सामुदायिक पुलिस संसाधन केन्द्र, पर्यटक सुरक्षा और

पुलिस सहायता केन्द्र वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा स्कीम, विदेशी सुविधा केन्द्र और पुलिस कार्मिकों हेतु शयनकक्ष के निर्माण हेतु सहायता मांगी है। इस उद्देश्य के लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि की सिफारिश की जाती है।

*अन्तरराज्यःजलमार्ग*

12.202 राज्य सरकार ने पुननिर्माण और समुद्री दीवार के निर्माण समेत अन्तरराज्य और तटीय क्षेत्र प्रबंधन के विकास हेतु सहायता का अनुरोध किया है। इस प्रयोजनार्थ 200 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

*आदिम जनजातीय समूह*

12.203 स्वास्थय में अतिरिक्त उपाय, भूमि संरक्षण, प्राथमिक शिक्षा पेयजल और गुणवत्ता क्षेत्र के माध्यम से केरल में आदिम जनजातीय समूह के विकास हेतु 148 करोड़ रुपए की राशि का अनुरोध किया गया है। हम इस राशि के आवंटन की अनुशंसा करते है।

*स्वास्थ्य अवसंरचना*

12.204 सरकारी अस्पतालो में अवसंरचना को बढ़ाने के लिए ट्रामा केयर यूनिट की स्थापना, नैदानिक सुविधाओं को मजबूत करने, जरा चिकित्सीय देखभाल उपलब्ध कराने और बायो-चिकित्सा कचरा के निपटान हेतु 198 करोड़ रुपए की राशि देने का आग्रह किया है। राज्य में स्वास्थ्य अवसंरचना के सुधार के प्रयोजनार्थ इस राशि की अनुशंसा करते हैं।

*मत्स्य पालन*

12.205 राज्य सरकार ने माडल मत्स्य ग्रामों का निर्माण, पेयजल का प्रावधान, मत्स्य विपणन केन्द्र की स्थापना, मत्स्य विद्यालय निर्माण इत्यादि समेत मत्स्य क्षेत्र के विकास हेतु सहायता मांगी है। हम इस प्रयोजनार्थ 200 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

*करागारों का उन्नयन*

12.206 राज्य सरकार ने करागारों में बेहतर सुविधाएं देने और कैदियों को रोजगारपरक प्रशिक्षण मुहैया कराने हेतु महायता मांगी है। करागारों में सौर प्रकाश प्रणाली लगाने का भी प्रस्ताव है। हम इस प्रयोजनार्थ 154 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

*पशु पालन*

12.207 हाई-टेक डेयरी कम्पलैक्स का निर्माण, एक व्यापारिक स्तर का फार्म और एक फार्मास्युटिकल प्रोडक्शन यूनिट की स्थापना समेत पशुपालन क्षेत्र को मजबूत करने हेतु सहायता मांगी गई है। हम इस प्रयोजनार्थ 150 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते है।

*जल निकाय*

12.208 राज्य सरकार ने डिस्टलिगं, जलमार्गों की मरम्मत, ढांचे प्रतिधारण के निर्माण के माध्यम से तालाबों के पुनर्विकास हेतु सहायता मांगी है। हम इस प्रयोजनार्थ 50 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते है।

*कुट्टनद का विकास*

12.209 राज्य सरकार ने कुट्टनद विकास पैकेज के कार्यान्वयन हेतु सहायता मांगी है जिसका उद्देश्य कुट्टनद वेटलैण्ड इको-सिस्टम के वातावरणीय सुरक्षा को मजबूत करना है। हम इस प्रयोजनार्थ 300 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

## मध्य प्रदेश

*आंगनबाडी केन्द्रो का निर्माण*

12.210 मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में अपने भवनों के अभाव में चल रहे बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी केन्द्रों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। किशोर कन्याओं और महिलाओं के कुपोषण और समस्याओं का सामना करने हेतु इन केन्द्रों के महत्व को देखते हुए, आंगबाड़ी भवनों हेतु 400 करोड़ रुपए के एक अनुदान की अनुशंसा करते हैं। इस संबंध में प्राथमिकता आदिवासी और अनुसूचित जाति के उच्च अनुपात वाले क्षेत्र के साथ ही कुपोषण की उच्च दरों के अन्य क्षेत्रों को दी जाए।

*पर्यटन का विकास*

12.211 राज्य सरकार ने राज्य में पर्यटन के हाल के विकास को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार की आवश्यकताओं का विवरण राज्य के ज्ञापन में सौंपा है। हालांकि, हम प्रस्ताव में शामिल आवर्ती लागतों में शामिल सहायता मदों के प्रचार, संवर्द्धन और सांख्यिकी जैसी मदों के पक्ष में नहीं है अतः हम पर्यटन क्षेत्र हेतु 180 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

*पुलिस प्रशिक्षण*

12.212 अप्रशिक्षित पुलिस कार्मिकों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने राज्य में पांच पुलिस प्रशिक्षण केन्द्रों का उन्नयन करने और पुलिस अनुसंधान ब्यूरो और विकास के मानक और मानदण्ड के अनुसार सागर में नए आधारभूत कांस्टेबल विद्यालय की स्थापना करने हेतु अनुदान मांगा है। हम इस प्रयोजनार्थ 180 करोड़ रुपए का अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

*धरोहर का संरक्षण*

12.213 मध्य प्रदेश में तीन विश्व विरासत स्थल सहित बड़ी संख्या में धरोहर स्थल अवस्थित है। राज्य सरकार ने धरोहर के संरक्षण, विकास और प्रबन्धन हेतु अनुदान का आग्रह किया है। हम इस प्रयोजनार्थ 175 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते है। इसमें प्राथमिकता बड़ी संख्या में उन स्मारकों को दी जाए जिन्हें अब तक किसी प्रकार का फण्ड नहीं मिल पाया है।

*स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना*

12.214 राज्य सरकार ने राज्य में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी अव-संरचना हेतु अनुदान मांगा है। राज्य में स्वास्थ्य संबंधी देखभाल को बेहतर बनाने हेतु निम्नानुसार 250 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

| क्रियाकलापों का विवरण | राशि |
|---|---|
| जिला अस्पतालों हेतु पेडियाट्रिक गहन देखभाल ईकाई प्रत्येक 40 लाख रुपए की दर से | 20.00 |
| प्रखण्ड स्तर में 100 संस्थानों गुणवत्तायुक्त पुनर्वास केन्द्रों(एनआरसी) 20 बिस्तर वाले बच्चों के वार्ड हेतु निर्माण की कींमत सहित प्रत्येक 15 लाख रुपए की दर से | 15.00 |
| जिला अस्पताल हेतु ट्रामा यूनिट सहित आकस्मिक कक्ष प्रत्येक 125 लाख रुपए की दर से | 125.00 |
| जिला अस्पतालों हेतु माइक्रोबायोलोजी लैबोट्री प्रत्येक 15 लाख रुपए की दर से | 15.00 |
| जिला अस्पतालो में मातृत्व कक्ष प्रत्येक 15 लाख रुपए की दर से | 75.00 |

*गांधी चिकित्सा महा विद्यालय, भोपाल में वायरोलोजी लैबोरेटरी की स्थापना*

12.215 अपने पूरक ज्ञापन में मध्य प्रदेश सरकार ने जीवाणु जनित रोग की पहचान करने और उपयुक्त उपचार योजना हेतु राज्य में बायो रोलोजी लैबोटरी की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रकार की लैब्रोटरी की स्थापना हेतु 24 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

*एमटीएच हॉस्पिटल, इन्दैर का उन्नयन*

12.216 इन्दौर में एक सौ वर्ष पुराने एमटीएच हॉस्पिटल के उन्नयन करने हेतु फण्ड देने का अनुरोध किया गया है जो सुरक्षित मातृत्व और संस्थागत बाल जन्म उपलब्ध कराता है। 65 से 300 बिस्तर की संख्या में वृद्धि करने हेतु 22 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

## महाराष्ट्र

*आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण*

12.217 राज्य सरकार ने नोट किया है कि लगभग 35,000 आंगनबाड़ी के पास अपना भवन नहीं है जो सेवाओं की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। हम नए भवनों के निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

*असमुद्रीय क्षरण को रोकने के उपाय*

12.218 राज्य सरकार ने छह जिलों में समुद्रीय क्षरण को रोकने हेतु 110 बन्दों के निर्माण कार्य के क्रियान्वयन हेतु सहायता मांगी है। हम इस प्रयोजनार्थ 205 करोड़ रुपए के आवंटन की अनुशंसा करते हैं।

*दुर्गम क्षेत्रों में सड़को का विकास*

12.219 राज्य सरकार ने अपने जिलों में सुदुर क्षेत्रों में सड़को के निर्माण हेतु सहायता मांगी जिन्हें सीमा सड़क संगठन द्वारा कवर किया जा रहा है। हम इस हेतु 200 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

*पुलिस प्रशिक्षण*

12.220 राज्य सरकार ने राज्य में अपने कई पुलिस प्रशिक्षण विद्यालयों के उन्नयन, साथ ही पुलिस अकादमी और जासूसी प्रशिक्षण विद्यालयों के माध्यम से पुलिस प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु सहायता मांगी है। हम इस संबंध में प्रस्तावित 223 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

*धरोहर संरक्षण*

12.221 विभिन्न स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु, किले और स्मारकों सहित जो राज्य सरकार के देखभाल के अधीन है के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि की मांग रखी गई है। हम अनुशंसा करते है कि यह राशि उपलब्ध करायी जाए।

*करागार विभाग*

12.227 करागार में सुविधाओं के उन्नयन और कारागार की सुरक्षा में सुधार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निधि मांगी गई है। इस प्रयोजनार्थ 60 करोड़ रुपए का अनुदान प्रस्तावित करते हैं।

*खाद्य जांच प्रयोगशालाएं*

12.223 जैसा कि राज्य सरकार ने अनुरोध किया है, छह अनुमंडलीय मुख्यालयों में खाद्य जांच प्रयोगशाला की स्थापना करने हेतु 32 करोड़ रुपए की राशि की आवंटन किया जाता है।

*औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरण*

12.224 राज्य में 407 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है जिनमें से कई 40 वर्ष पूर्व स्थापित की गई थी। तब से इनमें से कई को आधुनिक नहीं बनाया गया है। हम अतिरिक्त अवसंरचना और मशीनरी के पुर्नस्थापन के जरिए इन औद्योगिक तकनीकी संस्थानों के सुदृढ़ीकरण हेतु 115 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

## मणिपुर

*कांगला जिला का विकास और रख रखाव*

12.225 आयोग को प्रस्तुत किए गए अपने ज्ञापन में, मणिपुर सरकार ने कांगला जिला, इम्फाल के महत्व को राज्य में ऐतिहासिक और संस्कृति में केन्द्र के रूप में प्रकाशित किया है। इस आग्रह के प्रत्युत्तर में, कांगला जिला के विकास हेतु 8 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

*राजभवन का नवीकरण और रखरखाव*

12.226 राज्य सरकार ने इस लक्ष्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि वर्तमान राजभवन कम्पलैक्स का निर्माण 1898 में हुआ था। इस संरचना की डिजाइन को ध्यान में रखते हुए भवन का रखरखाव एक कठिन कार्य है। राज्य सरकार ने नवीकरण हेतु 10 करोड़ रुपए की राशि की सहायता मांगी है ताकि भावी पीढ़ियों के लिए विरासत के भवन का रखरखाव सुनिश्चित किया जा सकें। हम इस अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

*मणिपुर पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय(पणजी) का मणिपुर पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के रूप में (एमपीटीसी) में उन्नयन*

12.227 राज्य सरकार से प्राप्त पूरक ज्ञापन में यह वक्तव्य दिया गया है कि मणिपुर राज्य पुलिस के पास सिर्फ पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय है जो भर्ती कांस्टेबल/रायफल कार्मिको को मूल प्रशिक्षण देता है और इसकी अन्य पुलिस कामिकों को मूल प्रशिक्षण अथवा सेवाकालीन प्रशिक्षण देने की क्षमता नहीं है। राज्य सरकार ने राज्य में पुलिस बल के लिए प्रशिक्षण क्षमता में सुधार करने हेतु फण्ड देने का आग्रह किया है। राज्य में सुरक्षा परिदृश्य और पुलिस प्रशिक्षण के महत्व को देखते हुए इस प्रयोजनार्थ 84 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

*ग्रामीण और सुदुर क्षेत्रों में पुलिस स्टेशन हेतु अवसंरचना*

12.228 राज्य सरकार ने सुदुर और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस असंरचना को सुदृढ़ करने हेतु फण्ड मांगा है। राज्य सरकार ने नौ पुलिस स्टेशनों का प्रस्ताव किया है। इस प्रयोजनार्थ 23 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

*सीमा क्षेत्र का विकास*

12.229 राज्य सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय सीमा वाले पहाड़ी जिला चंदेल के छोटे शहरी इलाके मोरेह में आंतरिक सड़को के सुधार और उन्नयन, जल, स्ट्रीट लाइट और मूलभूत शहरी सुविधाओं, मल निकासी और बहाव हेतु फण्ड देने का आग्रह किया है। इस उद्देश्य हेतु हम 25 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते है।

*खेलों के लिए विशेष उन्नयन अनुदान*

12.230 राज्य द्वारा प्रस्तुत पूरक ज्ञापन में, राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मणिपुर के खिलाड़ियों के निरन्तर उत्कृष्ट प्रदर्शन की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। राज्य सरकार को इम्फाल में मुख्य खेलकूद परिसर के उन्नयन के लिए एफसी-XI और एफसी-XII दोनों से अनुदान प्राप्त हुए हैं। राज्य ने अपने दस वर्ष पुराने बुनियादी ढांचे को अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की मांग की है। हम खेलों में राष्ट्रीय उपलब्धि में राज्य के योगदान को ध्यान में रखते हुए, इस अनुदान की सिफारिश करते हैं।

*स्वायत्त जिला परिषदों के लिए अवसंरचना*

12.231 राज्य सरकार ने बताया है कि जिला परिषदों के लिए परिसमन की कवायद पूरी हो चुकी है और राज्य में चुनावों की तैयारियां चल रही हैं। एक बार स्वायत्त जिला परिषदों का गठन होने पर, प्रशासनिक अवसरंचना के लिए बहुत बड़ी मांग पैदा होगी। राज्य ने इस अवसरंचना के निर्माण के लिए 51 करोड़ रुपए की मांग की है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि परिषदों के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से, मणिपुर विधानसभा द्वारा मणिपुर (पहाड़ी क्षेत्र) जिला परिषद (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2008 पारित किया गया है, हम राज्य द्वारा मांगी गई राशि की सिफारिश करते हैं।

## मेघालय

*मेघालय पुलिस अकादमी की स्थापना*

12.232 मेघालय सरकार ने मेघालय पुलिस अकादमी की स्थापना करके पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु अपने बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए निधियों की मांग की है। हम इस प्रयोजन हेतु 50 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश करते हैं।

*तुरा चरण I और II जलापूर्ति योजनाओं का स्तरोन्नयन*

12.233 राज्य सरकार ने कहा है कि तुरा चरण I और II जलापूर्ति योजनाएं क्रमशः 1970 और 1980 में तैयार की गई थीं और विगत वर्षों में इनके स्रोत सूख गए हैं। तुरा जिले में शहरों के तीव्र विस्तार के मद्देनजर राज्य सरकार ने सभी घरों में स्वच्छ और पर्याप्त जलापूर्ति के लिए एक स्तरोन्नयन योजना की सिफारिश की है। हम इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश करते हैं।

*विरासत और पर्यटन*

12.234 राज्य ने सर्वेक्षण, अनुसंधान और दस्तावेजीकरण गतिविधियों सहित धरोहर स्थलों, संग्रहालयों और भवनों के संरक्षण, परिरक्षण और विकास के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि की मांग की है। राज्य में उपमहाद्वीप में कुछ सबसे लम्बी और सबसे गहरी गुफाएं हैं और उसने गुफा पर्यटन के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए का अनुरोध किया है। हम विरासत के संरक्षण तथा गुफा पर्यटन के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश करते हैं।

*बागानी हेतु अवसंरचना*

12.235 राज्य ने परम्परागत बागान और पौधरोपण फसलों सहित बागानी में विस्तार को बढ़ावा देने हेतु अपने मौजूदा अवसंरचना के उन्नयन हेतु निधियों की मांग की है। हम इस संबध में 38 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश करते हैं।

*भण्डारण सुविधाएं*

12.236 जैसा कि राज्य सरकार ने अनुरोध किया है, हम अनिवार्य वस्तुओं के भण्डारण के लिए, क्रमशः तुरा और पश्चिमी गारो हिल्स के बाघमारा में गोदामों के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए की सिफारिश करते है।

*पुलों का निर्माण*

12.237 राज्य सरकार ने इस बात को उजागर किया है कि बड़ी संख्या में अर्ध स्थाई लकड़ी के बने पुल है जो मानसून ऋतु के दौरान प्रायः ढह जाते है और उनकी बार-बार रख रखाव की जरूरत होती है। राज्य ने 4.22 किलोमीटर अर्धस्थाई पुलों को दो लेन के पक्के सीमेंट कंक्रीट पुलों में बदलने के प्रयोजन हेतु अनुदान की मांग की है। हम इस प्रयोजन हेतु 80 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश करते हैं।

## मिजोरम

*सैनिक स्कूल*

12.238 मिजोरम सरकार ने रक्षा सेवाओं में राज्य से छात्रों की भर्ती का दायरा बढ़ाने के लिए मिजोरम हेतु एक सैनिक स्कूल के महत्व को उजागर किया है। इस समय राज्य की मणिपुर के साथ, इंफाल में स्थित सैनिक स्कूल के साथ भागीदारी है। हम मिजोरम में सैनिक स्कूल के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश करते हैं।

*राजभवन का निर्माण*

12.239 राज्य के अनुरोध के आधार पर, हम नए राजभवन के निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश करते हैं।

*जेलों का निर्माण*

12.240 राज्य ने उसकी जेलों में कैदियों को ठहराने के लिए क्षमता की कमी को उजागर किया है और तीन नई जिला जेलों और दो उप जेलों को पूरा करने के लिए सहायता का अनुरोध किया है। हम इस प्रयोजन हेतु 30 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश करते हैं।

*तीन स्वायत्त जिला परिषदों के लिए अवसंरचना स्कीमें*

12.241 राज्य ने संबधित सचिवालय/मारा एडीसी के लिए कार्यालय भवन और चकमा एडीसी के निर्माण के लिए 5.80 करोड़ रुपए, 7.91 करोड़ रुपए और 11 करोड़ रुपए की राशियों की मांग की है। हम इन उन्नयन कार्यों के लिए 25 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश करते हैं।

*खातला ग्राम, आइजोल में खेल के मैदान का निर्माण*

12.242 राज्य ने युवाओं में खेलों और संवर्धन के लिए खातला ग्राम में क्रीड़ा स्थल के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और इस प्रयोजन हेतु निधियों की मांग की है। हम क्रीडा स्थल के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश करते हैं।

*सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस स्टेशन भवनों का निर्माण*

12.243 राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में रिहायशी क्वार्टरों और 15 पुलिस चौकियों सहित 24 पुलिस स्टेशनों के निर्माण के लिए निधियों की मांग की है। हम इस प्रयोजन हेतु 31 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश करते हैं।

*प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और स्वास्थ्य उप-केन्द्रों का निर्माण*

12.244 राज्य सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप केन्द्रों के लिए उचित भवनों का निर्माण करने की आवश्यकता पर बल दिया है। हम स्टाफ क्वार्टरों सहित 15 पीएचसी और 150 उपकेन्द्रों के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश करते हैं।

*अग्निशमन और आपात सेवाएं*

12.245 राज्य सरकार के ज्ञापन के प्रत्युत्तर में, हम राज्य में अग्निशमन और आपात सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु नए अग्निशमन भवनों के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश करते हैं।

*सिविल सचिवालय हेतु अतिरिक्त भवन का निर्माण*

12.246 नए राजधानी परिसर में बढ़े हुए कार्यालय परिसर की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, हम सिविल सचिवालय के लिए अतिरिक्त भवनों के निर्माण हेतु 20 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश करते हैं।

*विरासत संरक्षण*

12.247 राज्य सरकार ने सरकार को सौंपे गए, हिलियाप्पी गांव के स्वर्गीय प्रधान के आवास को, भवन के परिसर में एक आडोटिरम और सार्वजनिक पुस्तकालय का निर्माण करके, एक विरासत केन्द्र में तब्दील करने हेतु 7 करोड़ रुपए की राशि की मांग की है। इसके अतिरिक्त राज्य ने ग्रामों और मुख्य सड़कों से कुछ दूरी पर स्थित विद्यमान विरासत स्थलों तक संयोजकता में सुधार लाने के लिए निधियों का अनुरोध किया है। हम इन कार्यों के लिए 12 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश करते हैं।

## नागालैन्ड

*सामाजिक कल्याण*

12.248 राज्य के अपंग व्यक्तियों के लिए अन्ध विद्यालयों और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु निधियों की मांग की है। हम इस मद में 30 करोड़ रुपए अनुदान की सिफारिश करते हैं।

*पुलिस अवसंरचना*

12.249 राज्य सरकार द्वारा उठाए गए पुलिस भवनों की कमी को ध्यान में रखते हुए सुदूर क्षेत्रों में पुलिस विभाग के अधीनस्थ कार्मिकों के लिए टाइप-I ईकाईयों के निर्माण हेतु हम इसे 100 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश करते हैं।

*स्वास्थ्य*

12.250 राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सीएचसी और उप केन्द्रों हेतु स्टाफ क्वाटर्स के निर्माण के लिए 72.20 करोड़ रुपए की राशियों की मांग की है। हम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उपकेन्द्रों हेतु स्टाफ क्वाटर्स के निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश करते हैं।

*पर्यटन*

12.251 सम्पूर्ण 30 स्थलों में ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए अनुदान हेतु राज्य सरकार के अनुरोध पर 35 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश करते हैं।

*बगानी कृषि का विकास*

12.252 जैसाकि राज्य सरकार द्वारा आग्रह किया गया है, राज्य में बगानी दृष्टि के बाजारों के विकास के साथ-साथ भण्डारण हेतु गोदामों के निर्माण हेतु 20 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश करते हैं।

*सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास*

12.253 राज्य सरकार ने इस बात को उजागर किया है कि अन्तर राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों से सटे गांव संयोजकता, आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाओं, स्वच्छ पेय जलापूर्ति, और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं के संदर्भ में राज्य के बाकी हिस्सों से पीछे हैं और इस अंतर को पाटने के लिए निधियों की मांग की है। हम इन सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के विकास करने और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 35 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश करते हैं।

## उड़ीसा

*समेकन और सुदृढ़ीकरणः चिल्का झील का पारिस्थितीकीय सुधार*

12.254 उड़ीसा में चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारा जल लैगून है। वित्त आयोग-XII सहित पूर्व के आयोगों ने झील से संबंधित जुड़े सभी कार्यों के लिए अनुदान उपलब्ध कराया है। उड़ीसा सरकार ने सहभागी जल छाजन प्रबंध, जैव-विविधता संरक्षण और आउटरीच कार्यक्रम सहित विभिन्न कार्यों हेतु निधियों का अनुरोध किया है। झील के पारिस्थितिकी प्रणाली के महत्व को ध्यान में रखते हुए, हम चिल्का झील से संबंधित कार्यों हेतु 50 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश करते हैं।

*आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण*

12.255 उड़ीसा सरकार ने यह रिपोर्ट दी है कि राज्य में 24,000 से अधिक आंगनवाड़ी केन्द्रों के पास अपना भवन नहीं है। पोषण में सुधार में आंगनबाड़ियों में महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए हम सिफारिश करते है कि राज्य के आदिवासी क्षेत्र की प्राथमिकता युक्त केन्द्रों के निर्माण हेतु 400 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करायी जाए।

*स्वास्थ्य संरचना का उन्नयन*

12.256 राज्य सरकार ने स्वास्थ्य अवसंरचना के उन्नयन हेतु निम्नानुसार निधियों का अनुरोध किया है।

i) राज्य के ज्ञापन में उप केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भवनों और स्टाफ क्वाटर्स के प्रावधान हेतु बड़े अंतर की ओर ध्यानाकर्षित किया है और इस प्रयोजनार्थ अनुदान का अनुरोध किया है। हम इस शर्त के साथ 275 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश करते हैं कि राज्य के आदिवासी जिलों में सभी अंतरों को पाटने के लिए ठोस प्रयास किए जाएं।

ii) राज्य सरकार ने तीन वर्तमान चिकित्सा महाविद्यालयों के अतिरिक्त भवनों के लिए भी निधियों का अनुरोध किया है। हम इस प्रयोजनार्थ 75 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश करते हैं।

*वितरण प्रणाली के विकास और उन्नयन हेतु सहायता अनुदान*

12.257 राज्य ने यह अभ्यावेदन दिया है कि उसे विद्युत वितरण में नीति क्षेत्र के सहभागिता का समावेश करते हुए तीव्रगामी सुधार

कार्यक्रम के संदर्भ में इसके अग्रणी प्रयास के लिए पर्याप्त समर्थन प्राप्त नहीं हो सका है। उड़ीसा में कृषि ऊर्जा उपयोग अत्यंत कम है जो राज्य में कुल ऊर्जा खपत का केवल 2 प्रतिशत है। राज्य सरकार ने विद्युत वितरण को मजबूत करने के लिए 1000 करोड़ रुपए के निवेश योजना का प्रस्ताव किया है जिसमें राज्य सरकार (200 करोड़ रुपए), ग्रिडको (147 करोड़ रुपए) और विभिन्न वितरण कंपनियों (153 करोड़ रुपए) द्वारा हिस्सेदारी की जाएगी और इस कार्यक्रम हेतु 500 करोड़ रुपए की वित्त आयोग अनुदान का अनुरोध किया है। राज्य में वितरण प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम इस शर्त पर कि राज्य सरकार, ग्रिडको और वितरण कंपनियों द्वारा बराबर अनुपात में 500 करोड़ रुपए का अंशदान किया जाए, हम राज्य सरकार द्वारा मांगी गई इस अनुदान की सिफारिश करते हैं।

*पुलिस प्रशिक्षण*

12.258 राज्य सरकार के प्रस्तावों के आधार पर, हम राज्य में पुलिस प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित राशियों की सिफारिश करते हैं।

| | | | |
|---|---|---|---|
| i) | बाइरी नागपुर जिला में सिविल पुलिस के लिए एक बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना | - | 20 करोड़ रुपए |
| ii) | बुरला सम्बलपुर जिला में सशस्त्र पुलिस हेतु एक बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना | - | 30 करोड़ रुपए |
| iii) | कोरापुट/राऊरकेला में नए नक्सलवाद रोधी प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना | - | 20 करोड़ रुपए |
| | **कुल** | - | **70 करोड़ रुपए** |

*जेलों का उन्नयन*

12.259 राज्य सरकार ने उग्रवाद की समस्या को ध्यान में रखते हुए जेलों में अत्यधिक भीड़ और राज्य में सुरक्षा के उन्नयन की आवश्यकता की ओर आयोग का ध्यानाकर्षित किया है। हम इस प्रयोजनार्थ 100 करोड़ रुपए दिए जाने की सिफारिश करते है। राज्य को इस राशि का उपयोग अतिरिक्त सुदृढ़ीकरण और सुरक्षा उपायों के अलावा, स्वच्छता में सुधार, जलापूर्ति और चिकित्सीय देखभाल जैसे कैदियों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए करना चाहिए।

*स्मारकों और बौद्ध विरासत का संरक्षण*

12.260 राज्य में कई प्राचीन विरासत हैं जिसकी संरक्षण की आवश्यकता है। इनमें कई बौद्ध विरासत स्थल शामिल हैं। पूर्व के आयोगों ने संरक्षण के कार्यों के लिए अनुदान उपलब्ध कराया है जिससे राज्य सरकार ने उपयोगी माना है। हम इस प्रयोजनार्थ 65 करोड़ रुपए की सिफारिश करते हैं।

*अग्निशमन सेवाएं*

12.261 राज्य में अग्निशमन सेवाओं के प्रावधान हेतु बड़े अंतर को राज्य ने ज्ञापन में उजागर किया है। जिस के आधार पर हम इस प्रयोजन के लिए 150 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं। राज्य यह सुनिश्चित करे कि अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण संस्थान के उन्नयन करने और अग्निशमन सेवा कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए इस निधि के अंश का उपयोग किया जाए।

*प्रखण्ड स्तर पर विपणन यार्ड की स्थापना*

12.262 राज्य ने प्रखण्ड स्तर पर क्षमतायुक्त बाजार अवसंरचना उपलब्ध कराने हेतु 150 विपणन यार्ड के निर्माण के लिए अनुदान का अनुरोध किया है। हम इसे उपयोगी उपाय मानते है और 60 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

## पंजाब

*प्रतिकूल लिंगानुपात में सुधार के उपाय*

12.263 पंजाब सरकार ने राज्य में प्रतिकूल लिंगानुपात में सुधार करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों हेतु सहायता का अनुरोध किया है। हम इसे अत्यंत जरूरी उपाय के तौर पर मानते हैं और 250 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश करते हैं।

*कण्डी क्षेत्रों का विकास*

12.264 राज्य ने पूर्व में निर्माण किए गए अवसंरचना के रख-रखाव और भूमि संरक्षण और जल संभरण के उपायों हेतु निधियों सहित खाड़ी के विकास के लिए सहायता का अनुरोध किया है। हम इसके लिए 250 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश करते हैं।

*सीमावर्ती क्षेत्र*

12.265 राज्य ने अन्तर राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में अवसंरचना के स्तरोन्नयन और रख-रखाव के लिए सहायता की मांग की है। राज्य ने ऊर्जा और सड़क संयोजकता और स्वास्थ्य अवसंरचना का उन्नयन करने के साथ ही पेय जलापूर्ति और स्वच्छता उपलब्ध कराने हेतु सहायता की मांग की है। हम इस प्रयोजनार्थ 250 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश करते हैं।

*सिंचाई*

12.266 राज्य सरकार ने राज्य के दक्षिण-पश्चिम जिले में जल जमाव की समस्या से निजात पाने के लिए रख-रखाव और मरम्मत, बाढ़ नियंत्रण संबंधी कार्यो और उपायों के संबंध में, राज्य में सिंचाई अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए सहायता का अनुरोध किया है। सिंचाई अवसंरचना के उन्नयन करने हेतु 200 करोड़ रुपए की राशि और जल-भराव क्षेत्रों में समस्याओं के निदान के लिए अन्य 200 करोड़ रुपए की सिफारिश करते हैं।

*पुलिस प्रशिक्षण*

12.267 राज्य ने पुलिस कामिर्कों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं के उन्नयन हेतु वित्तीय सहायता की मांग की है। इस प्रयोजनार्थ 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव करते हैं।

*विरासत*

12.268 राज्य सरकार ने ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण और रखरखाव हेतु वित्तीय सहायता की मांग की है। हम इस प्रयोजनार्थ 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव करते हैं।

*क्षमता निर्माण हेतु सशक्त समिति की पहल को सहायता*

12.269 राज्य वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति (ईसी), ने 16 दिसम्बर, 2009 को आयोग को अपने पत्र में, सभी राज्यों की ओर से पंजाब

सरकार के माध्यम से दिए जाने के लिए अनुसंधान क्षमता निर्माण और स्थापना लागत हेतु वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है। सशक्त समिति वस्तु और सेल कर को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और इसे सभी संभावित सहायता दी जानी अपेक्षित है। हम पंजाब सरकार को 30 करोड़ रुपए की अनुदान की सिफारिश करते हैं जो उपर्युक्त गतिविधियों के लिए राज्य वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति को सहायता हेतु चिहिनत की जाएगी।

## राजस्थान

*पेयजल*

12.270 आयोग ने राज्य में पेयजल अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु अनुदान स्वीकृत किए हैं जो इस प्रकार हैं:

i) जल वितरण प्रणाली की पुनर्स्थापना और विस्तार

ii) पुरानी मशीनरी का प्रतिस्थापन

iii) फ्लोराइड नाइट्रेट, लवणता और लौह-ग्रस्त क्षेत्रों पर ध्यान देना। इसकी आवश्यकता के महत्व को ध्यान में रखते हुए, हम इन परियोजनाओं हेतु 500 करोड़ रुपए की राशि आबंटित किए जाने का प्रस्ताव करते हैं जिसमें से 100 करोड़ रुपए सीमावर्ती जिलों में आवंटित किया जाएगा।

*सिंचाई*

12.271 राज्य ने 60 लम्बित सिंचाई परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है जिससे अगले तीन वर्षो के भीतर पूरा कर लिया जा सकेगा। सिंचाई के अंतर्गत लाए जाने वाले बहुत बड़े क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, हम इस प्रयोजन हेतु 300 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव करते हैं।

*लोक स्वास्थ्य अवसंरचना*

12.272 राज्य ने नैदानिक उपस्कर और जेनरेटरों सहित सरकारी अस्पतालों में अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता की मांग की है। हम इस प्रयोजनार्थ 150 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश करते हैं।

*राजमार्ग*

12.273 राज्य सरकार ने राज्य के उन राजमार्गों और लघु जिला सड़कों जो अन्य कार्यक्रमों में शामिल नहीं किए गए है, हेतु वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है। हम इस प्रयोजनार्थ 150 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश करते हैं।

*पुलिस, जेल कार्मिकों और होम गार्ड का प्रशिक्षण*

12.274 राज्य सरकार ने पुलिस, जेल, होमगार्ड और नागरिक रक्षा जैसे विभिन्न विभागों के लिए प्रशिक्षण अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु सहायता की मांग की है। हम इस प्रयोजनार्थ 100 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश करते हैं।

## सिक्किम

*पर्यटन का विकास*

12.275 राज्य की अर्थव्यवस्था हेतु पर्यटन के महत्व को ध्यान में रखते हुए, सिक्किम सरकार ने पर्यटन के संवर्धन हेतु निम्नानुसार अनुदानों की मांग की है।

i) राज्य ने दक्षिणी सिक्किम में भलेई डंग में एक 'स्काईवाक' के निर्माण हेतु उनकी परियोजनाओं को उजागर किया है। यह कहा गया है कि यह देश में इस प्रकार की पहली योजना होगी। इसके प्रमुख पर्यटक आकर्षण बनने की संभावना है क्योंकि लगभग 500 फीट की ऊपर से ऊंचाई पर पारदर्शी शीशे से नीचे झांकने का सुखद अहसास होगा। इस प्रकार, राज्य में अवसंरचना विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा और वाणिज्यिक गतिविधियां बढ़ेगीं। हम 200 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश करते हैं और राज्य सरकार से यह आग्रह करते हैं कि परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान क्षेत्र का कमजोर पारिस्थितिकी संतुलन न बिगड़े।

ii) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत दूसरी परियोजना ग्रामीण पर्यटन के विकास से जुड़ी है और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम्य वातावरण, संयोजकता और प्राकृतिक स्थलों के सुधार हेतु निधियों की आवश्यकता है। हम इस प्रयोजनार्थ 80 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश करते हैं।

*सिक्किम के उत्तरी जिले के अंतर्गत सस्पेंशन फुट ब्रिज की मरम्मत/ पुर्नानिर्माण*

12.276 राज्य ने अपने ज्ञापन में पुराने केबल और सस्पेन्डर के प्रतिस्थापन सहित पुराने और जीर्ण-शीर्ण हुए लकड़ी के पुलों के स्थान पर इस्पात के पुलों के निर्माण की आवश्यकता को उजागर किया है। चूंकि, ये पुल सुदूर और पिछड़े क्षेत्रों में गांवों की संयोजकता को सुनिश्चित करते हैं, हम राज्य सरकार की मांग के अनुसार 35 करोड़ रुपए की सिफारिश करते हैं।

*जल सुरक्षा और लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग*

12.277 राज्य ने नामची जलापूर्ति योजना के उन्नयन, ग्यालसिंग जलापूर्ति और रैबडेन्टसी जलापूर्ति योजना के लिए लोअर चंग्ये स्रोत की मरम्मत हेतु निधियों का आग्रह किया है। राज्य ने यह कहा है कि योजना दक्षिण और पश्चिम सिक्किम के दो जिलों में पेयजलापूर्ति की आवश्यकता पूरी करेगी। हम इस प्रयोजनार्थ 20 करोड़ रुपए की सिफारिश करते हैं।

*पुलिस प्रशिक्षण और अवसंरचना*

12.278 राज्य सरकार ने पुलिस प्रशिक्षण और अवसंरचना हेतु निम्नानुसार अनुदान की मांग की है:-

i) राज्य ने यंगगांग में पुलिस प्रशिक्षण की स्थापना हेतु निधियों की मांग की है जिससे अतिरिक्त रिहायशी आवासन और उपकरणों सहित प्रशिक्षण क्षमता को बढ़ाया जा सके। हम इस प्रयोजन हेतु 10 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश करते हैं।

ii) राज्य सरकार ने पुलिस बल हेतु आवासीय और गैर-आवासीय भवनों दोनों की कमी को भी दर्शाया है। इस प्रयोजनार्थ 15 करोड़ रुपए की अनुदान की सिफारिश करते हैं।

*सीमावर्ती क्षेत्र का विकास*

12.279 इसके सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास हेतु, राज्य सरकार ने निम्नलिखित आवश्यकतानुसार निधियों का आग्रह किया है।

i) राज्य ने आवश्यक वस्तुओं के लिए अतिरिक्त भण्डारण सुविधाओं के सृजन के लिए 6 करोड़ रुपए के अनुदानों की मांग की है चूंकि अपरिहार्य परिस्थितियोंवश राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद हो जाने के कारण इन वस्तुओं के परिवहन में बाधा उत्पन्न होती है। हम राज्य सरकार द्वारा मांगी गई राशि की सिफारिश करते हैं।

ii) राज्य सरकार ने नई मानीटरिंग चेक पोस्ट का सृजन, सड़क यातायात लिंकों के सुधार, सुरक्षा उपकरणों को सुदृढ़ करके घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं, दोनों के साथ मौजूदा सुरक्षा अवसंरचना को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया है। हम इस प्रयोजनार्थ राज्य को 15 करोड़ रुपए का अनुदान दिए जाने की सिफारिश करते हैं।

*राज्य क्षमता निर्माण संस्थान की स्थापना*

12.280 प्रशिक्षण देने, ज्ञान के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने और बेरोजगार युवकों की अन्तर्निहित क्षमताओं का विकास करने के प्रयोजन हेतु राज्य ने वरटक में क्षमता-निर्माण संस्थान की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है। विभिन्न कैरियर विकल्पों हेतु युवकों के ज्ञान और कौशल की वृद्धि में सहायता करने के लिए राज्य को सशक्त बनाया जा सके, इस प्रयोजनार्थ 10 करोड़ रुपए की अनुदान की सिफारिश करते हैं जैसा कि राज्य सरकार द्वारा मांगा गया है।

*सिक्कम की विरासत और संस्कृति का संरक्षण*

12.281 राज्य सरकार ने कहा है कि वित्त आयोग-XII द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुदान से नई स्मारकों का संरक्षण किया गया है और राज्य में शेष स्मारकों के संरक्षण हेतु अनुदानों की मांग की है। इस संबंध में हम 9 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश करते हैं।

## तमिलनाडु

*मलिन बस्तियों का सुधार*

12.282 तमिलनाडु क्षेत्र का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है। राज्य सरकार ने आवासन, पेयजल, पोषण और शिक्षा के संबंध में पूरी स्लम जनसंख्या को उत्तरोत्तर कवर करने के अपने प्रयास हेतु सहायता करने का आग्रह किया है। हम इस प्रयोजनार्थ 300 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश करते हैं।

*तटीय संरक्षण*

12.283 राज्य की लम्बी तट रेखा को समुद्रीय अपरदन से बचाव के लिए राज्य सरकार ने नौ जिलों में समुद्रीय अपरदन रोधी उपायों को शुरू करने का प्रस्ताव किया है। नदी के मुहानों पर ग्रोयन फिल्ड, रब्बल माउण्ड समुद्रीय दीवारों और प्रशिक्षण दीवारों का निर्माण शामिल है। हम इस प्रयोजनार्थ 200 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश करते हैं।

*समुद्रीय डिस्चार्ज परियोजना*

12.284 राज्य सरकार ने राज्य में ब्लीचिंग, रंगाई और प्रसंस्करण ईकाईयों के बर्हिगामी प्रवाह के स्थायी समाधान के रूप में समुद्रीय प्रवाह के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय सहायता की मांग की है। इस परियोजना हेतु 200 करोड़ रुपए की राशि का आबंटन करते हैं। यह आशा की जाती है कि राज्य सरकार और वस्त्र उद्योग भी परियोजना के लागतों का वहन करेंगें।

*परम्परागत जल निकाय*

12.285 राज्य सरकार ने राज्य में 525 जल निकायों की पुनर्स्थापना के कार्यों को शुरू करने हेतु वित्तीय सहायता की मांग की है जिन्हें अन्य कार्यक्रमों में कवर नहीं किया गया है। इन तालाबों को बालूभराव से बचाने और बंद और जलमार्ग को सुदृढ़ करने की आवश्यकता होती है। ये पेयजल सुरक्षा, में योगदान करेगें और इससे भूमिगत जल स्तर में भी वृद्धि होगी। हम जल निकाय से संबंधित कार्यों हेतु 200 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश करते हैं।

*विरासत संरक्षण*

12.286 राज्य सरकार ने राज्य की विरासत को परिलक्षित करने वाले ऐतिहासिक महत्व के प्राचीन मंदिरों में पुनुरोद्धार और रख-रखाव हेतु सहायता की मांग की है। हम इस संबंध में 100 करोड़ रुपए की अनुदान की सिफारिश करते हैं।

*स्वास्थ्य अवसंरचना*

12.287 राज्य सरकार ने स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण और जल विश्लेषण प्रयोगशालाओं और नैदानिक उपकरणों की खरीद सहित सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य और अवसंरचना के प्रावधान हेतु सहायता की मांग की है। हम इस प्रयोजनार्थ 200 करोड़ रुपए की राशि का आबंटन करते हैं।

*पुलिस प्रशिक्षण*

12.288 राज्य सरकार ने अपने पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु अवसंरचना सुविधाओं को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है। हम इस प्रयोजनार्थ 100 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश करते हैं।

## त्रिपुरा

*पुलिस प्रशिक्षण*

12.289 त्रिपुरा सरकार ने उग्रवाद का सामना करने हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकताओं सहित राज्य में पुलिस कर्मियों की प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुलिस अकादमी की स्थापना हेतु निधियों की मांग की है। वर्तमान में राज्य सरकार अपने पुलिस कार्मिकों की बड़ी संख्या में राज्य सरकार अपने पुलिस कार्मिकों को बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के लिए अन्य राज्यों में भेजती है जिस पर अत्यधिक लागत आती है। हम राज्य में पुलिस अकादमी की स्थापना करने हेतु 10 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश करते हैं।

*त्रिपुरा राज्य रायफल्स हेतु बटालियन मुख्यालय का निर्माण*

12.290 ज्ञापन में यह कहा गया है कि राज्य सरकार ने पुलिस बल के सुदृढ़ीकरण साथ ही देशद्रोही गतिविधियों की समस्या से निपटने हेतु त्रिपुरा राज्य रायफल्स की 13 बटालियनों का गठन किया है। इनमें से पांच बटालियनों के उचित मुख्यालय नहीं हैं। राज्य सरकार ने प्रशासनिक ब्लाक, बैरक, स्टाफ क्वाटर्स और इन बटालियनों के लिए अन्य भवनों सहित मुख्यालयों के निर्माण हेतु अनुदान का अनुरोध किया है। हम राज्य में सुरक्षा बलों के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से 75 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश करते हैं।

*स्वायत्त जिला परिषद के अंतर्गत मंडल कार्यालयों हेतु अवसंरचना का विकास*

12.291 त्रिपुरा आदिवासी स्वायत्त जिला परिषद (टीटीएडीसी) प्रत्येक जिले में मंडल मुख्यालयों सहित राज्य के सभी चार जिलों में फैला है। राज्य सरकार ने टीटीएडीसी के लिए मंडल कार्यालयों को विकसित करने हेतु अनुदान का अनुरोध किया है। परिषद हेतु सभी चार जिलों में उचित पहुंच उपलब्ध कराने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, हम इन चार मंडल कार्यालयों में अवसंरचना के विकास हेतु 20 करोड़ रुपए की सिफारिश करते हैं।

*अगरतल्ला में जल निकासी प्रणाली का निर्माण*

12.292 राज्य से प्राप्त ज्ञापन में यह कहा गया है कि अगरतला स्टोर्म जल प्रवाह प्रणाली की कमी के कारण राज्य समय-समय पर बाढ़ की समस्या झेलता है। शहर का अधिकतर भाग इस प्रकार अवस्थित है कि आस-पास में नदियों में गुरुत्वीय प्रवाह अत्यधिक बाधित है। राज्य सरकार ने लगभग 3 लाख मीटर नालों और पम्पिंग स्टेशनों के निर्माण हेतु निधियों का अग्रह किया है। हमारे विचार में शहर में स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार हेतु यह एक लाभप्रद निवेश होगा। इसलिए हम 200 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश करते हैं। तथापि, इस अनुदान में पम्पिंग हेतु विद्युत की कीमत का वहन नहीं किया जाए।

*तकनीकी शिक्षा*

12.293 राज्य सरकार ने खुमुलंग अम्बास्सा, बागबास्सा और फुलकुमारी में अनुसूची VI क्षेत्रों में चार पोलिटेक्नीक संस्थानों की स्थापना के लिए अनुदान की मांग की है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने फुलकुमारी में पोलिटेक्नीक के लिए निश्चित अनुदान पहले ही उपलब्ध करा दिया है। हम इसके लिए अन्य निधियों के स्रोत के उपलब्ध कराने की कोई उपयोगिता नहीं देखते हैं। टीटीएडीसी क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा के संवर्धन के लिए तीन पोलिटेक्नीकों हेतु हम 75 करोड़ रुपए की अनुदान की सिफारिश करते हैं.

*कोक-बोरोक भाषा और संस्कृति का विकास*

12.294 टीटीएडीसी क्षेत्र ने लोगों की मुख्य भाषा कोक-बरोक है। राज्य सरकार ने त्रिपुरा के आदिवासियों की भाषायी पहचान को सुरक्षित रखने के लिए भाषा के विकास हेतु अनुदान की मांग की है। हम इस प्रयोजनार्थ 10 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश करते हैं।

*अगरतल्ला में महाराजा वीर विक्रम कालेज कम्पलेक्स का विकास*

12.295 राज्य सरकार ने यह बताया है कि अगरतल्ला में अवस्थित महाराजा वीर विक्रम कालेज (एमबीबीसी) न केवल राज्य का एक उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान है बल्कि एक प्रमुख विरासत स्थल भी है। राज्य सरकार द्वारा उनके आग्रह के प्रत्युत्तर में, एमबीबीसी के संरक्षण और विकास हेतु 30 करोड़ रुपए की अनुदान की सिफारिश करते हैं।

*चुरायबारी चेकपोस्ट कम्पलेक्स का आधुनिकीकरण*

12.296 राज्य सरकार ने चुरायबारी में राज्य को जोड़ने वाली एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-44) पर एक आधुनिक चेकपोस्ट की आवश्यकता पर बल दिया है। इससे राज्य के राजस्व पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इस चेकपोस्ट के आधुनिकीकरण हेतु आयोग 20 करोड़ रुपए की सिफारिश करता है।

*नए राजभवन का निर्माण*

12.297 वर्तमान राज भवन एक सौ साल पूर्व निर्माण किए गए एक भवन में अवस्थित है। इस विरासत भवन के कई भाग अभी प्रयोग में नहीं है, जबकि कम्पलेक्स का एक भाग सार्वजनिक पार्क में परिवर्तित कर दिया गया है। त्रिपुरा सरकार ने नई राजधानी कम्पलेक्स में नए राजभवन के लिए एक स्थल की पहचान की।

*करागार तंत्र में सुधार*

12.298 बारहवें वित्त आयोग ने विशालगढ़ में आधुनिक सुविधाओं सहित एक केन्द्रीय करागार के निर्माण हेतु 'कारगार तंत्र सुधार परियोजना' के प्रथम चरण में 30 करोड़ रुपए प्रदान किए थे। राज्य सरकार ने स्टाफ क्वाटर्स के निर्माण, अतिरिक्त वार्ड और एक खेल मैदान सहित परियोजना में द्वितीय चरण को पूरा करने के लिए निधियों का आग्रह किया है। हम 15 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं जोकि राज्य द्वारा मांगी गई है ताकि इन कार्यों का पूरा किया जाना सुनिश्चित हो सके।

*अग्निशमन सेवाओं के मुख्यालयों का निर्माण*

12.299 जैसाकि राज्य सरकार द्वारा अनुरोध किया गया है हम राज्य में अग्निशमन सेवा मुख्यालयों के निर्माण हेतु 15 करोड़ रुपए की सिफारिश करते हैं,

## उत्तर प्रदेश

*सीमावर्ती सड़कें*

12.300 राज्य सरकार ने सड़क संयोजकता और तीव्र विकास में सुधार हेतु अन्तरराष्ट्रीय सीमा के साथ सड़कों के विकास की सहायता का आग्रह किया है। हम इस प्रयोजनार्थ 250 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

*वाराणसी हेतु अवसंरचना सहायता*

12.301 वाराणसी नगर तीर्थाटन और पयर्टकों के लिए राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय महत्व का केन्द्र है और इस कारण इसकी अवसंरचना के सुधार हेतु वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।

i) राज्य सरकार ने घाट और कुण्डों के विकास के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है। हम इस प्रयोजनार्थ 45 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश करते हैं।

ii) जापान अन्तरराष्ट्रीय सहयोग अभिकरण के माध्यम से शहर के सीआईएस वरुण क्षेत्र के जिले में चल रही परियोजना के पूरक के रुप में ब्रांच सीवर लाइन लगाने के लिए राज्य सरकार ने निधियों की मांग की है। इस कार्य हेतु 60 करोड़ रुपए की राशि का आबंटन करते हैं।

iii) राज्य में अग्निशमन सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए अलग से निधियों का अनुरोध किया गया है। वाराणसी में अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के उन्नयन हेतु 20 करोड़ रुपए का अनुदान देने का प्रस्ताव करते है।

*पिछड़े क्षेत्रों का विकास*

12.302 पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदानों की मांग रखी गई है जो निम्नानुसार हैः

i) *सूखा रोकने के उपायः* राज्य सरकार ने सूखे रोकने के उपाय करने और बुन्देल खण्ड क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं को सुदढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है। राज्य ने तालाबों के सुदृढ़ और मरम्मत करने, चेक बांधों का

निर्माण करने और ट्यूबवैलों को गहरा करने का प्रस्ताव किया है। हम इस प्रयोजनार्थ 200 करोड़ रुपए के आबंटन की सिफारिश करते हैं।

ii) *सड़क संयोजकता में सुधारः* (क) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जिला मुख्यालयों से तहसील और ब्लाक मुख्यालयों के बीच सड़क संयोजकता में सुधार करने हेतु वित्तीय सहायता का अनुरोध किया गया है। हम इस प्रयोजनार्थ 150 करोड़ रुपए की राशि के आबंटन का प्रस्ताव करते हैं (ख) पूर्वाचल क्षेत्र में 12 जिलों में ब्लाक मुख्यालयों, तहसील मुख्यालयों और जिला मुख्यालयों के बीच सड़क संयोजकता के लिए अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। हम इन सड़कों के निर्माण हेतु 150 करोड़ रुपए के अनुदान का प्रस्ताव करते हैं।

*पुलिस विभाग*

12.303 पुलिस विभाग की कार्यात्मकता को बढ़ाने और प्रशिक्षण अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु राज्य सरकार ने कई पहलों हेतु वित्तीय सहायता की मांग की है। हम निम्नानुसार आबंटनों की सिफारिश करते हैंः

i) अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों के लिए रिहायशी भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता - 200 करोड़ रुपए।

ii) मौजूदा प्रशिक्षण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण और नए पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु सहायता - 132 करोड़ रुपए।

*कृषिगत विपणन यार्ड का विकास*

12.304 राज्य की संकटग्रस्त कृषि को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने 2101 कृषि विपणन केन्द्रों की स्थापना जिसमें से प्रत्येक अन्न भंडारण कृषक सेवा केन्द्र, और प्राथमिक प्रसंस्करण ईकाई उपलब्ध कराएगा, हेतु सहायता का अनुरोध किया है। हम इस आग्रह का समर्थन करते हैं और 354 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश करते हैं।

*विरासत*

12.305 राज्य सरकार ने प्रमुख विरासत स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों के सुदृढ़ीकरण सहित संग्रहलयों के विकास, स्मारकों के संरक्षण के लिए सहायता मांगी है। हम इस प्रयोजनार्थ 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव करते हैं।

*लोक सेवा प्रशिक्षण सुविधाओं का उन्नयन*

12.306 राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश प्रशासन व प्रबन्धन अकादमी को सुदृढ़ीकरण करके इसकी प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ाने का अनुरोध किया है। इसमें आपदा प्रबन्ध प्रकोष्ठ की स्थापना सुशासन हेतु केन्द्र और विश्व व्यापार संगठन हेतु प्रकोष्ठ की स्थापना शामिल है। हम शिक्षण एकेडमी, प्रशासनिक और हास्टल ब्लाकों के निर्माण हेतु 18 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव करते हैं।

## उत्तराखण्ड

*देहरादून हेतु मल व्ययन योजना*

12.307 उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिए गए ज्ञापन में यह उजागार किया गया है कि नए राज्य के गठन के बाद देहरादून में जनसंख्या का दबाव है। वर्तमान में, शहर का केवल एक हिस्सा ही मल व्ययन व्यवस्था द्वारा कवर किया गया है। राज्य सरकार ने पूरे शहर को कवर करने के लिए अनुदान की मांग की है। हम इस प्रयोजनार्थ 150 करोड़ रुपए की अनुदान की सिफारिश करते हैं।

*पुलिस प्रशिक्षण और अवसंरचना का उन्नयन*

12.308 राज्य सरकार ने पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण और पुलिस स्टेशनों हेतु प्रशासनिक भवनों का निर्माण और पुलिस आउट पोस्ट के लिए अनुदान की मांग की है। उत्तराखण्ड, नया राज्य होने के कारण, पुलिस प्रशिक्षण और अवसंरचना के उन्नयन की आवश्यकता है। हम पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु 20 करोड़ और पुलिस स्टेशनों और पुलिस आउटपोस्ट के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए की सिफारिश करते हैं।

*पयर्टन का विकास*

12.309 राज्य ने विभिन्न पयर्टन स्थलों में पेयजल, आवासन और विद्युतीकरण जैसी आधारभूत सुविधाओं के निर्माण कार्यो हेतु निधियों का आग्रह किया है। पयर्टनों के लिए सुविधाओं में सुधार हेतु हम इस प्रयोजनार्थ 100 करोड़ रुपए की सिफारिश करते हैं।

*पांच नर्सिंग प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना*

12.310 राज्य सरकार ने विशेषकर सुदूर क्षेत्रों में राज्य में नर्सिंग स्टाफ की विकट समस्या को दूर करने के लिए राज्य के जिलों पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, टेहरी, चमोली और पौड़ी में पांच नर्सिंग प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपए देने का आग्रह किया है।

*नए विधान सभा भवन का निर्माण*

12.311 चूंकि, उत्तराखण्ड एक नया राज्य है, इसका अपना भवन नहीं है और राज्य विधायी संबंधी गतिविधियां मौजूदा कार्यालय भवन में चल रही हैं। राज्य सरकार ने नए असेम्बली भवन के निर्माण हेतु 88 करोड़ रुपए के अनुदान का आग्रह किया है। हम राज्य द्वारा मांगे गए अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

*संस्कृति का विकास*

12.312 राज्य की समृद्ध संस्कृति और कलात्मक निर्माणों और पुरातत्व क्षेत्रों की बड़ी मात्रा में उपलब्धता का उजागर करते हुए, राज्य सरकार ने 25 करोड़ रुपए की कीमत पर राज्य स्तरीय संग्रहालय ने निर्माण का प्रस्ताव किया है। राज्य ने विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक सभागार के निर्माण हेतु 20 करोड़ का अनुदान देने का भी अनुरोध किया है। हम इन आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु 45 करोड़ रुपए के कुल अनुदान की सिफारिश करते हैं।

*हल्द्वानी (नैनीताल) में अन्तर राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्टस कम्पलेक्स का निर्माण*

12.313 राज्य ने हल्द्वानी में 25 करोड़ रुपए की कीमत पर एक अन्तरराष्ट्रीय स्तर की स्पोर्टस कम्पलेक्स के निर्माण का प्रस्ताव किया है, चूंकि वर्तमान में, राज्य में इस प्रकार की सुविधा नहीं हैं, हम इस प्रयोजनार्थ मांगी गई अनुदान की राशि की अनुशंसा करते है।

*उत्तरखण्ड तकनीकी शिक्षा बोर्ड, रूड़की का स्तरोन्नयन*

12.314 राज्य ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा हेतु एक पृथक प्रकोष्ठ, अनुसंधान और विकास और प्रशिक्षण संस्थान तथा तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना हेतु भवन के निर्माण हेतु 17 करोड़ रुपए की राशि की मांग की है। हम राज्य सरकार द्वारा मांगी गई राशि की सिफारिश करते हैं।

*सीमावर्ती क्षेत्र विकास*

12.315 राज्य ने सुदूरवर्ती क्षेत्रों और राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में ग्रामीण विकास हेतु अवसंरचना की विकट कमी को उजागर किया है और पांच सीमावर्ती जिलों के सामुदायिक विकास तथा विपणन केन्द्रों और ग्राम विकास अधिकारी और कृषि सहायकों के लिए आवसीय भवनों और प्रत्येक न्याय पंचायत में अनुदान का अनुरोध किया है। हम इस प्रयोजनार्थ 105 करोड़ रुपए राशि की सिफारिश करते हैं।

## पश्चिम बंगाल

*पुलिस प्रशिक्षण*

12.316 पश्चिम बंगाल सरकार ने निम्नानुसार पुलिस प्रशिक्षण हेतु अनुदानों का आग्रह किया हैः

i) राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष 1600 अतिरिक्त कार्मिकों हेतु प्रशिक्षण विद्यालयों के निर्माण सहित पश्चिम बंगाल पुलिस हेतु प्रशिक्षण क्षमता को बढ़ाने हेतु अनुदान का अनुरोध किया है। हम राज्य द्वारा मांगी गयी 91 करोड़ रुपये की अनुदान की सिफारिश करते हैं।

ii) राज्य सरकार ने वार्षिक तौर पर 1500 अतिरिक्त कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं बढ़ाने के लिए कोलकत्ता पुलिस हेतु सहायक पुलिस प्रशिक्षण विद्यालयों के लिए एक अनुदान की भी मांग की है। हम इन प्रशिक्षण विद्यालयों हेतु 72 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश करते हैं।

*पुलिस आवास*

12.317 राज्य ने अपने ज्ञापन में पश्चिम बंगाल और कोलकात्ता पुलिस के लिए रिहायशी भवनों की अत्यंत कमी की ओर आयोग का ध्यानाकर्षित किया है। जैसा कि अनुरोध किया गया है, हम 2000 भवन ईकाईयों के निर्माण हेतु 90 करोड़ रुपये के एक अनुदान की सिफारिश करते हैं।

*नदी तटबंधों का सुदृढ़ीकरण*

12.318 राज्य सरकार ने इस बात पर बल दिया है कि सुन्दर बन रोड में सबसे ज्यादा कमजोर भागों के तटबंधों के नदी-तट ढाल के निर्मितीकरण सहित ज्वारीय बाढ़ों से हुए नुकसान को दूर करने की आवश्यकता है। अपने स्थल दौरे के दौरान, आयोग ने क्षतिग्रस्त हुए कई तटबंधों का मुयायना किया। हम सुन्दरबन रोड में निर्माण और जल प्रवाह संरचना के नवीकरण सहित तटबंधों के सुदृढ़ीकरण हेतु 450 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश करते हैं।

*अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं का उन्नयन*

12.319 पश्चिम बंगाल अग्निशमन सेवा विभाग के पश्चिम बंगाल अग्निशमन और आपातकालीन विभाग के रूप में परिर्वित किए जाने से नई चुनौतियों को देखते हुए राज्य सरकार ने इसके उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु अनुदान का अनुरोध किया है। हम विभाग में अवसंरचना और उपकरणों के अंतर को भरने के लिए 150 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश करते हैं।

*जन स्वास्थ्य अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण*

12.320 राज्य सरकार के आग्रह के प्रत्युत्तर में, हम राज्य में उप मंडलों और जिला अस्पतालों के अतिरिक्त उप केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपए के एक अनुदान की सिफारिश करते हैं।

*आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण*

12.321 राज्य सरकार ने कहा है कि राज्य में 74,000 से अधिक आंगनबाड़ी केन्द्रों का अपना भवन नहीं है। हम आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश करते हैं।

*सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क अवसंरचना में सुधार*

12.322 अपने पूरक ज्ञापन में, राज्य सरकार ने अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर प्रखण्डों में बेहत्तर संयोजकता हेतु पुरजोर आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित किया है। इस, प्रयोजनार्थ सड़कों के निर्माण हेतु हम 150 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश करते हैं।

*विरासत संरक्षण*

12.323 राज्य सरकार द्वारा आयोग को यह बताया गया है कि यद्यपि राज्य के अनेक ऐतिहासिक स्मारक, संग्रहालय, पुरालेख, पुरातत्वशेष हैं, पर उनके रखरखाव में सुधार किए जाने की आवश्यकता है। हम इस प्रयोजनार्थ 100 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

सामान्य शर्तें

12.324 पैरा 5.52 और 9.82 में निर्धारित शर्तों के अतिरिक्त, उपर्युक्त अनुशंसित राज्य विशिष्ट अनुदानों के संदर्भ में निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी।

i) राज्य विशिष्ट अनुदानों में से कोई भी निधि राज्यों द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए प्रयोग नहीं की जाएगी। जहां कहीं भी परियोजना/निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता है राज्य, सरकार द्वारा इस प्रकार की जमीन उपलब्ध करायी जा सकती है।

ii) सारणी 12.6 में दिए गए राज्य विशिष्ट अनुदानों की चरणबद्धता केवल निर्देशात्मक हैं, राज्य अपनी वांछित चरणबद्धता केन्द्रीय सरकार को सूचित कर सकते हैं। अनुदान वर्ष में अधिकतम दो किस्तों में जारी की जा सकती है। तथापि, सारणी में दर्शाए गए तीन अनुदानों को छोड़कर, वर्ष 2010-11 में कोई भी अनुदान जारी नहीं की जाएगी।

iii) लेखे सामान्य वित्त नियमावली (जीएफआर 2005) के अनुसार रखे जाएंगे और उपयोग प्रमाण पत्र/व्यय विवरणियां उपलब्ध कराई जाएगीं।

12.325 राज्यों के कुल अंतरणों को दर्शानेवाला विवरण सारणी 12.7 में दिया गया है।

*मानीटरिंग*

12.326 बारहवें वित्त आयोग ने यह सिफारिश की थी कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता मे एक उच्च स्तर मानीटरिंग समिति को त्रैमासिक आधार पर अनुदानों के उपयोग की समीक्षा करनी चाहिए और इन निधियों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए यथाअपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही करनी चाहिए। हमारी दृष्टि में, इस समिति ने उपयोगी कार्य किया है और हमारे द्वारा अनुशंसित अनुदानों की अनुवीक्षा करने के लिए भविष्य में इसे जारी रखा जाना चाहिए।

**सारणी 12.6 : राज्य-विशिष्ट आवश्यओं हेतु सहायता-अनुदान**

(करोड़ रुपए)

| राज्य | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2010-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| आन्ध्र प्रदेश | 20.00 | 312.50 | 312.50 | 312.50 | 312.50 | 1270.00 |
| अरुणाचल प्रदेश | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 300.00 |
| असम | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 600.00 |
| बिहार | 0.00 | 461.25 | 461.25 | 461.25 | 461.25 | 1845.00 |
| छत्तीसगढ | 0.00 | 320.25 | 320.25 | 320.25 | 320.25 | 1281.00 |
| गोआ | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 200.00 |
| गुजरात | 0.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 1300.00 |
| हरियाणा | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 1000.00 |
| हिमाचल प्रदेश | 0.00 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 350.00 |
| जम्मू और कश्मीर | 1000.00 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 1350.00 |
| झारखंड | 0.00 | 356.25 | 356.25 | 356.25 | 356.25 | 1425.00 |
| कर्नाटक | 0.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 1300.00 |
| केरल | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 1500.00 |
| मध्य प्रदेश | 0.00 | 307.75 | 307.75 | 307.75 | 307.75 | 1231.00 |
| महाराष्ट्र | 0.00 | 308.75 | 308.75 | 308.75 | 308.75 | 1235.00 |
| मणिपुर | 0.00 | 75.25 | 75.25 | 75.25 | 75.25 | 301.00 |
| मेघालय | 0.00 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 250.00 |
| मिजोरम | 0.00 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 250.00 |
| नागालैण्ड | 0.00 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 250.00 |
| उड़ीसा | 0.00 | 436.25 | 436.25 | 436.25 | 436.25 | 1745.00 |
| पंजाब | 30.00 | 362.50 | 362.50 | 362.50 | 362.50 | 1480.00 |
| राजस्थान | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 1200.00 |
| सिक्किम | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400.00 |
| तमिलनाडु | 0.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 1300.00 |
| त्रिपुरा | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 500.00 |
| उत्तर प्रदेश | 0.00 | 419.75 | 419.75 | 419.75 | 419.75 | 1679.00 |
| उत्तराखंड | 0.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 700.00 |
| पश्चिम बंगाल | 0.00 | 425.75 | 425.75 | 425.75 | 425.75 | 1703.00 |
| **जोड़** | **1050.00** | **6723.75** | **6723.75** | **6723.75** | **6723.75** | **27945.00** |

## सारणी 12.7 : राज्यों को कुल वित्त आयोग के अंतरण (2010-15)

(करोड़ रुपए)

| राज्य | केंद्रीय करों और शुल्कों में हिस्सा | अंतरण पश्च एनपी आरडी | सहायता - अनुदान (2010-15) | | | | | | | | | | | | | कुल अंतरण (कालम 2+ कालम 17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | निष्पादन प्रोत्साहन | स्थानीय निकाय | आपदा राहत (क्षमता निर्माण सहित) | प्राथमिक शिक्षा | परिणामों में सुधार लाना | | | | | पर्यावरण संबंधित अनुदान | | सड़कों और पुलों का रख-रखाव | राज्य विशिष्ट | कुल सहायता अनुदान (कालम 3 से कालम 16 का जोड़) | |
| | | | | | | | न्याय वितरण में सुधार | यूआईडी निर्गम के लिए प्रोत्साहन | जिला नवोन्मेष निधि | राज्य और जिला स्तर पर सांख्यिकीय प्रणालियों में सुधार | कर्मचारी और पेंशन डाटा बेस | वन | जल क्षेत्र प्रबंधन | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 आन्ध्र प्रदेश | 100616.0 | 0.0 | 0.0 | 7195.1 | 2138.7 | 942.0 | 270.7 | 126.1 | 23.0 | 23.0 | 10.0 | 268.6 | 284.0 | 981.0 | 1270.0 | 13532.3 | 114148.3 |
| 2 अरुणाचल प्रदेश | 4755.6 | 2516.2 | 0.0 | 305.7 | 187.7 | 24.0 | 77.6 | 2.0 | 16.0 | 16.0 | 5.0 | 727.8 | 8.0 | 162.0 | 300.0 | 4348.2 | 9103.8 |
| 3 असम | 52620.6 | 0.0 | 300.0 | 1892.8 | 1336.8 | 238.0 | 121.1 | 55.8 | 27.0 | 27.0 | 5.0 | 184.6 | 88.0 | 336.0 | 600.0 | 5212.1 | 57832.7 |
| 4 बिहार | 158341.2 | 0.0 | 0.0 | 5682.1 | 1411.2 | 4018.0 | 385.0 | 369.2 | 38.0 | 38.0 | 10.0 | 38.4 | 304.0 | 464.0 | 1845.0 | 14602.8 | 172944.1 |
| 5 छत्तीसगढ | 35825.2 | 0.0 | 0.0 | 2267.2 | 647.1 | 857.0 | 125.1 | 91.0 | 18.0 | 18.0 | 10.0 | 411.1 | 88.0 | 362.0 | 1281.0 | 6175.5 | 42000.7 |
| 6 गोआ | 3857.8 | 0.0 | 0.0 | 172.0 | 17.3 | 11.0 | 15.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 36.9 | 8.0 | 40.0 | 200.0 | 516.2 | 4374.0 |
| 7 गुजरात | 44107.1 | 0.0 | 0.0 | 3757.6 | 2110.9 | 483.0 | 299.8 | 90.7 | 26.0 | 26.0 | 10.0 | 81.9 | 236.0 | 1261.0 | 1300.0 | 9682.9 | 53789.9 |
| 8 हरियाणा | 15199.5 | 0.0 | 0.0 | 1521.3 | 824.4 | 229.0 | 124.2 | 32.1 | 21.0 | 21.0 | 10.0 | 8.8 | 212.0 | 267.0 | 1000.0 | 4270.8 | 19470.3 |
| 9 हिमाचल प्रदेश | 11327.3 | 7888.8 | 0.0 | 641.5 | 670.3 | 113.0 | 64.8 | 6.4 | 12.0 | 12.0 | 5.0 | 100.6 | 64.0 | 436.0 | 350.0 | 10364.4 | 21691.6 |
| 10 जम्मू और कश्मीर | 20182.7 | 15936.3 | 0.0 | 1122.6 | 877.6 | 449.0 | 104.5 | 5.9 | 22.0 | 22.0 | 5.0 | 133.0 | 88.0 | 140.0 | 1350.0 | 20255.9 | 40438.7 |
| 11 झारखंड | 40640.3 | 0.0 | 0.0 | 2239.8 | 1100.2 | 1528.0 | 177.5 | 116.4 | 24.0 | 24.0 | 10.0 | 151.4 | 108.0 | 334.0 | 1425.0 | 7238.4 | 47878.6 |
| 12 कर्नाटक | 62774.9 | 0.0 | 0.0 | 6496.7 | 687.1 | 667.0 | 269.8 | 138.9 | 29.0 | 29.0 | 10.0 | 221.0 | 128.0 | 1625.0 | 1300.0 | 11601.4 | 74376.3 |
| 13 केरल | 33954.3 | 0.0 | 0.0 | 2676.1 | 563.2 | 140.0 | 140.1 | 49.6 | 14.0 | 14.0 | 10.0 | 135.5 | 176.0 | 953.0 | 1500.0 | 6371.5 | 40325.8 |
| 14 मध्य प्रदेश | 103268.9 | 0.0 | 0.0 | 5833.5 | 1652.7 | 2216.0 | 407.4 | 249.7 | 50.0 | 50.0 | 10.0 | 490.3 | 148.0 | 986.0 | 1231.0 | 13324.5 | 116593.4 |
| 15 महाराष्ट्र | 75406.9 | 0.0 | 0.0 | 8743.6 | 1859.6 | 744.0 | 542.7 | 317.4 | 35.0 | 35.0 | 10.0 | 309.6 | 368.0 | 2103.0 | 1235.0 | 16302.8 | 91709.8 |
| 16 मणिपुर | 6541.2 | 6056.6 | 0.0 | 315.9 | 40.9 | 15.0 | 11.6 | 4.0 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 150.3 | 8.0 | 100.0 | 301.0 | 7026.3 | 13567.5 |
| 17 मेघालय | 5918.5 | 2810.9 | 0.0 | 432.4 | 77.9 | 52.0 | 4.2 | 4.5 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 168.1 | 4.0 | 101.0 | 250.0 | 3923.9 | 9842.4 |
| 18 मिजोरम | 3901.3 | 3991.4 | 0.0 | 310.7 | 47.5 | 5.0 | 13.0 | 1.2 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 171.2 | 4.0 | 89.0 | 250.0 | 4904.0 | 8805.3 |
| 19 नागालैण्ड | 4552.9 | 8146.1 | 0.0 | 415.7 | 29.7 | 7.0 | 6.2 | 4.0 | 11.0 | 11.0 | 5.0 | 138.6 | 8.0 | 159.0 | 250.0 | 9191.3 | 13744.2 |
| 20 उड़ीसा | 69316.1 | 0.0 | 0.0 | 3270.9 | 1647.8 | 1016.0 | 193.6 | 178.5 | 30.0 | 30.0 | 10.0 | 331.0 | 184.0 | 1022.0 | 1745.0 | 9658.8 | 78974.9 |
| 21 पंजाब | 20146.4 | 0.0 | 0.0 | 1753.8 | 948.8 | 224.0 | 120.8 | 21.6 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 9.2 | 320.0 | 612.0 | 1480.0 | 5540.3 | 25686.6 |
| 22 राजस्थान | 84892.2 | 0.0 | 0.0 | 5163.8 | 2519.3 | 1766.0 | 268.5 | 134.9 | 33.0 | 33.0 | 10.0 | 88.3 | 224.0 | 1509.0 | 1200.0 | 12949.8 | 97842.0 |
| 23 सिक्किम | 3466.8 | 0.0 | 200.0 | 187.2 | 118.1 | 5.0 | 21.8 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 40.6 | 4.0 | 68.0 | 400.0 | 1058.8 | 4525.7 |
| 24 तमिलनाडु | 72070.4 | 0.0 | 0.0 | 5455.9 | 1241.4 | 700.0 | 252.4 | 145.6 | 31.0 | 31.0 | 10.0 | 142.5 | 192.0 | 1865.0 | 1300.0 | 11366.9 | 83437.3 |
| 25 त्रिपुरा | 7411.5 | 4453.3 | 0.0 | 369.8 | 101.0 | 23.0 | 24.0 | 6.4 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 95.5 | 8.0 | 122.0 | 500.0 | 5716.1 | 13127.6 |
| 26 उत्तर प्रदेश | 285397.1 | 0.0 | 0.0 | 12740.5 | 1622.1 | 5040.0 | 645.8 | 590.0 | 70.0 | 70.0 | 10.0 | 80.5 | 1364.0 | 2831.0 | 1679.0 | 26742.9 | 312140.0 |
| 27 उत्तराखंड | 16245.1 | 0.0 | 1000.0 | 781.3 | 605.1 | 197.0 | 102.2 | 36.0 | 13.0 | 13.0 | 5.0 | 205.4 | 76.0 | 329.0 | 700.0 | 4063.0 | 20308.1 |
| 28 पश्चिम बंगाल | 105358.6 | 0.0 | 0.0 | 5773.1 | 1288.3 | 2359.0 | 210.9 | 208.4 | 19.0 | 19.0 | 10.0 | 79.0 | 296.0 | 673.0 | 1703.0 | 12638.7 | 117997.2 |
| **जोड़** | **1448096.0** | **51800.0** | **1500.0** | **87519.0** | **26373.0** | **24068.0** | **5000.0** | **2989.0** | **616.0** | **616.0** | **225.0** | **5000.0** | **5000.0** | **19930.0** | **27945.0** | **258581.0** | **1706676.0** |

टिप्पणी: 1. कॉलम 17 में कुल सहायता अनुदान आंकड़ों में 60,000 करोड़ रुपये शामिल नहीं है। इसमें ये अनुदान शामिल है (क) जीसटी प्रतिपूर्ति अनुदान (50,000 करोड़ रुपए) (ख) आईएमआर में कटौती हेतु अनुदान (5,000 करोड़ रुपए) (ग) नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान (5,000 करोड़ रुपए)। इन अनुदानों का राज्यवार आवंटन इस अवस्था में संभव नहीं है क्योंकि यह उनके भावी निष्पादन पर निर्भर है। कुल अनुदानों में ये भावी अनुदान कालम 17 में जोड़े गए हैं, सकल सहायता अनुदान 3,18,581 करोड़ रुपए बनता है और कुल अंतरण 17,66,676 करोड़ रुपए बनते हैं।

2. पूर्णांकन के कारण हो सकता है कि जोड़ का मिलान न हो।